खण्ड-420, अंक-5
बुधवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1919
(6 अगस्त, 1997 ई0)

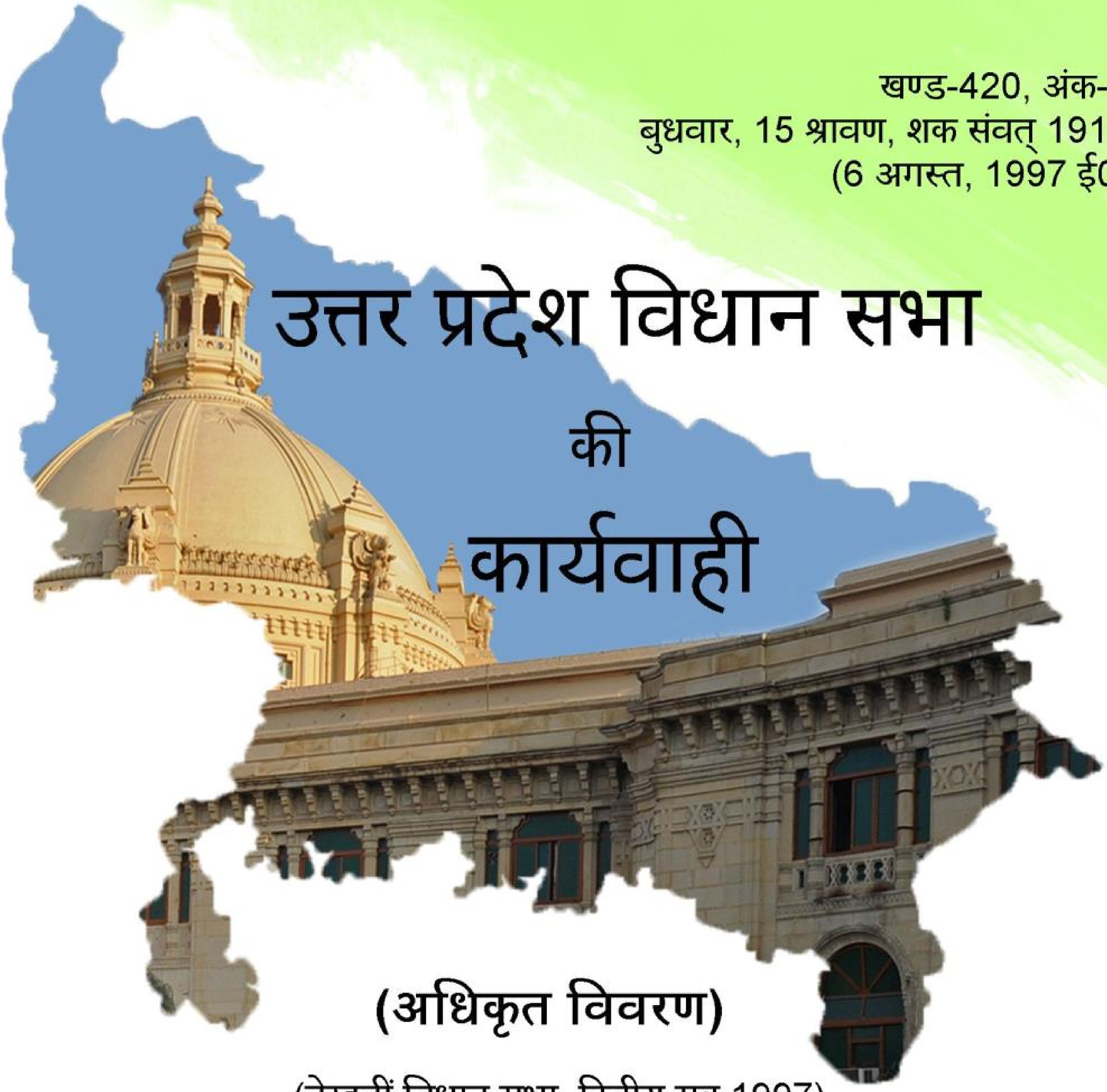

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 420 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
विधायक विकास निधि का प्रकरण तथा नियम 311 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1–3
प्रश्नोत्तर	3–84
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	84
मुजफ्फरनगर के औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर में प्रदूषण से बीमारी फैलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
आगरा महानगर की सीवर लाइनों की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
प्रदेश में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों को बजट का आवंटन न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
श्रावस्ती नगर में विद्युत व्यवस्था ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद भदोही के औराई क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86–87
मुरादाबाद के नगरीय क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	88
विधान भवन परिसर में वाहनों को खड़ा करने का समुचित स्थान न होने तथा विधायक निवासों की सुरक्षा विषयक औचित्य का प्रश्न ...	88–89
सिटी मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा जनप्रतिनिधियों को अपमानित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	89–94
नेता सदन की सदन से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	94–97
दिनांक 30 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 को निरस्त कराये जाने के बारे में मुख्य मंत्री द्वारा गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	97–98
आग्नेयास्त्रों पर सीमा शुल्क लगाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	99–100

विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के लिए घटिया किस्म की दवा खरीदे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	100
सम्पूर्ण प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब होने से नागरिकों के जान माल का खतरा होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	100-101
प्रदेश में करोड़ों रुपये की अर्धनिर्मित परियोजनाओं को लम्बित पड़े रहने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	101-102
सिंचाई तथा लोक निर्माण के अभियन्ताओं द्वारा शासन के रोक के बावजूद अरबों रुपयों की खरीददारी विषयक औचित्य का प्रश्न	102-104
विधायक निधि की स्थापना विषय को उठाने का प्रयास नियम 63 के अन्तर्गत दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ...	104-105
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	106-107
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (पुरःस्थापित) ...	108
उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1997 (पुरःस्थापित) ...	108
नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	108-109
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामान्य जनजीवन के लिए घातक हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न भयावह स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ...	109-119
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए (क्रमागत)	119-132
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित)	132-135
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)...	135-136
अनुदान सं०–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	136
अनुदान सं०–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	136
अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	136-137
अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं (प्रशिक्षण) (स्वीकृत) ...	137
अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	138
अनुदान सं०–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	138
अनुदान सं०–89 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (व्यापार-कर) (स्वीकृत) ...	138-139
अनुदान सं०–90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर) (स्वीकृत) ...	139
अनुदान सं०–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	139
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	140-141

विषय	पृष्ठ संख्या
जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी तथा जनप्रतिनिधियों का समादर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	141-143
वाराणसी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से व्यापारियों तथा आम नागरिकों में उत्पन्न असुरक्षा की भावना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	143-145
मेरठ महानगर में हापुड़ रोड स्थित बूचड़खाने के आबादी में आ जाने से नागरिकों को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	145-147
प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों को शिक्षण शुल्क की छूट द्वारा गरीब असहाय छात्रों/छात्राओं का आर्थिक शोषण रोकने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	147-149
गढ़ रोड, मेरठ स्थित सब्जी मण्डी को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	150
नत्थियां	151-166

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 6 अगस्त, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय भट्ट, श्री	अल्मोड़ा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
दुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती

* मा० सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है ।

अवैध प्रकाशन

राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल सिंह वर्मा, श्री	इटावा
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विनय कुमार पाण्डेय ''बिन्नू'', श्री	गोण्डा
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरी किशन, श्री	कानपुर देहात
हरीश चन्द्र ''हरीश जी'', श्री	वाराणसी

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

* मा० सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है।

(बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 1997)

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

"विधायक विकास निधि" का प्रकरण तथा नियम 311 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, विधायक विकास निधि पर सरकारी पक्ष की ओर से कोई निर्णय नहीं आया है ? आज तक विधायक अपने दबाव से जो विकास के कार्य अपने यहां करा लेते थे, सरकार ने जो वक्तव्य दिया है उससे विकास कार्य प्रभावित हो सकता है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री ओम प्रकाश जी, वह प्रकरण कल ही समाप्त हो गया है । आप लोगों ने अपनी बात रख ली और शासन ने भी अपनी बात रखी थी । उस प्रकरण को अध्यक्ष पीठ ने समाप्त भी कर दिया है । इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वह आगे की कार्यवाही चलने दें ।

अब मैं नत्थी (क) पर प्रश्न संख्या–1 ले रहा हूं ।

(नेता विरोधी दल सहित समाजवादी पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें बप्त हुई हैं, उन्हें मैंने नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है । उसके अनुसार शलाका निकाली जायेगी । जो सूचना शलाका में आयेगी, उसे ग्राह्यता पर सुना जायेगा ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल सदन में जो विषय प्रस्तुत हुआ था और उसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वक्तव्य दिया, उससे बाहर दूसरा संदेश गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री पाल जी, यह प्रकरण समाप्त हो गया है । आप सभी लोगों की भावनायें कल सदन में आ गई है और वह सदन के अभिलेख में दर्ज भी हो गई हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं तो यह कह रहा हूं कि कल जो सरकार का वक्तव्य आया है, उस पर आपका संरक्षण माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये । क्योंकि मंत्री जी ने यह कहा है कि अगर यह व्यवस्था लागू कर दी गई तो विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और विकास की दर प्रभावित होगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह अलग बात है । नियम–56 के अन्तर्गत इस सूचना को कल ही समाप्त कर दिया गया है । अब आप कृपा करके बैठ जायं । आज की कार्यसूची के अनुसार कार्य करने दें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत हम लोगों की एक सूचना है । उस सूचना में हमने यह कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के चलते बाहर एक वक्तव्य दिया है कि लखनऊ तथा अन्य जगहों पर हत्यायें समाजवादी पार्टी करवा रही है । सदन के बाहर इस तरह का वक्तव्य देना और हमारी पार्टी को बदनाम करना नैतिक दृष्टि से भी गलत है और जो आरोप उन्होंने लगाया है वह मिथ्या भी है । इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप आज सदन की अन्य कार्यवाही को निलम्बित कर, इस पर चर्चा करवायें । क्योंकि यह प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है और सारा राजनैतिक क्षेत्र इससे प्रभावित होता है । माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है । अगर उन्हें कुछ कहना ही था तो इस सदन के अन्दर कहती और हम उसका जवाब यहां पर देते । इस तरह का आरोप लगाकर मुख्य मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर आप इस पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले भी सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था कि नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें मिली हैं, उन्हें मैंने नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है । शलाका के आधार पर जो सूचना आयेगी, उसकी ग्राह्यता पर सुना जायेगा । कार्य-सूची में जब उनका नम्बर आयेगा, तब मैं उसे सुनूंगा, शलाका के आधार पर ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ओम प्रकाश–

नेता सदन का इस प्रकार से बयान देना कि समाजवादी पार्टी के लोग हत्याएं करवा रहे हैं, यह ठीक नहीं है । कल नेता सदन ने यह बात बाहर की थी ।

श्री अध्यक्ष–

सदन के बाहर नेता सदन ने क्या कहा और क्या नहीं कहा इसका मैं संज्ञान नहीं लेता हूं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, क्या पेपर की खबरों का संज्ञान यहां पर लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि सदन के बाहर की बातों का मैं संज्ञान नहीं लेता हूं । आप लोग कृपया शांत रहें और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने दें । किसी भी मुख्य मंत्री, मंत्री ने जो कुछ सदन के बाहर विचार-व्यक्त किये हैं आप उनका उत्तर सदन के बाहर दे सकते हैं । कृपया बैठ जायें और सदन की कार्यवाही चलने दें ।

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, माननीय नेता सदन कहती हैं कि ला एण्ड आर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में ठीक है और वहीं यह कहती हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हत्यायें करवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण दूसरे रूप में पहले भी आ चुका है, जब माननीय विपक्ष के नेताओं ने एक ही दल के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, यह कहा था तो इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है इसलिए इस प्रकरण को दोबारा न उठायें । कृपया शांत रहें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, यह तो वही कहावत हो रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । हत्याएं यह करवा रहे हैं और नाम हमारा लिया जा रहा है ।

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के लोगों को आज आतंकित किया जा रहा है । उन्हें अकारण तंग किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें । आप लोग अपनी सीमा स्वयं जानते हैं और मैं भी अपनी सीमा जानेता हूं । मैं अपनी सीमा का उल्लंघन करना आवश्यक नहीं समझ रहा हूं इसलिए उत्तर नहीं दे रहा हूं । कृपया प्रश्न काल होने दें ।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे कि "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी ।")

आप लोग कृपया अपने-अपने स्थानों पर चले जायें । यह सदन की कार्यवाही चलने दें । इतना मैं आपसे अवश्य अनुरोध करूंगा कि संसदीय लोकतंत्र में पोटेशियम साइनाइड का इंजेक्शन देने का काम मत करें । इस संसदीय लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास आप लोग मत करें । कृपया अपने-अपने स्थानों पर जायें ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री शिव पाल सिंह यादव, श्री अम्बिका चौधरी आदि कई समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाने लगे और जोर-जोर से बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी नीति की जानकारी

श्री श्याम देव राय चौधरी–

**1–क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है और अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सरकार के नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से विभिन्न सुविधाओं एवं प्रोत्साहनों के साथ स्पष्टतः निर्धारित औद्योगिक नीति है । ऊर्जा, पर्यटन, निर्यात प्रोत्साहन, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्रों में अलग से विशेष रूप से अतिरिक्त सुविधाओं

युक्त निर्धारित नीतियां हैं । इन औद्योगिक नीतियों में जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं/सुविधाओं का समावेश किया गया है, वह निम्नवत् हैं:–

1–उच्च स्तर की भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

2–आदर्श औद्योगिक क्षेत्रों का विकास ।

3–अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन ।

4–उद्योग स्थापित करने तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अनिवासी भारतीयों द्वारा तथा देश के उद्यमियों की सहभागिता में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन ।

5–प्रशासन तंत्र के दृष्टिकोण में परिवर्तन ।

6–उद्योग स्थापित करने और उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए समयबद्ध स्वीकृतियां, त्वरित निर्णय तथा प्रभावी समन्वय के साथ अविलम्ब समस्या निवारण ।

7–नियमों व विधानों का आवश्कतानुसार सरलीकरण ।

8–उद्योगों की स्थापना तथा विस्तार के लिए संस्थागत वित्त विभाग को सुलभ उपलब्धता ।

9–व्यापार-कर का सुसंगत, प्रतिस्पर्धात्मक तथा प्रोत्साहन पर ढांचा ।

10–उद्योगों के विकास हेतु प्राथमिकता क्षेत्रों का निर्धारण व उनके विकास हेतु प्रोत्साहन परख नीति ।

11–उद्यमियों तथा उद्यमी संगठनों में निरन्तर संवाद ।

12–रु० 50 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश (कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण व इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों हेतु रु० 10.00 करोड़ से अधिक) के सम्बन्ध में उनकी समस्याओं के त्वरित निदान तथा प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की तत्परता से उपलब्धि करने के अभिप्राय से ''एस्कार्ट-अधिकारी'' का नामांकन ।

13–दुर्बल तथा पिछड़े वर्गों हेतु विशेष सुविधायें ।

14–उत्तराखण्ड हेतु विशेष सुविधायें ।

15–व्यापार-कर छूट की सुविधायें ।

अब तक इस दिशा में निम्न उपलब्धियां अर्जित की जा चुकी हैं :–

1–उत्तर प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 937 वृहद एवं मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई थी जिनमें पूंजी निवेश रु० 7843 करोड़ तथा रोजगार सृजन 4,48,938 था जो वित्तीय वर्ष 1996-97 के अन्त तक बढ़कर 1661 वृहद एवं मध्यम स्तरीय इकाइयों की स्थापना जिसमें पूंजी निवेश रु० 22,300 तथा 5,68,382 रोजगार सृजन हुआ, तक पहुंच गया ।

2–उत्तर प्रदेश का स्थान भारत सरकार से प्राप्त किये गये पूंजी निवेश विषयक प्रस्ताव में तीसरा स्थान है और प्रथम स्थान प्राप्त करने की प्रति स्पर्धा में लगा हुआ है ।

3–प्रदेश में उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराने में राज्य सरकार की कटिबद्धता है जिससे फलस्वरूप जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयेडा और ग्रेटर नोयेडा विकास प्राधिकरण की स्थापना हो चुकी है । गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में क्रमशः गीडा, सीडा तथा वीडा विकास प्राधिकरण की स्थापना हो चुकी है ।

नोएडा में इलेक्ट्रानिक सिटी, इण्डस्ट्रियल पार्क लोनी तथा मंसूरी गुलावटी रोड, गाजियाबाद एक्सपोर्ट प्रमोशन कामर्शियल पार्क, ग्रेटर नोयेडा ट्रोनिक सिटी लोनी, टैक्सटाइल्स सिटी तथा चमड़ा उद्योग परियोजना, कानपुर तथा ग्रेटर नोएडा में आधुनिकतम नगर की स्थापना प्रदेश सरकार की उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का परिचायक है ।

4–उद्यमियों की कठिनाइयों/समस्याओं के निदान हेतु एकल खिड़की सुविधा के अन्तर्गत जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर उद्योग बन्धु की स्थापना करायी गई है जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा समस्याओं के निदान का अच्छा प्रतिफल दृष्टिगोचर हो रहा है । विशेष आधार भूत सुविधाओं को सुलभ कराने एवं समस्याओं के निदान के संदर्भ में उच्च स्तरीय ''इम्पावर्ड-कमेटी'' की स्थापना की गयी है ।

5–वर्तमान नियमों व विधानों में परिवर्तन प्रक्रिया का सरलीकरण कराने के अभिप्राय से सम्बन्धित विभाग/विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों की अध्यक्षता में विद्युत, व्यापार-कर, अवस्थापना, वन, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, श्रम, पर्यावरण, इलेक्ट्रानिक्स और निर्यात प्रोत्साहन से सम्बन्धित वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है ।

6–उत्तर प्रदेश सरकार निजी पूंजी निवेश के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन कराने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील है ताकि उद्योगों की स्थापना में बिना किसी बाधा के आवश्यकताओं के अनुकूल विद्युत आपूर्ति की जा सके ।

इस प्ररिपेक्ष्य में 3 जल विद्युत परियोजनायें, 3 थर्मल पावर परियोजनायें, एक नैप्था और 8 डीजल आधारित परियोजनाओं में पूंजी निवेश प्रारम्भ होने की सम्भावना है । 10 को-जेनरेशन पावर परियोजनाओं में पी०पी०ए० पर हस्ताक्षर हो चुके हैं ।

7–पूंजी प्रोत्साहन हेतु विशिष्ट सेक्टरों में इन्वेस्टमार्ट, इन्टेकमार्ट का आयोजन किया जा रहा है जिसके माध्यम से उद्यमियों को प्रदेश में पूंजी निवेश की सम्भावनाओं की जानकारी दी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 12.20 तक स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

नोटः–उ० प्र० विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

प्रदेश व्यापार-कर समाप्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

**2–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यापारियों के हित में व्यापार-कर समाप्त करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

जी नहीं ।

लागू नहीं होता है ।

ऐसा करना प्रदेश के हित में नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद भदोही में कालीन उद्योग में वृद्धि

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही जनपद में कालीन उद्योग नष्ट-प्राय है ? यदि हां, तो क्या इस धन्धे को नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । बल्कि भदोही जनपद से कालीन का निर्यात विगत वर्षों से उत्तरोत्तर वृद्धि पर है ।

प्रदेश के वर्ष 1997-98 में अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करने के लक्ष्य के सम्बन्ध में जानकारी

*2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में कितने अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । उन्हें संतृप्त करने में अनुमानित व्यय क्या होगा ? क्या अनुमानित व्यय के लिये परिव्यय की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या ? संतृप्तता की शर्तें क्या हैं ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 90-91 से वर्ष 96-97 तक प्रदेश में 11,524 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं । इन ग्रामों में मुख्यतः सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, नाली/खड़ंजा, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निःशुल्क बोरिंग, एकीकृत ग्राम्य विकास, इन्दिरा आवास योजना, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, किसान पेंशन तथा विधवा पेंशन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं । पिछले वर्षों में ग्राम उपर्युक्त कार्यों से असंतृप्त रह गये थे, उनके सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि सम्पर्क मार्ग को छोड़ कर अन्य सभी कार्यक्रमों से वर्ष 97-98 में संतृप्त कर दिया जाय ।

इन अवशेष कार्यों को संतृप्त करने के लिये अनुमानित व्यय 582 करोड़ रुपये हैं ।

उपर्युक्त अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिये कार्यदायी विभागों द्वारा परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ।

संतृप्तीकरण हेतु विभागों द्वारा जो मानक निर्धारित किये गये हैं उसके अनुसार अम्बेडकर ग्राम में सम्पर्क मार्ग का निर्माण करना, ग्रामों का विद्युतीकरण करना, ग्रामों में नाली खड़ंजा का निर्माण करना, स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण करना, निःशुल्क बोरिंग एकीकृत, ग्राम्य विकास तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना, स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था किया जाना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना तथा किसान वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना, ये समस्त कार्य पूर्ण हो जाने पर अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्तीकरण माना जायेगा। संतृप्तीकरण के लिये 250 से कम आबादी वाले गांव में सम्पर्क मार्ग का निर्माण, विद्युतीकरण प्राथमिक स्कूलों की स्थापना तथा नाली खड़ंजा का निर्माण अनिवार्य नहीं है।

प्रदेश में शीरा सम्बन्धी सरकार की नीति

*3–डा० सुरजीत सिंह डंग–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शीरा के संदर्भ में सरकार की कोई नीति है? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि इस नीति के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीति में संशोधन के करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रदेश में कार्यरत चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर आंशिक नियंत्रण की नीति लागू है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की देशी शराब की अपरिहार्य आवश्यकताओं तथा शीरा एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुल उत्पादित शीरे के 65 प्रतिशत शीरे को रोक कर रखते हुए शेष 35 प्रतिशत शीरे को प्रदेश के भीतर आवागमन तथा मूल्य नियंत्रण से मुक्त रखा गया है, परन्तु प्रदेश से बाहर शीरा के निर्यात हेतु शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है। शीरा वर्ष 1995-96 व 96-97 में शीरे के अधिक उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल दि० 31-10-97 तक के लिये शीरा आरक्षण व अनारक्षण के अनुपात को तदर्थ रूप से 50:50 निर्धारित किया गया है। देशी शराब की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शत-प्रतिशत शीरा आवंटित करने के पश्चात अवशेष आरक्षित शीरे को शीरा व अल्कोहल पर आधारित समस्त उद्योगों को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर समान रूप से (प्रोरेटा बेसिस पर) आवंटित किया जाता है।

जी नहीं, उक्त शीरा नीति के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान शीरा नियंत्रण नीति राजस्वहित तथा औद्योगिक विकास के हित में सफल सिद्ध हुई है। अतः वर्तमान नीति में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

[दिनांक 6 अगस्त, 1997 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1-श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल-

[दि० 1-8-97 को अल्प सूचित तां० प्र० सं० 2 द्वारा उत्तरित]

सरकारी डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी भी है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी हां।

वर्ष 1983 में सरकारी डाक्टरों (एलोपैथिक) की प्राइवेट प्रैक्टिस को निर्बन्धित करने के लिये नियमावली बनायी गई थी जिसमें यह प्राविधानित है कि कोई भी सरकारी डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का हकदार न होगा। उक्त नियमावली में यह भी प्राविधान रखा गया है कि यदि कोई सरकारी डाक्टर इस नियमावली का उल्लंघन करता है तो उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 के अधीन दुराचरण का दोषी होगा। उक्त नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उसके उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित चिकित्सक के पूर्ण विवरण सहित शासन को अवगत कराने हेतु वर्ष 1996 में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिये गये हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने का दोषी पाये जाने वाले चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

सी० पी० एम० टी० में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये कथित आरक्षण व्यवस्था

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सी०पी०एम०टी० में वर्ष 1992 में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो क्या 1993 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसको पुनः लागू करने की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की मांग

*4-श्री अखिलेश कुमार सिंह-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शराब की बढ़ती प्रवृत्ति पर विचार करते हुए प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जन स्वास्थ्य व प्रदेश के आर्थिक संसाधनों के परिपेक्ष्य में पूर्ण मद्य निषेध व्यवहारिक नहीं हैं ।

प्रदेश में एड्स रोग के सम्बन्ध में जानकारी तथा बचाव की मांग

*5–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1993 से 1996 तक एड्स रोग के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ? उनमें से क्या जनपद गोण्डा में एड्स का कोई मामला सामने आया है ? यदि हां, तो उस रोगी से संबंधित लोगों के बारे में जानकारी करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इसे रोकने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

इस प्रदेश में वर्ष 1993 से 1996 तक एड्स के 47 रोगी प्रकाश में आए हैं ।

जी हां । इनमें से जनपद गोण्डा के 3 (तीन) एड्स के रोगी सर्वेलेन्स सेन्टर के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ द्वारा सूचित/चिन्हित किये गये हैं ।

इन रोगियों की पत्नियों एवं बच्चों के एच० आई० वी० रक्त परीक्षण की व्यवस्था करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इन रोगियों से संक्रमण को रोकने तथा बचाव सम्बन्धी सावधानियों को अवगत/शिक्षित करने के उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि एड्स का अब तक कोई उपचार आविष्कृत नहीं हो सका है ।

प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों एम० बी० बी० एस० प्रवेश परीक्षा तथा पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश हेतु पर्वतीय क्षेत्र के सामान्य व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ दिये जाने की जानकारी

*6–श्री राम औतार शाक्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में वर्ष 1995 तथा 1996 में एम० बी० बी० एस० प्रवेश परीक्षा तथा पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश हेतु पर्वतीय क्षेत्र के सामान्य व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ देते हुए प्रवेश दिलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त प्रवेश आरक्षण की नीति के विरुद्ध दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । एम० बी० बी० एस० प्रवेश परीक्षा (सी०पी०एम०टी०) में वर्ष 1995 से तथा पोस्ट-ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा (पी०जी०एम०ई०ई०) में वर्ष 1996 से पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ दिया गया है ।

एम०बी०बी०एस० प्रवेश परीक्षा (सी०पी०एम०टी०) में रिट याचिका संख्या–(सिविल) 276/1995 संलग्न रिट याचिका संख्या–(सिविल) 326/1995 अनिल कुमार गुप्ता आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पहाड़ी क्षेत्र एवं उत्तराखण्ड क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षण मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय दिनांक 28-7-95 के अनुपालन में दिया गया था । जिसके आधार पर पहाड़ी क्षेत्र एवं उत्तराखण्ड क्षेत्र के निवासियों को (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत के अन्तर्गत, वर्टिकल आरक्षण शासनादेश संख्या–5827 सेक–14/पांच–111/93 दिनांक 17.11.95 द्वारा प्रदान किया गया है ।

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में रिट याचिका संख्या–32637/95 पूजा चमोली बनाम उ० प्र० राज्य में दिनांक 21[illegible] (सिविल) 276/1995 संलग्न रिट याचिका संख्या–326/1995 अनिल कुमार गुप्ता आदि बनाम उ० प्र० राज्य जे० डी० 1995 (5) सुप्रीम कोर्ट (505) में पारित निर्णय दिनांक 28-7-95 के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में पहाड़ी एवं उत्तरांचल क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए हारिजेन्टल के स्थान पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के 27 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण में सम्मिलित किये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या–680 सेक–14/पांच–96–डब्लू–132/95 दिनांक 19-3-96 द्वारा लिया गया है । जी नहीं । उक्त व्यवस्था उपरोक्त परिस्थितियों में शासनादेश के माध्यम से की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में निर्धन एवं आवासहीन व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास दिये जाने की जानकारी

*7–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्धन एवं आवासहीन व्यक्तियों के लिए इन्दिरा आवास की योजना का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो इंदिरा आवास केवल अम्बेडकर गांवों में ही देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो अन्य गांवों के निर्धन एवं आवासहीन व्यक्तियों के लिए कौन सी आवासीय योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जी हां ।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास उपलब्ध कराया जाता है । योजनान्तर्गत कुल लाभार्थियों के सापेक्ष न्यूनतम 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी गढ़वाल जनपद में अवरुद्ध योजनाओं को वन अधिनियम से छूट देकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

*8–श्री लाखी राम जोशी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में वन अधिनियम, 1980 के कारण कुल कितने मोटर मार्गों, सिंचाई नहरों, पेयजल योजनाओं, विद्युत लाईनों का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? क्या राज्य सरकार अवरुद्ध योजनाओं को वन अधिनियम से छूट देकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर जनता को सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

टिहरी गढ़वाल जनपद में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत याचक विभागों द्वारा अपूर्ण प्रस्ताव भेजने के कारण या भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन की शर्तों के अनुपालन न होने के कारण लोक निर्माण, सिंचाई, जल निगम व विद्युत विभागों द्वारा भेजे गये लम्बित प्रस्तावों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

1–लोक निर्माण विभाग	13
2–सिंचाई (नहर)	शून्य
3–जल निगम	3
4–विद्युत लाइनें	शून्य

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 भारत सरकार का अधिनियम है इसके अन्तर्गत छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदत्त नहीं है ।

फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उत्पादन प्रतिष्ठानों को गैस कनेक्शन दिये जाने की मांग

*9. श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उत्पादन प्रतिष्ठानों को कोयला के स्थान पर गैस द्वारा कांच-चूड़ी प्रतिष्ठानों को कार्यरत बनाये रखने हेतु गैस कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे ? क्या यह सही है कि गैस आपूर्ति लाइन के निर्माण होने और फिरोजाबाद को गैस कनेक्शन देने की नीति बनी है ? यदि हां, तो क्या सरकार हर प्रतिष्ठान को गैस आपूर्ति करेगी ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचना के अनुसार फिरोजाबाद जनपद में गैस प्राप्ति हेतु संविदा करने वाली 64 इकाईयों में से प्रथम चरण में 06 इकाइयों को अगस्त, 1997 तक द्वितीय चरण में 18 इकाइयों को नवम्बर, 1997 तक तथा तृतीय चरण में 40 इकाइयों को मार्च, 1998 तक गैस उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

जी हां । भारत सरकार ने गैस को 06 एम०एम०एस०सी०एम०डी० गैस का आवंटन "आगरा फिरोजाबाद गैस वितरण परियोजना" हेतु किया है, जिससे इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गैस दी जा रही है ।

वर्तमान में सभी आवेदक इकाईयां को गैस उपलब्ध नहीं हो सकेगी क्योंकि जनपद फिरोजाबाद में संविदा करने वाली 64 इकाइयों ने आवंटित कुल तीन लाख एम०सी०एम०डी०एम० गैस आरक्षित करा ली है ।

*10. श्री समर पाल सिंह–

[6ठें मंगल को ता० प्र० सं० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड विकास हेतु दिये गये धन का विवरण

*11-श्री विवेक कुमार सिंह तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड के विकास हेतु कितना-कितना धन इन क्षेत्रों के विकास निधि में वर्ष 93-94 से वर्ष 96-97 तक अलग-अलग दिया गया ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त धन की मात्रा के निर्धारण का मानक क्या है ?

सुश्री मायावती-

उत्तराखण्ड क्षेत्र के लिये निधि स्थापित नहीं है । केवल पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु निधियां स्थापित हैं और वर्ष 1993-94 से 1996-97 का इन निधियों का वर्षवार परिव्यय निम्नवत् है ।

परिव्यय (करोड़ रु०)

वर्ष	पूर्वांचल निधि	बुन्देलखण्ड निधि
1993-94	40.00	10.00
1994-95	48.00	12.00
1995-96	56.00	14.00
1996-97	64.00	16.00

उपर्युक्त निधियों हेतु परिव्यय की व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता एवं विगत वर्षों के व्यय आदि को दृष्टिपथ में रखकर किया जाता है इसके लिये कोई विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं है ।

*12-श्री विनोद मणि-

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।।

जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा वृद्धावस्था/किसान पेंशन का भुगतान रोके जाने का औचित्य

*13-श्री विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू'-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा पहले से स्वीकृत सभी वृद्धों एवं विधवाओं को पेंशन राशि का भुगतान न कर उसे निरस्त कर नये आवेदन भराने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या उक्त आशय का आदेश जनपद गोण्डा में ही जारी किया गया है और उ० प्र० शासन से ऐसा आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार गोण्डा जनपद के जिलाधिकारी के ऐसे आदेश को रोकने के निर्देश देगी जिससे पात्र पेंशनरों को पूर्ववत पेंशन मिल सके ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)-

केवल वृद्धावस्था/किसान पेंशन का भुगतान रोकने के आदेश दिये गये थे । निराश्रित विधवा भरण-पोषण अनुदान यथावत् दिया जा रहा है ।

वृद्धावस्था किसान पेंशन का भुगतान रोकने के आदेश दिनांक 9-1-97 को दिये गये थे ।

निदेशक, समाज कल्याण एवं विशेष जांच दल द्वारा जांच के अनुसार उक्त आशय का आदेश निदेशक, समाज कल्याण के निर्देशानुसार जनपद गोण्डा में जारी किया गया है ।

शिकायती आधार पर जांच के फलस्वरूप प्रश्नगत आदेश फर्जी आहरण पर रोक लगाने के दृष्टिकोण से निर्गत किये गये थे।

जनपद स्तर से सभी बैंकों को यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों को उनके पेंशनर्स कार्ड देखकर बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाय।

फाइलेरिया की दवा के परीक्षण कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

*14 श्रीमती गुलाब देवी–

विधान सभा के प्रथम सत्र वर्ष 1995 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-45 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फाइलेरिया की दवा का परीक्षण पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो वह किस नाम से अस्पताल अथवा बाजार में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो परीक्षण किस स्तर पर है ? कब तक उक्त दवा बाजार में उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

दवा का परीक्षण भारत सरकार द्वारा साउथ आरकोट जिला बिल्लौर, प्रान्त तमिलनाडू में जारी है और उत्साहवर्धक परिणाम आ रहे हैं।

दवा का परीक्षण पूर्ण होने पर आवश्यक औपचारिकताओं के उपरान्त दवा का बाजार में उपलब्ध होना सम्भव होगा।

*15–श्री तेजभान सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत पाइप खरीद में घोटाले की जांच

*16 श्री सीताराम निषाद–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1996-97 में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग उ० प्र० ने स्वयं पाइप को खरीद व आपूर्ति की है जिसमें घटिया किस्म की पाइप खरीद कर करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो लघु सिंचाई विभाग ने किन-किन फर्मों/कम्पनियों एवं एजेन्सियों से पाइप की खरीदारी की है ? क्या पाइप घोटाला काण्ड के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराई गई है ? यदि हां, तो सरकार ने जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1996-97 में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत पाइपों की आपूर्ति मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा विज्ञापित दर अनुबन्ध की व्यवस्था के अन्तर्गत कराई गई है। पाइप की आपूर्ति उद्योग निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट निरीक्षण एजेन्सियों से पाइप की गुणवत्ता सत्यापित होने के उपरान्त प्राप्त की गई है।

संलग्नक–1 पर एम०एस० पाइप की आपूर्ति तथा संलग्नक-2 पर पी०वी०सी० पाइप की आपूर्ति से सम्बन्धित फर्मों की सूची उपलब्ध है।

जी हां।

जांच समिति की संस्तुतियां शासन द्वारा स्वीकार कर ली गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ–151 पर)

प्रदेश में देवरिया एवं गोरखपुर जनपदों को मच्छरों एवं भीषण संक्रामक रोगों से बचाव हेतु कार्य

*17–श्री बाबू राम तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के देवरिया एवं गोरखपुर जनपदों को मच्छरों एवं भीषण संक्रामक रोग से बचाने हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? क्या प्रदेश के वार्षिक बजट में इसके लिये प्राविधान है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में उक्त जनपदों में छिड़काव कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पद पर कितनी धनराशि व्यय हुई और उक्त कार्य में कितने लोग लगाये गये थे ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

रोग वाहक मच्छरों के नियंत्रण हेतु जनपद देवरिया एवं गोरखपुर में कीटनाशकों का छिड़काव कराया जाता है । इनके नियंत्रण के लिये नगरीय क्षेत्रों में फाइलेरिया नियंत्रण इकाइयां कार्यरत हैं, जो साप्ताहिक अन्तराल में नियमित रूप से एबेट एवं बेटेक्स लार्वानाशकों का छिड़काव करती है । संक्रामक रोगों से बचाव हेतु कुओं को विसंक्रमित, क्लोरीन गोलियों एवं ओर० आर० एस० पैकेट का वितरण किया गया तथा पेयजल के ओ० टी० टेस्ट कराये जा रहे हैं एवं इसके बचाव हेतु क्या करें क्या न करें का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है ।

जी हां ।

जी हां ।

पिछले तीन वर्षों में जनपद देवरिया एवं गोरखपुर में किये गये छिड़काव कार्य पर रुपया 24,06,200.00 (रुपया चौबिस लाख छः हजार दो सौ मात्र) की धनराशि व्यय हुई तथा 585 मजदूर लगाये गये थे ।

लखनऊ में इन्दिरा नगर डी० ब्लाक स्थित पिकनिक स्पाट रोड पर लगे पुराने यूकिलिप्टस के पेड़ों को कटवाने की मांग

*18–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि डी० ब्लाक, इंदिरा नगर, लखनऊ स्थित पिकनिक स्पाट रोड पर लगे यूकिलिप्टस के पेड़ काफी पुराने एवं कमजोर हो जाने के कारण कभी भी गिर सकते हैं ? क्या यह सही है कि उन पेड़ों को कटवाने हेतु वहां के निवासियों द्वारा कई वर्षों से मांग की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक उन्हें न कटवाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर उक्त विशालकाय पेड़ों को कटवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । पिकनिक स्पाट रोड पर लगे पेड़ पुराने अवश्य है, परन्तु प्रथम दृष्ट्या गिरने वाले प्रतीत नहीं होते हैं ।

जी हां ।

विभागीय प्रबन्ध योजना के अनुसार सड़कों के किनारे एक पंक्ति में लगाये गये वृक्षों को उनके सूखने, गिरने अथवा रूग्ण होने की दशा में ही काटकर हटाया जाता है। अतः इन्हें अभी नहीं कटवाया जायेगा।

यद्यपि प्रथम दृष्ट्या पेड़ गिरने वाले प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी प्रकरण में पेड़ों के गिरने की आशंका के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय गहन जांच कर यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं।

समाज कल्याण कार्यालय, मिर्जापुर में पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गये चेकों के लाभ प्राप्त कर्ताओं का न मिलने के सम्बन्ध में जांच की मांग

*19-डा० सरजीत सिंह डंग-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या समाज कल्याण कार्यालय, मिर्जापुर में 28-5-97 को 180 पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गये चेकों के लाभ प्राप्तकर्ताओं को (राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत) न मिलने की घटना प्रकाश में आयी है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लाभार्थियों को पुनः चेक निर्गत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

डा० बी० कुमार, निदेशक नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ नेचुरल साइंसेस कानपुर का सचिव, चिकित्सा को प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

1-डा० गंगा बख्श सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० ऐक्ट संख्या-18, वर्ष 1982 की धारा 12(2) (क) के अन्तर्गत पंजीयन के संबंध में डा० बी० कुमार, निदेशक, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ नेचुरल साइंसेस, कानपुर का पंजीकृत पत्र दिनांक 17-4-97 सचिव, चिकित्सा अनुभाग-9 उ० प्र० शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

यू० पी० इण्डियन मेडिसिन एक्ट, 1939 में प्राकृतिक उद्योग, शिक्षा में शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं में पंजीकरण व्यवस्था न होने के कारण प्रश्नगत संस्था का पंजीयन फिलहाल सम्भव नहीं है।

होम्योपैथिक निदेशालय लखनऊ केअन्तर्गत रिक्त विभिन्न पदों पर आरक्षण कोटा का विवरण

2-डा० गंगा बख्श सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-78 के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वांछित सूचनायें एकत्र की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या उन्हें सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां। †

प्रश्न नहीं उठता।

---

† वांछित सूचना सदन को पटल पर रख दी गयी।

होम्योपैथिक निदेशालय के उत्तर प्रदेश लोक सेवा में आरक्षण सहित सभी पदों की स्थिति

3-डा० गंगा बख्श सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये बिना भरे सभी श्रेणी के आरक्षित पदों पर विशेष भर्ती द्वारा तदर्थ चयन कराये जाने विषयक श्री महेश दाल्मीकी, तत्कालीन विधायक के पत्र दिनांक 22-7-95 पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? वर्तमान में होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ के अन्तर्गत प्राचार्य, प्रोफेसर, रीडर, प्रवक्ता, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, डिमांस्ट्रेटर, समूह "ग" तथा "घ" के अलग-अलग कुल कितने पद शासन द्वारा स्वीकृत है ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या एवं प्रतिशत क्या है ? इनमें से अलग-अलग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये आरक्षित कितने पद श्रेणीवार रिक्त हैं ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 22-7-95 प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 152 पर)

देवरिया, जनपद रुद्रपुर क्षेत्र में बाढ़ से बचाव कार्य में हुए व्यय के सम्बन्ध में जानकारी

4-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए वर्ष 1995-96 एवं वर्ष 1996-97 में कौन-कौन से कार्य कराये गये ? कुल कितना व्यय हुआ ? आगामी वर्ष 1997-98 में बाढ़ से बचाव हेतु क्या प्रस्ताव है ?

सिंचाई एवं गन्ना मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में पचलड़ी बांध के कि०मी० 3.70 पर रिटायरमेन्ट तथा पचलड़ी बांध के 5.60 कि०मी०, मराछी नगवा डौला बांध के 0.56 कि०मी०, नगवा छपरा बांध के 8.70 कि०मी० तथा पिंडरा-करनपुर बांध के 2.40 कि०मी० पर कटाव निरोधक कार्य कराये गये ।

वर्ष 1996-97 में उपरोक्त परियोजनाओं के अवशेष कार्य कराये गये ।

वर्ष 1995-96 में रु० 250.50 लाख तथा वर्ष 1996-97 में रु० 26.40 लाख के कार्य कराये गये ।

वर्ष 1997-98 में बाढ़ बचाव हेतु तिहरा मराछी बांध के 12.00 कि०मी०, मराछी नगवा डौला बांध के 0.60 कि० मी०, भुसवल भिड़रा बांध के 2.1 कि०मी०, पिंडरा करनपुर बांध के 2.4 कि०मी०, पचलड़ी बांध के 5.6 कि०मी० तथा 7.0 कि०मी०, नगवा छपरा बांध के 8.7 कि०मी० पर कटाव निरोधक कार्य एवं मदनपुर केवटलिया बांध के 0.5 कि०मी० एवं 1.35 कि०मी० पर बांध के सुरक्षार्थ कुल रु० 50.17 लाख के कार्य कराये जाने प्रस्तावित है, जिसके विरुद्ध रु० 36.75 लाख के कार्य कराये जा चुके हैं ।

5-श्री जय प्रकाश निषाद-

[दि० 30-7-97 को अता० प्र० सं० 92 द्वारा उत्तरित]

मिलों में आरक्षण कोटे के सम्बन्ध मे चीनी मिल संघ, लखनऊ के पत्र पर कार्यवाही

6-श्री चेतराम एडवोकेट-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल संघ लखनऊ के पत्र सं०-1791/यू०पी०एफ०/जे०एम०डी०/पी०ए०/97 दिनांक 6-6-97 के द्वारा मिलों में आरक्षण कोटा विभिन्न श्रेणी के पदों में दिनांक 30-6-97 तक पूरा करने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक के पत्र सं०-426/यू०पी०एफ०/स्था०-9/97, दिनांक 4-6-97 के क्रम में जारी किए गये तथा मिल में केवल आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप पदनामीकरण के निर्देश दिये गये हैं ?

यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल पुवायां-शाहजहांपुर में अब तक उपरोक्त आदेशानुसार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

आदेश के अनुपालन में दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, पुवायां (शाहजहांपुर) में नियमानुसार मिल स्तर पर विभागीय कमेटी का गठन कर कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

श्री पीयूष नेने की प्रदेश के बाहर पी० डी० हिन्दुजा नेशनल अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेन्टर बम्बई करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

7-डा० गंगा बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० ए० के० नेने, प्रवक्ता, पं० जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर के पुत्र श्री पियूष नेने की प्रदेश के बाहर पी० डी० हिन्दुजा नेशनल अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेन्टर, बम्बई में कराई गई चिकित्सा के व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में डा० ए० के० नेने, प्रवक्ता का पत्र दिनांक 5-6-97, जो सचिव वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 को सम्बोधित है तथा सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–15 को पृष्ठांकित है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? रु० 50014.00 के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किस तिथि तक करा दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

इस प्रकरण में स्वास्थ्य निदेशालय से आख्या मांगी गयी है । तदुपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

अधिवर्षत पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु/सेवा निवृत्त ग्रेच्युटी आदि की अदायगी में विलम्ब होने सम्बन्धी श्रीमती श्रीदेवी का पत्र

8–डा० गंगा बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिवर्षता पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु/सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु वर्तमान कार्य प्रणाली का सरलीकरण विषयक श्रीमती श्रीदेवी पत्नी स्व० डा० रामकृष्ण कटियार निवासी ग्राम शेखपुर धर्मशाला, पोस्ट बरण्डा जिला कानपुर देहात का प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-5-97 सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–9 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? देयों का भुगतान कब तक करा देंगे ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक को भेजा गया । इस क्रम में उल्लेखनीय है कि डा० राम कृष्ण कटियार, वर्ष 1993-94 में आयुर्वेद घोटाला में अन्तर्ग्रस्त पाये गये हैं, और इस अवधि में इन्होंने तत्कालीन निदेशक से दुरभि संधि करके क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सिद्धार्थनगर के रूप में लगभग 47.50 लाख रुपये का अनियमित आहरण किया । इस प्रकरण की जांच मा० उच्च न्यायालय के आदेश से सी० बी० आई० द्वारा की जा रही है । निदेशक ने सूचित किया है कि डा० रामकृष्ण कटियार को 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत जी० पी० एफ० का भुगतान किया जा चुका है और 240 दिनों के अर्जित अवकाश का राशिकरण का भुगतान किया जा चुका है । इनके सामूहिक बीमा सम्बन्धी प्रपत्र बीमा निदेशालय को भेजे गये थे । बीमा निदेशालय द्वारा उत्तराधिकार का प्रमाण-पत्र मांगा है, जिसे श्रीमती कटियार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० का 32, सरोजनी नायडू मार्ग स्थित किराये पर आवंटित आयुर्वेद भवन निदेशालय के बकाया धनराशि के भुगतान की मांग

9. श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारती चिकित्सा परिषद् उ०प्र० का 32, सरोजनी नायडू मार्ग स्थित आयुर्वेद भवन आयुर्वेद निदेशालय को किराये पर आवंटित है ? क्या यह सही है कि निदेशालय द्वारा (4.000)/- रुपये की धनराशि का भुगतान परिषद् को नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों और बकाया किराया धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रदेश के सशुल्क भवनों हेतु किराया स्वीकृत कर पी०एल०ए० में जमा किया गया है । जिसकी आहरण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज ब्लाक लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत बसमनिया एवं रोहिन नदी पर रघुनाथपुर से राजिस्सुबाइन तक बन्धे का आर० ई० एस० विभाग द्वारा कराये गये निर्माण की जांच

10. श्री अमरमणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद–महराजगंज ब्लाक–लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत बसमनिया एवं रोहिन नदी पर रघुनाथपुर से राजिस्सुबाइन तक बन्धे का आर० ई० एस० विभाग द्वारा निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो उसका तकनीकी परीक्षण किस संस्था द्वारा कराया गया ? क्या बाढ़ नियंत्रण हेतु नदी से निर्धारित दूरी पर उक्त बन्धे का निर्माण हुआ है ? क्या उक्त बन्धे का निर्माण दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत हुआ है, जिसमें मानव दिवस सृजित करना निर्धारित मानक में है । यदि हां, तो उक्त बन्धे के निर्माण में मानव दिवस सृजित हुआ है ? क्या यह सही है कि ट्रैक्टर से ठेकेदारी प्रथा द्वारा काम कराया गया है ? क्या जिला परियोजना निदेशक के पत्र दिनांक 4-6-97 को लिखित पत्र में जांचोपरान्त यह स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये अधिकारियों से सरकारी धन की वसूली होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गंगा प्रसाद पुष्कर)–

जी हां ।

तकनीकी परीक्षण अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल, गोरखपुर द्वारा किया गया था ।

जी हां ।

जी नहीं । तटबन्ध के मैकेनिकल कम्प्रेशन हेतु रोलर चलाने के लिए ही ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया है, जिसका प्राविधान आगणन में था ।

जी हां, स्वीकारोक्ति तकनीकी जांच के आधार पर नहीं की गयी है ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा जांच की जा रही है, जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

नरौरा डिवीजन के उपखण्ड नदरई द्वारा धन व्यय किये जाने की शिकायत

11–श्री नेतराम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरौरा डिवीजन के उपखण्ड नदरई के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता ने सामूहिक रूप से सफाई सिल्ट मरम्मत के नाम पर शासन के धन की फर्जी तरीके से व्यय करने जैसी गम्भीर आरोपों सहित प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र अधिशासी अभियन्ता नरौरा को माह नवम्बर, 97 तथा मंत्री जी को माह मई, 97 को मिले थे ? यदि हां, तो जांचकर्ता कौन थे और जांच के परिणाम क्या हैं ? जांच आख्या पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

12–श्री दीप लाल भारती–

[दि० 30-7-97 को अता० प्र० सं० 126 द्वारा उत्तरित]

लाल बहादुर चिकित्सालय रामनगर, वाराणसी में नयी एक्स रे मशीन की व्यवस्था की मांग

13–श्री छब्बू पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जानकारी है कि लाल बहादुर चिकित्सालय रामनगर, वाराणसी में विगत कई वर्षों से एक्सरे मशीन खराब है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार नई एक्सरे मशीन क्रय करने के लिये धन की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, किन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत मरीजों को एक्सरे हेतु जिला अस्पताल संदर्भित किया जाता रहा है । चिकित्सालय में नई एक्स-रे मशीन की स्थापना जिला योजना का विषय है और जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में नलकूप खण्ड प्रथम गोण्डा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जांच

14–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में नलकूप खण्ड प्रथम गोण्डा भ्रष्टाचार के संबंध में स्वास्थ्य मजदूर संघ जनपद गोण्डा के अध्यक्ष ने अपने पत्रांक–165/4-97 द्वारा सिंचाई मंत्री को सूचित किया है ? यदि हां, तो क्या बिन्दुवार समस्याओं का जांच एवं भौतिक सत्यापन करवाकर अधिशासी अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में नलकूपों की मरम्मत आदि में व्यय धन का विवरण

15–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में नलकूप खण्ड प्रथम गोण्डा में कितने राजकीय नलकूप है ? वर्ष 1993 से 1997 मई तक किन-किन नलकूपों की मरम्मत, अण्डरग्राउन्ड नालियों के निर्माण, गूलों तथा आन्तरिक विद्युत दोष को ठीक कराने के नाम पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि नलकूपों पर कार्य करवाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करवाकर दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जनपद गोण्डा के नलकूप खण्ड, गोण्डा में 424 राजकीय नलकूप हैं ।

वर्ष 1993 से मई, 1997 तक नलकूपों की मरम्मत, अन्डरग्राउन्ड नालियों के निर्माण, गूलों तथा आन्तरिक विद्युत दोषों को ठीक कराने में हुये व्यय नलकूपवार विवरण संलग्न है ।

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 154–157 पर)

बुन्देल खण्ड के महोबा में सलारपुरा बांध के ऊंचा किये जाने की मांग

16–श्री अरिमर्दन सिंह–

[illegible] सिंचाई मंत्री [illegible] कृपा करेंगे कि बुन्देल खण्ड के पिछड़े क्षेत्र महोबा में सलारपुरा बांध को ऊंचा [illegible] शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य पूरा किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[दि० 30-7-97 को अता०प्र०सं० 152 द्वारा उत्तरित]

मिर्जापुर जनपद में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव

18–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद पिछले कितनी अवधि से खाली है ? क्या मिरजापुर में जिला समाज कल्याण अधिकारी, पद स्थापित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जिला समाज कल्याण अधिकारी, मिर्जापुर का पद मार्च, 1996 से रिक्त है ।

विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी के 22 पद रिक्त हैं, जिन पर पदोन्नति का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा गया है । लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति होने पर तैनाती की जा सकेगी ।

भदोही जनपद गोपीगंज विकास खण्ड के कतिपय गांवों में बनाये गये आवासों के सम्बन्ध में जानकारी

19–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही जनपद गोपीगंज, विकास खण्ड में 1995-96 तथा 1996-97 में अनुसूचित जाति निर्बल आवास जे० आर० वाई० या एस० आर० वाई० में किन गांवों में क्या कार्य हुआ तथा दस लाख कूप योजनान्तर्गत किन गांवों को कि मद में कितना खर्च किया गया ? ग्राम सभा कांवल में क्या निर्बल आवास बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूची संलग्न है । †

---

† छापी नहीं गयी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र के खराब नलकूपों को ठीक किये जाने के निर्देश

20–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने नलकूप खराब हैं ? उनको कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 31-7-97 की स्थिति के अनुसार 19 नलकूप यांत्रिक दोष तथा 17 नलकूप विद्युत दोष के कारण खराब हैं ।

यांत्रिक/विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों को तत्काल ठीक कराकर चालू किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामदेव तिवारी (सेवा निवृत्त) रोडमेट नवाबगंज गोण्डा के अवशेष देयों का भुगतान

21—श्री तेजभान सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि गन्ना आयुक्त, उ० प्र० को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-5-97 का पत्र जिसमें श्री रामदेव तिवारी ग्राम राधे तिवारी मजरे लाल बहादुरपुर, पो० जकेशरगंज, सुल्तानपुर (सेवा निवृत्त रोडमेट) नवाबगंज, गोण्डा का बकाया वेतन, पी० एफ० मंहगाई व नगदीकरण आदि का भुगतान अब तक न करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित मा० सदस्य विधान सभा का पत्र गन्ना आयुक्त, उ० प्र० को प्राप्त नहीं हुआ है । श्री रामदेव तिवारी (सेवा निवृत्त) रोडमेट नवाबगंज गोण्डा के समस्त अवशेष देयों का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में निराश्रित,विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशनों के लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में जानकारी

22–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में अब तक निराश्रित, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं विकलांग पेंशन के कितने प्रकरण लम्बित है और कितनों को अलग-अलग पेंशन दी जा रही है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि वर्ष 1995-96 व1996-97 में इस जनपद को कितना धन एलाट किया गया और वर्ष 1997-98 में कितना दिया गया और कितना दिया जाना प्रस्तावित है ?

श्री श्रीराम पाल–

जनपद मैनपुरी में निराश्रित विधवा पेंशन के 1025, वृद्धावस्था पेंशन के 251 तथा विकलांग पेंशन के 534 प्रकरण लम्बित हैं । जनपद में 4165 को विधवा पेंशन 11945 को वृद्धावस्था पेंशन तथा 1058 को विकलांग पेंशन दी जा रही है ।

विधवा पेंशन के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में 37-09 लाख तथा वर्ष 1996-97 में 52.58 लाख का आबंटन किया गया । वर्ष 1997-98 में 21.247 लाख का आवंटन किया गया तथा 21.243 लाख और दिया जाना प्रस्तावित है ।

वृद्धावस्था पेंशन में वर्ष 1995-96 में 159.69 लाख तथा वर्ष 1996-97 में 169.27 लाख का आवंटन किया गया । वर्ष 1997-98 में अब तक 60.4 लाख का आवंटन किया गया है तथा 118.76 लाख और दिया जाना प्रस्तावित है ।

विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 1995-96 में 10.71 लाख तथा वर्ष 1996-97 में 13.00 लाख का आवंटन किया गया ।वर्ष 1997-98 में अब तक 6.50 लाख का आवंटन किया गया है तथा 82.83 लाख और दिया जाना प्रस्तावित है ।

प्रशिक्षण प्राप्त सींच पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग

23–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सींच पर्यवेक्षक पद का प्रशिक्षण प्राप्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित पद पर नियुक्ति करने का प्रमुख अभि० सिं० वि०,उत्तर प्रदेश के आदेश सं०–867/का०प्र०अ०प्र०/पी 4(2), दिनांक 5-4-97 हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही की जायेगी तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के पत्रांक –867/का०प्र०अ०प्र०/पी–4(2),दिनांक 5-4-97 में नियुक्ति हेतु कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

24–श्री राम विशुन आजाद–

[दि० 23-7-97 को अता०प्र०सं० 10(ठ) द्वारा उत्तरित]

क्षेत्र उतरौला, जनपद गोण्डा में गन्ना विकास विभाग द्वारा विभिन्न मार्गों के निर्माण का विवरण

25–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद गोण्डा में गन्ना विकास द्वारा किन-किन मार्गों का निर्माण वर्ष 1995-96 व 1996-97 में कराया गया है और उन मार्गों पर कितनी धनराशि स्वीकृत हुई तथा कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि निर्माण कार्य निम्न स्तर के कराये गये हैं ? क्या जांचोपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । प्रश्नगत क्षेत्र में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कराया गया :–

1–आदमपुर से प्रेमनगर आ गया होते हुये देवरिया मुबारकपुर तक मिट्टी कार्य ।

2–उतरौला–बलरामपुर पर पडरी रामनाथ से महमूदनगर होते हुये सुवाव नाला इमिलिया रज्जाक गायडीह तक मिट्टी, पुलिया ।

3–बलरामपुर–उतरौला मार्ग से ढोवाडावर वायागालिवपुर मार्ग खड़न्जा, पुलिया ।

4–रुस्तमनगर से विरदा बनयाभारी मोहनजोत होते हुये उतरौला मटियरिया मार्ग खड़ंजा, पुलिया ।

5–उतरौला–मनकापुर मार्ग से टेढ़वा ऐमा तक मिट्टी, पुलिया ।

6–उतरौला–बलरामपुर मार्ग पर रमवापुर से कला रमवापुर खुर्द बरेली उपरहल्ला होते हुये तिलहर तक मिट्टी, पुलिया ।

7–उतरौला सादुल्लानगर मार्ग पर विलारपुर गहरौला बौला सकरा चिलरिया देवरिया जगाल से उतरौला ।

8–पेहर से बड़हरा मिठौरा सकरडीह, रनवरिया, बुजुर्ग मानापार होते हुये उतरौला हुसैनाबाद मिट्टी, पुलिया।

9–उतरौला–मनकापुर रोड पर टेढवाऐमा प्रीमिक्सिंग कार्य।

उपर्युक्त मार्गों के निर्माण हेतु रुपया 75.89 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसके विरुद्ध लगभग रुपया 49.27 लाख व्यय किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उतरौला जनपद गोण्डा में अम्बेडकर ग्रामों एवं गांधी ग्रामों के विकास कार्य पर उपलब्ध कराई गयी धनराशि

26–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद गोण्डा में चयनित अम्बेडकर ग्रामों एवं गांधी ग्रामों को वर्ष 1996-97 की योजना में विकास कार्य हेतु कितना धन उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1996-97 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में विकास कार्य हेतु रु० 51,77,458.96 एवं गांधी ग्रामों में विकास कार्य हेतु रु० 7,29,639.21 की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

लघु सिंचाई योजना उतरौला जनपद गोण्डा के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति कृषक व लघु कृषक तथा सीमान्त कृषकों को दी गयी अनुदान धनराशि का विवरण

27–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई योजना उतरौला जनपद गोण्डा के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषक व लघु कृषक तथा सीमान्त कृषकों को वित्तीय वर्ष 1995-96 व 1996-97 में निःशुल्क बोरिंग पर कितना अनुदान दिया गया है ? क्या अनुदान राशि का सही प्रयोग हुआ ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थल निरीक्षण करायेगी ?

सुश्री मायावती–

लघु सिंचाई योजना, उतरौला,जनपद गोण्डा के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के किसी भी कृषक को वर्ष 95–96 एवं 96-97 में कोई अनुदान नहीं दिया गया है। लघु तथा सीमान्त कृषकों की निःशुल्क बोरिंग पर वर्ष 95-96 में रु० 20,38,129.00 वर्ष 96-97 में रु० 28,070,151.90 व्यय किया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ तथा हरदोई के वन प्रभागों के मूल जनपद में कार्यरत रेंजर तथा फारेस्टरों के स्थानान्तरण की मांग

28–श्री तेजभान सिंह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में जिला लखनऊ तथा हरदोई के वन विभाग में कितने ऐसे रेंजर तथा फारेस्टर हैं, जो उसी जनपद के मूल निवासी हैं और उसी जनपद के क्षेत्रों में नियुक्त है ? क्या सरकार शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत ऐसे कर्मियों को जनपद के बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद लखनऊ तथा हरदोई के वन प्रभागों में ऐसा कोई भी रेंजर तैनात नहीं है, जो इन जनपदों के मूल निवासी हों। लखनऊ में अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत 07 तथा हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 06 फारेस्टर गृह जनपद में तैनात हैं।

शासन की नीति के अनुसार वन विभाग के समूह "ख" के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जा सकता है। अतः समूह "ख" के अन्तर्गत कोई वन रेंजर अवध तथा हरदोई वन प्रभागों में अपने गृह जनपद में तैनात नहीं है। फारेस्टर श्रेणी "ग" के कर्मचारी हैं, जिनके गृह जनपद में तैनाती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्सेक्टीसाइड दवा की आपूर्ति के संबंध में जानकारी

29–श्री विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मच्छरों को मारने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 में किन-किन फर्मों से और कुल कितना इन्सेक्टीसाइड (मच्छर मारने की दवा) क्रय की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या उक्त फर्म राज्य सरकार/स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन्सेक्टीसाइड की आपूर्ति के लिये अनुमोदित थीं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी और उन्हें कितनी मात्रा में मच्छर मारने की दवा हेतु आदेश दिये गये थे ? क्या उनके द्वारा आपूर्ति किये गये इन्सेक्टीसाइड स्वीकृत मानक के थे ?

श्री रमापति शास्त्री–

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मच्छरों को मारने के लिये वर्ष 1996-97 में मै० हरियाणा कैमिकल्स एण्ड पेस्टीसाइड, नई दिल्ली से 125 मै० टन तथा मैसर्स हीमा पेस्टीसाइड, नई दिल्ली से 125 मै० टन (कुल 250 मै० टन मेलाथियान 25% डब्लू०पी०, 21,835 लीटर लिन्डेन) पैराथ्रिन्स पिपरोनिल ब्यूटाक्साइड लिन्डेन) का क्रय मैसर्स डिस्इन्फैक्टो केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लखनऊ से तथा स्माईटाक्स (पैराथ्रिन्स पिपरोनिल ब्यूटाक्साइड नामक कीटनाशक 24150 लीटर मेसर्स हरिहर फर्टीलाइजर, लखनऊ से तथा वर्ष 1997-98 में 4220 किलोग्राम सिन्थेटिक पेराथ्राइड सैफल्यूथ्रिन सोल्फेक 10%) डब्लू०पी० का क्रय मेसर्स बायर इण्डिया लि० मुम्बई से किया गया।

जी हां।

मैसर्स हरियाणा केमिकल्स एण्ड पेस्टीसाइड तथा मै० हीमा पेस्टीसाइड को 125–125 मै० टन मैलाथियान 25% डब्लू०पी०, मै० डिस्इन्फैक्टो कैमिकल्स को 21835 लीटर लिन्डेन (पैराथ्रिन्स पिपरोनिल ब्यूटाक्साइड लिन्डेन), मै० हरिहर फर्टीलाइजर से 24150 लीटर स्माईटाक्स (पैराथ्रिन्स पिपरोनिल ब्यूटाक्साइड) तथा 4220 कि० ग्राम सिन्थेटिक पैराथ्राइड सैफल्यूथ्रिन (सोल्फेक 10%) डब्लू०पी० के क्रय के आदेश दिये गये।

जी हां।

मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा फर्जी सिल्ट सफाई का कथित भुगतान

30–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ओखला हेडवर्क्स पर दिनांक 18-2-97 को प्रमुख सचिव, सिंचाई की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की बैठक, मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा फर्जी सिल्ट सफाई का भुगतान मुख्य अभियन्ता मध्य गंगा अलीगढ़ से मांगने के संदर्भ में हुई थी ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता की मांग क्या थी ? क्या मुख्य अभियन्ता मध्य गंगा कैनाल की आख्या प्राप्त हुई ? बैठक में क्या निर्णय लिये गये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मांट ब्रांच गंगा नहर के राजवाहों एवं माइनर्स की टेल (छोर) पर पानी पहुंचने के संबंध में रिपोर्ट की जानकारी

31–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी मथुरा एवं प्रभारी मण्डलीय व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने मांट ब्रांच गंगा नहर के राजवाहों एवं माइनर्स की टेल (छोर) पर पानी पहुंचने का भौतिक सत्यापन माह जून, 97 के चतुर्थ सप्ताह में किया था ? यदि हां, तो उसकी समीक्षा रिपोर्ट क्या है ? क्या शासन ने उस पर कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार नहरों (राजवाह एवं माइनर्स) की टेल तक पानी पहुंचाने के लिये युद्ध स्तर पर चतुर्थ उपखण्ड में सिल्ट सफाई कराकर पानी टेल तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टेल तक पानी पहुंचाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं । सिल्ट सफाई का कार्य रबी से पूर्व नहर की बन्दी में उपलब्ध संसाधनों से कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० को अनावर्तक अनुदान उपलब्ध न कराने का औचित्य

32–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० को प्रतिवर्ष दिये जाने वाला अनावर्तक अनुदान रु० 47,000.00 वर्ष 1993-94 से नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या बजट आवंटन न किये जाने के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रस्ताव का परीक्षण वित्त विभाग द्वारा किए जाने के बाद अनुदान दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि कोई दोषी नहीं है ।

फार्मेसिस्टों की भर्ती में हुई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

33–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सचिव, मेडिकल फैकल्टी को फार्मेसिस्टों की भर्ती के संबंध में भर्ती नियमों का पालन न करने के आरोप सिद्ध होने पर निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या अनियमित रूप से हुई भर्ती को भी निरस्त करने का आदेश सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रकरण के विधिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

34–डा० सरजीत सिंह डंग–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

फरीदपुर जनपद बरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की शिकायत

35–श्री नन्द राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरीदपुर जनपद बरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र स्वास्थ्य सचिव को जून, 1997 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के अन्तर्गत प्रबन्धक परियोजना एवं प्रबन्धक वास्तुविद की नियुक्ति का मानक

36–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अन्तर्गत प्रबन्धक परियोजना एवं प्रबन्धक वास्तुविद की नियुक्ति हेतु कोई सेवा नियमावली बनी है या नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्री जसवन्त सिंह, श्री के० के० यादव, प्रबन्धक परियोजना एवं श्री अनिल वर्मा, प्रबन्धक वास्तुविद की किस आधार पर नियुक्ति की गई ? क्या इसके विरुद्ध प्रबन्ध निदेशक को कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन अनियमित नियुक्तियों को रद्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० में शासन द्वारा अनुमोदित सेवा नियमावली है, यह सेवा नियमावली निगम के समस्त पदों पर लागू है तथा सेवा नियमावली की नीति के अनुसार ही प्रबन्धक परियोजना एवं प्रबन्धक वास्तुविद के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति की जाती है ।

श्री जसवन्त सिंह को विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती से उपप्रबन्धक (सामान्य) के पद पर नियुक्त किया गया था, जिन्हें बाद में चयन समिति के निर्णयानुसार प्रबन्धक परियोजना के पद पर प्रोन्नत किया गया है ।

श्री के० के० यादव को विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती से प्रबन्धक (परियोजना) के पद पर नियुक्त किया गया है ।

श्री अनिल वर्मा की नियुक्ति भी विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती से उप प्रबन्धक (आर्क) के पद पर की गयी थी । बाद में उन्हें चयन समिति के निर्णयानुसार प्रबन्धक (हाउसिंग) के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है ।

प्रबन्धक (परियोजना) के पद पर नियुक्ति के विरुद्ध कोई भी प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन प्रबन्धक (हाउसिंग) के पद पर नियुक्ति के विरुद्ध एक प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ , जिसका निस्तारण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के राजस्व ग्राम सभा मदरापाली भरथराय में नवनिर्मित नाली के निर्माण की जानकारी

37-श्री हरिनारायण तथा श्री विनय कुमार पाण्डेय ''विन्नू''-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री सदनको अवगत कराने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय, विकास खण्ड देसही देवरिया जनपद देवरिया के राजस्व ग्राम सभा मदरापाली भरथराय में नवनिर्मित नाली का निर्माण जीन शेख के मकान से तथा शिवधारी के घर के पास से पोखरे के मेन नाली तक किस योजनान्तर्गत कराया गया है ? क्या मौके पर वास्तविक लम्बाई तथा सरकारी आंकड़े की लम्बाई में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ? क्या उक्त नाली का निर्माण किसी सरकारी योजनान्तर्गत कराया गया है ? क्या उक्त नाली निर्माण के लिये ग्राम प्रधान द्वारा क्रमशः 2,500 एवं 3,500 रुपये का धन उगाही करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या उक्त प्रकरण की जांच किसी उच्चाधिकारी द्वारा सम्पन्न कराकर गरीब, मजलूम, असहाय लोगों से वसूले गये रुपयें तुरन्त दिलाने एवं ग्राम प्रधान को तुरन्त निलम्बित कर उक्त ग्राम के विकास कार्यों को किसी उच्चाधिकारी के अधीन सम्पन्न करवाने हेतु शासन स्तर से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर-

जीन शेख के मकान से तथा शिवधारी के घर के पास से पोशरे की मेन नाली तक, नाली किसी भी योजनान्तर्गत बनायी नहीं गयी है, अपितु सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा निजी खर्चे पर बनवायी गयी है ।

जीन शेख के मकान से तथा शिवधारी के घर के पास से पोखरे के मेन नाली तक नाली की वास्तुविक लम्बाई क्रमशः 35.30 मी० एवं 22.25 मी० है नाली सरकारी धन से निर्मित नहीं है । अतएव अन्तर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

ऐसी कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

38-श्री राधेश्याम सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री ओम प्रकाश सिंह फारेस्ट रेंजर, रायबरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

39-डा० मुस्लिम-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री ओम प्रकाश सिंह, फारेस्ट रेंजर, रायबरेली के खिलाफ भ्रष्टाचार किये जाने विषयक एक शिकायती पत्र दिनांक 29-3-97 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच कराई गई है ? जांच के क्या परिणाम निकले ? क्या सरकार इन्हें रायबरेली से स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी हां ।

जांच में शिकायत निराधार पायी गयी ।

श्री ओ०पी० सिंह, वन क्षेत्र अधिकारी का स्थानान्तरण रायबरेली से जनपद बहराइच किया जा चुका है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किच्छा, जनपद उधम सिंह नगर से सेवानिवृत्त श्री जगदीश चन्द्र अरोड़ा गृह दर्शक की पेंशन आदि के भुगतान का मामला

40–श्री ओम प्रकाश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किच्छा, जनपद उधम सिंह नगर से दिनांक 31-3-96 को सेवानिवृत्त श्री जगदीश चन्द्र अरोरा, गृह-दर्शक को पेंशन आदि का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया और न ही उनके ग्रेच्युटी, राशिकरण, सामूहिक जीवन बीमा, 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर दिनांक 1-7-85 से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड वेतन तथा 16 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर दिनांक 1-7-91 से अनुमन्य उच्चीकृत वेतनमान के एरियर का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त अवशेष उपलब्धियों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां। श्री [illegible] चन्द्र अरोड़ा, गृह दर्शक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किच्छा, जनपद उधम सिंह नगर, सेवानिवृत्त के दिनांक 31-3-96 को बिना पेंशन प्रपत्र भरे अपने गृह जनपद लखनऊ आ गये थे, जिसके कारण पेंशन निर्धारण नहीं की जा सकी। श्री अरोड़ा को उनके सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान का भुगतान दिनांक 31-3-97 को, सेवानिवृत्त के अवशेष उपार्जित अवकाश के नगदीकरण का भुगतान दिनांक 14-5-97 को एवं 90 प्रतिशत जी०पी०एफ० का भुगतान 25-7-96 को किया जा चुका है।

अवशेष उपलब्धियों पेंशन एवं ग्रेच्युटी हेतु श्री अरोड़ा द्वारा प्रपत्र भर दिये गये है अतः पेंशन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है एवं सामूहिक बीमा निदेशालय से सामूहिक बीमा निधि की धनराशि प्राप्त होने पर उसका भुगतान सम्भव होगा।

41–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सोनभद्र के आश्रम पद्धति विद्यालय दुद्धी को प्राप्त बजट एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी

42–श्री विजय सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सोनभद्र के आश्रम पद्धति विद्यालय दुद्धी को प्रति वर्ष कितना बजट प्राप्त होता है ? आश्रम पद्धति विद्यालय दुद्धी द्वारा प्रतिवर्ष कितने रुपये के कौन-कौन खाद्य सामग्री एवं कपड़े आदि क्रय विक्रय समिति दुद्धी द्वारा क्रय किये जाते हैं ? उनका रेट क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आश्रम पद्धति विद्यालय दुद्धी को क्रय विक्रय समिति दुद्धी से ही सामग्री खरीदने की बाध्यता है ? यदि हां, तो खुले बाजार में सस्ते मूल्य पर सामग्री क्यों नहीं खरीदी जाती है ?

श्री श्रीराम पाल–

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय दुद्धी सोनभद्र को वर्ष 1996-97 में रु० 15.475 लाख तथा वर्ष 1997-98 में रु० 9.304 लाख का आवंटन किया गया है।

विवरण विस्तीर्ण है जिसे संलग्न करना सम्भव नहीं है। मा० सदस्य को अलग से उपलब्ध कराया जा सकता है।

जी नही, समस्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के सामानों का क्रय स्टोर परचेज के नियमों अन्तर्गत किये जाने का प्राविधान है। जो सामान स्टोर परचेज नियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनका

क्रय कन्जूमर कोआपरेटिव, श्री गांधी आश्रम, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं से भी क्रय किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० लखनऊ के लिपिकों के सामान्य स्थानान्तरण/अनुभाग परिवर्तन की जानकारी

43–श्री नारायण राम दास–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1995 व 1996 में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० लखनऊ लिपिकों के सामान्य स्थानान्तरण/अनुभाग परिवर्तन किये गये थे ? यदि हां, तो जिन लिपिकों के स्थानान्तरण/अनुभाग परिवर्तन उक्त वर्षों में किये गये थे उनमें से कितने लिपिकों के स्थानान्तरण/अनुभाग परिवर्तन आदेशों का अनुपालन अब तक नहीं कराया गया ? कब तक उन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा ? क्या उक्त आदेशों का अनुपालन न कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

उक्त वर्षों में 218 लिपिकों के स्थानान्तरण/अनुभाग परिवर्तन किये गये थे, जिसमें से केवल 10 लिपिकों के सम्बन्ध में आदेशों का अनुपालन होना शेष है।

आदेशों का शीघ्र अनुपालन कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

सम्बन्धित अधिकारियों से अनुपालन आख्या प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

हरिद्वार मेलों में यात्रियों के लिये सुविधाओं की मांग

44–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार में प्रति वर्ष लगने वाले मेलों में यात्रियों की सुविधा के लिये कैम्प इत्यादि लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई प्राविधान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

45–श्री अम्बरीष कुमार–

[चौथे गुरु में अता० प्र० सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के उपखण्ड–4 को कथित रूप में पानी कम दिये जाने की शिकायत

46–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के उपखण्ड–4 के सहायक अभियन्ता ने 15 जनवरी, 1997 के बाद उपखण्ड में पानी देने हेतु पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो उन पर अधिशासी अभियन्ता ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधिशासी अभियन्ता ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधिशासी अभियन्ता द्वारा उप खण्डों–4 में कम पानी देने के क्या कारण थे ? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच करा कर जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता ने चतुर्थ उपखण्ड को यथा सम्भव अधिक मात्रा में जल उपलब्ध कराया जो कि विगत वर्षों की अपेक्षा अधिक रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

47–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मांट ब्रांच गंगा नहर के उप खण्ड–चार में अधिशासी अभियन्ता ने जानबूझ कर माह जनवरी 1997 के बाद नहरों/राजवाहों/माइनर्स में पानी कम दिया है और सींचपालों से फर्जी सींच दर्ज कराई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा माह जून, 1997 के चतुर्थ सप्ताह में कराये गये भौतिक सत्यापन के अनुसार ही सींच दर्ज की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सिंचाई विभाग द्वारा टेलफीड करने की रिपोर्ट व जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराये जाने की रिपोर्ट में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या शासन समस्त प्रकरण को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पहाड़ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मानकों के संबंध में जानकारी

48–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति मानक के आधार पर पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

भारत सरकार के जनसंख्या (1991) के मानकों के आधार पर पूर्ण है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी

49–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में जनपद पौड़ी गढ़वाल के कुल कितने गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ? क्या पूर्व निर्मित सिंचाई नहरों का ग्रामीणों को समुचित लाभ मिल रहा है ? यदि हां, तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में निर्मित नहरों की स्थिति क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इस वित्तीय वर्ष में 33 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

कुल 263 नहरों में से 228 नहरों से पूरी सिंचाई सुविधा, 23 नहरों से आंशिक लाभ तथा 12 नहरों से अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होने से सिंचाई लाभ नहीं मिल रहा है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में कुल 5 निर्मित नहरों में से सभी नहरों से सिंचाई का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत कम्प्यूटर कर्मियों के नियमितीकरण की मांग

50–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास अभिकरणों में विगत दस वर्षों से लगातार कार्य कर रहे कम्प्यूटर कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में संविदा के आधार पर/संहत वेतन पर कार्य कर रहे कम्प्यूटर कर्मियों के विनियमितीकरण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कम्प्यूटर कर्मियों हेतु कोई पद सृजित नहीं है । अतः कम्प्यूटर कर्मियों को विनियमितीकरण करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

मल्लावां हरदोई में सिंचाई सुविधा हेतु राजकीय ट्यूबवेलों को लगाये जाने की मांग

51–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां, हरदोई में सिंचाई सुविधा हेतु राजकीय ट्यूबवेलों को लगाये जाने संबंधी पत्र सं०–एम०–3/31/5/हरदोई/96, दिनांक 3-12-96 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रमुख सचिव, सिंचाई ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद हरदोई के मल्लावा विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु राजकीय नलकूपों को लगाये जाने से संबंधित प्रश्न में उल्लिखित पत्र पर अंकित निर्देशों के अनुपालन में जिला योजनान्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी, हरदोई को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई के ग्राम शेखनपुर की सुरक्षा हेतु गंगा नदी पर बांध निर्माण के संबंध में जानकारी

52–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बिलग्राम मल्लावां, हरदोई के ग्राम शेखनपुर की सुरक्षा हेतु गंगा नदी पर बांध निर्माण के संबंध में पत्र सं०–एम०–3/29-5/हरदोई/96, दिनांक 3-12-96 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रमुख सचिव, सिंचाई ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विकास खण्ड बिलग्राम, मल्लावां, हरदोई के ग्राम शेखनपुर की गंगा नदी से सुरक्षा संबंधी समस्या का कराये गये अध्ययन से यह पाया गया कि ग्राम शेखनपुर गंगा नदी के फ्लड प्लेन जोन में स्थित है ।

फ्लड जोन में स्थित गांवों की आबादी की बाढ़ सुरक्षा हेतु कार्य कराये जाने की नीति शासन की नहीं है ।

मल्लावां हरदोई के ग्राम देवीपुरवा के पास हथौरा ड्रेन पर पुलिया निर्माण का प्रस्ताव

53–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां हरदोई के ग्राम देवीपुरवा के पास हथौरा ड्रेन पर पुलिया निर्माण के संबंध में पत्र सं०–एम०–3/28-5/हरदोई/96, दिनांक 3-12-96 पर प्रमुख सचिव, सिंचाई ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुल निर्माण का प्रस्ताव बनाकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ में एक्सपायरी तिथि की दवाओं के वितरण की जांच

54–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ में फंग्स युक्त दवायें खरीदी गयी थी जिसकी ए०डी०एम०, लखनऊ द्वारा जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट तथा पैथालाजी जांच में क्या अन्तर है ? उक्त प्रकरण की पूरी रिपोर्ट में कौन-कौन दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ में इंजेक्शन बी०-काम्पलेक्स एवं अन्य एक्सपायरी तिथि की दवाओं के वितरण के संबंध में एक जांच अपर निदेशक, लखनऊ मण्डल से दिनांक 3-9-1996 को करायी गयी थी।

जांच में फंग्सयुक्त बी०-काम्पलेक्स की शिकायत की पुष्टि नहीं हुई थी। भण्डार में अवशेष 900 वायल बैच नं०-110, 111, 112 के अवशेष थे, के नमूने लेकर जन विश्लेषक, लखनऊ को जांच हेतु भेजा गया। जन विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में बी०–1, बी०–2, बी०–6 नियासिनामाइड पाजिटिव पाया गया परन्तु यह दवायें स्टैण्डर्ड क्वालिटी की नहीं पायी गयीं तथा इसमें सस्पेण्डेड पार्टीकल भी पाये गये थे। औषधियों की पैथालोजी जांच नहीं होनी है बल्कि रासायनिक जांच होती है।

जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या आपूर्तिकर्ता फर्म मै० इण्डेकेम लेबोरेटरी, मेरठ दोषी है।

दोषी फर्म द्वारा सप्लाई किये गये दवाओं में से अवशेष 1403 वायल को उक्त फर्म को दिनांक 3-1-1997 को वापस कर दिया गया है तथा इस फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

55–श्री सुखपाल पाण्डेय–

[दिनांक 23-7-97 को अता० प्र० सं०–142 द्वारा उत्तरित]

राज्य कताई मिलों के महंगाई भत्ते आदि के भुगतान के संबंध में जानकारी

56–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य कताई मिलों का 29 नवम्बर, 1988 को देहरादून में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसके बाद से बढ़ी महंगाई भत्ते की किस्त राज्य कताई मिलों के मजदूरों को नहीं दी जा रही है ? क्या त्रिपक्षीय सम्मेलन केवल तीन वर्ष के लिए ही एग्रीमेंट था ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य कताई मिल मजदूरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त सम्मेलन में सम्पूर्ण महंगाई भत्ते की धनराशि को मूल वेतन में समायोजित करने का निर्णय नहीं लिया गया था, केवल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कानपुर सेन्टर) के 600 अंकों तक महंगाई भत्ते की धनराशि को मूल वेतन में विलय कर पुनरीक्षित मूल वेतन निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया था । तद्नुसार कताई मिलों के श्रमिकों को नियमानुसार बढ़े हुए मूल वेतन की धनराशि का भुगतान किया गया ।

जी हां ।

जी नही, क्योंकि राज्य कताई मिलों के श्रमिकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा रहा है । माह नवम्बर, 1988 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कानपुर सेन्टर) के 600 अंकों पर देय धनराशि को मूल वेतन में समायोजित किये जाने के उपरान्त महंगाई भत्ते की धनराशि कुल रु० 265.95 थी । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के फलस्वरूप महंगाई भत्ते की धनराशि में वृद्धि की गयी थी तथा जून, 1997 में महंगाई भत्ते की न्यूनतम धनराशि रु० 1377.00 हो गयी थी ।

परिगणित बाल विद्या मन्दिर महमूदपुर, जनपद गाजीपुर में नियुक्त अध्यापकों की संख्या तथा वेतन के भुगतान की जानकारी

57–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपा बतायेंगे कि परिगणित बाल विद्या मन्दिर, महमूदपुर, भीष्म अहमद तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर में कुल कितने अध्यापक नियुक्त हैं ? उनमें से कितने अध्यापकों का मार्च, 1994 से 1997 तक का वेतन का भुगतान नहीं किया गया और क्यों ? वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम पाल–

वैध रूप से नियुक्त/कार्यरत 8 अध्यापक हैं । इनके अलावा 2 अध्यापकों का अस्तित्व विवादित है ।

विद्यालय में विवादित 2 अध्यापक उप-जिलाधिकारी, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर की जांच आख्या के अनुसार विद्यालय में कभी भी कार्यरत नहीं पाये जाने के कारण उनके वेतन अनुदान का भुगतान नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में जानकारी

58–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत शैक्षिक पदों के मुकाबले वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के विरुद्ध होने के कारण वहां के मेडिकल छात्रों के प्रमाण-पत्र मिलने में भी कठिनाई हो सकती है ? यदि हां, तो वहां के पदों को भरने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं । राजकीय मेडिकल कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं वरन् एम०सी०आई० के मानकों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

राजकीय मेडिकल कालेजों, जिसमें गोरखपुर भी सम्मिलित है, में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को दिनांक 4-7-97 को भेजा जा चुका है तथा आचार्य एवं सह-आचार्य के रिक्त पदों के भरे जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हरावां, लखनऊ पर कार्यरत वार्ड ब्वाय द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में जांच रिपोर्ट

59–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हरावां, लखनऊ पर कार्यरत वार्ड ब्वाय द्वारा दिनांक 19-10-96 को ड्यूटी पर तैनात डाक्टर के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट की घटना की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

घटना के संबंध में चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुम्हरावां द्वारा थाना इटौंजा में दिनांक 19-10-96 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी । पुलिस की विवेचना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रकरण में विभागीय जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी (द्वितीय) लखनऊ द्वारा करायी गयी थी । जांच अधिकारी की संस्तुति के आधार पर दोनों पक्षों की अन्यत्र पृथक-पृथक स्थानों पर तैनाती के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में सी० एम० ओ० द्वारा निर्गत फुटकर एवं थोक दवाई विक्रेताओं के लाइसेंस की जानकारी

60–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में सी०एम०ओ० द्वारा निर्गत अब तक कितने फुटकर एवं थोक दवाई विक्रेताओं के लाइसेंस मौजूद हैं और उनमें से कितने कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि थोक दवाई विक्रेताओं के लाइसेंस स्वीकृत/निर्गत करने का मानक क्या है और इस हेतु कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद मैनपुरी में सी०एम०ओ० द्वारा निर्गत 208 फुटकर एवं 159 थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस मौजूद हैं और उक्त सभी कार्य कर रहे हैं ।

औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 64 एवं 65ए के प्राविधानों के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस निर्गत किया जाता है । जनपद मैनपुरी में थोक लाइसेंस हेतु उप मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र लम्बित है ।

जनपद मैनपुरी में पुराने जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला

61–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में पुराने जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बना लिये गये हैं ? यदि हां, तो अतिक्रमण को समाप्त करने एवं दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त अतिक्रमण स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही किया गया है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

पुराने जिला एवं महिला चिकित्सालय, मैनपुरी के परिसर में सरकारी आवासों में निवास कर रहे विभागीय कर्मचारियों ने अपने सरकारी आवासों के अतिरिक्त उक्त परिसर की भूमि में अनाधिकृत निर्माण/आवास का विस्तारीकरण कर लिए हैं तथा एक बाहरी व्यक्ति भी इस परिसर की भूमि में अनाधिकृत कब्जा/निर्माण कर निवास कर रहा है ।

इस अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण को हटाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी ने जिलाधिकारी, मैनपुरी से दिनांक 15-4-1997 को अनुरोध किया था । जिला प्रशासन ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से प्रकरण की जांच कराया । जांचोपरान्त जिलाधिकारी, मैनपुरी ने अपने पत्र दिनांक 29-6-1997 द्वारा उप जिलाधिकारी, मैनपुरी को अवैध कब्जा हटाने व अवैध कब्जा व निर्माण न होने देने के निर्देश दिये हैं जिसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । पुराने जिला एवं महिला चिकित्सालय, मैनपुरी के परिसर में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा उक्त परिसर के सरकारी आवासों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों द्वारा एवं एक बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया है ।

62–श्री सुरेन्द्र नाथ–

।न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत

63–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में वर्ष 1993 से निर्मित 30 शैय्या का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अभी तक कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांधी ग्राम पड़रे जनपद सुल्तानपुर में योजनान्तर्गत विकास कार्यों का विवरण

64–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पड़रे विकास खण्ड धनपतगंज, जिला सुल्तानपुर क्या चयनित गांधी ग्राम है ? यदि हां, तो वहां पर अब तक विकास के कौन-कौन से कार्य किस-किस योजनान्तर्गत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

गांधी ग्राम पड़रे जनपद सुल्तानपुर में योजनान्तर्गत कराये गये विकास कार्य :–

1–एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम	23 लाभार्थी
2–ट्राइसेम	17 लाभार्थी
3–विशेष रोजगार योजना	20 न्यू माडल चर्खों का वितरण

4–जवाहर रोजगार योजना	10,546 मानव दिवस का सृजन
5– दुग्ध संग्रह केन्द्र	1
6–स्वच्छ शौचालय	23
7–उन्नत चूल्हा	12 लाभार्थी
8–सौर ऊर्जा	1
9–इन्दिरा आवास/निर्बल वर्ग आवास	14
10–हैण्ड पम्प	17
11–प्राइमरी स्कूल	1
12–पंचायत भवन	1
13–सम्पर्क मार्ग का निर्माण	4.20 कि०मी० में मिट्टी पटाई तथा 5 नग पुलिया निर्माण
14–निःशुल्क बोरिंग	10 लाभार्थी
15–आंगन बाड़ी केन्द्र	1

जनपद अलीगढ़ में गांव वीरपुरा, जवां आदि अम्बेडकर गांवों में शराब के ठेके का स्थानान्तरण

65–श्री दलवीर सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समस्त अम्बेडकर ग्रामों में शराब के ठेके बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद अलीगढ़ में गांव वीरपुरा, जवां आदि अम्बेडकर गांवों में शराब के ठेके अभी तक बन्द नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम वीरपुरा में स्थित देशी मदिरा की दुकान को ग्राम करनपुर में तथा ग्राम जवां में स्थित विदेशी मदिरा की दुकान को ग्राम तेजपुर में वर्ष 1997-98 में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये कतिपय निर्देशों का अनुपालन

66–श्री नारायण राम दास–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अ०शा०प० सं०–5501/97-27-सिं०–7, दिनांक 14-5-97 द्वारा कतिपय निर्देश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का अनुपालन अब तक न करने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

निर्देशों का अनुपालन कर दिया गया है ।

विधान सभा

जनपद गोण्डा के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत सरयू नहर के खनन में व्यय धनराशि की जानकारी

67–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत सरयू नहर के खनन का कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो सरयू खनन परियोजना किस वित्तीय वर्ष में चालू की गयी थी ? परियोजना पर कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ? कितना व्यय हुआ तथा कितना धन शेष है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

सरयू योजना निर्माणाधीन है ।

वर्षवार उपलब्ध संसाधन के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

31 मार्च, 1997 तक इस परियोजना पर 514 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है तथा 762 करोड़ रुपया व्यय होना शेष है ।

महाराजा चेतसिंह चिकित्सालय, भदोही में सामानों की आपूर्ति के संबंध में जानकारी

68–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि महाराजा चेतसिंह चिकित्सालय, भदोही में सामानों की आपूर्ति बिना किसी टेण्डर के की जा रही है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार उत्तरदायित्व निर्धारित कर उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

महाराजा चेतसिंह चिकित्सालय, भदोही में सामानों की आपूर्ति तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी डा० पी० एन० शुक्ला एवं ठेकेदार श्री वी० के० श्रीवास्तव के साथ इकरारनामा दिनांक 15-9-195 व दिनांक 4-4-1996 किया गया था । जब बाद में अधिकारियों ने नियमानुसार टेण्डर की कार्यवाही प्रारम्भ की तो मामला न्यायालय में विवादित हो गया । इस मामले में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-1-97 एवं दिनांक 8-4-1997 के परिपेक्ष्य में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ० प्र० द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-5-1997 के अनुसार कार्यवाही हो रही है जिसकी अवधि मार्च, 1998 तक होगी ।

इसके लिए तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी श्री पी० एन० शुक्ला उत्तरदायी हैं ?

जी हां ।

अम्बेडकर ग्राम पूरावली, फैजाबाद में सड़क निर्माण संबंधी कार्यवाही की जानकारी

69–श्री मो० मुकीम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अम्बेडकर ग्राम पूरावली में सड़क निर्माण के संबंध में श्री राजेन्द्र तिवारी आदि ग्रामवासियों, ग्राम जिगनाही, पो० खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र आयुक्त, फैजाबाद मण्डल/सी०डी०ओ०, फैजाबाद को माह दिसम्बर, 96 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

परन्तु तद्विषयक पत्र दिनांक 11-12-95 को आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद एवं द्वितीय पत्र दिनांक 26-7-97 को उप विकास आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को दिया गया है ।

प्रश्नगत मामले में जांच अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं०–2, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा करायी गयी है । स्थलीय जांच से यह पाया गया कि जिगनाही ग्राम को जोड़ने के लिए वन विभाग की भूमि से लगभग 3 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना पड़ेगा । उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा वनीकरण योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण पूर्व वर्षों में किया गया है । अम्बेडकर ग्राम पूरावली के लिए खण्डासा ब्लाक से सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है एवं कार्य प्रगति पर है ।

70–श्री अमरमणि–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, महराजगंज को श्री आर० एन० सिंह जिला परियोजना निदेशक का निर्देश

71–श्री अमरमणि–

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, महराजगंज द्वारा पत्रांक द०ल०इ०/बांध निर्माण 1997-98/दिनांक 4-6-97 में शासकीय निकाय बैठक दिनांक 18-1-97 के शिकायत के आधार पर आर० एन० सिंह जिला परियोजना निदेशक, महराजगंज द्वारा जांचोपरान्त दोषी पाये गये अधिशासी अभियन्ता. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, महराजगंज द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण महराजगंज को वापस करने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दोषी अभियन्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज़ कर दी गयी है ? क्या सरकार द्वारा निर्गत धन को वापस कराने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि हां, तो किस तकनीकी संस्था से है ? यदि नहीं, तो बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य कराने वाले दोषी अभियन्ताओं को सरकार दण्डित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी हां । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर स्थित गंगा पर निर्मित शास्त्री सेतु के पाषाण विभाग की चौकी के कार्यरत होने की जानकारी

72–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिर्जापुर स्थित गंगा पर निर्मित शास्त्री सेतु का पाषाण विभाग की चौकी पहले शासनादेश के आधार पर कार्यरत थी ? यदि हां, तो शासनादेश का उल्लंघन करके इसे बन्द करा दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या इन दोषी अधिकारियों को कोई दण्ड दिया गया है ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

यह बैरियर उ० प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 70(4) के अन्तर्गत कार्यरत थी और वर्तमान में भी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जनपद में सिंचाई हेतु स्वीकृत अनुदान एवं कृत कार्यवाही का विवरण

73–डा० वकार अहमद शाह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में बहराइच जनपद के लिए सिंचाई हेतु कितना अनुदान स्वीकृत हुआ और कितना धन नाबार्ड से आवंटित हुआ ? वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कितने ड्रेनेज खोदे गये ? जनपद की किन-किन इकाइयों में नाबार्ड के धन से ड्रेनेज की खुदाई का कार्य किया गया ? क्या ड्रेनेज मात्र नाले की सफाई के लिए खोदी गयी है अथवा नई ड्रेनेज की तैयारी की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1995-96 में 1133.45 लाख रुपये एवं वर्ष 1996-97 में 2031.75 लाख रुपये सिंचाई हेतु धन स्वीकृति किया गया, जिसमें नाबार्ड के अन्तर्गत क्रमशः 100.00 लाख रुपये एवं 430.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी ।

वर्ष 1995-96 में 22.80 कि०मी० एवं वर्ष 1996-97 में 182.50 कि०मी० ड्रेन का निर्माण हुआ ।

इमामगंज शाखा के कमाण्ड में पड़ने वाले विकास खण्डों नानपारा, महती एवं कैसरगंज के अन्तर्गत पड़ने वाले कुल 17 नये नालों में कार्य कराया गया ।

नई ड्रेन खोदी गयी है ।

अधिशासी अभियन्ता मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के मुख्यालय पर न रहने के संबंध में आयुक्त आगरा मण्डल के पत्र के संबंध में जानकारी

74–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आयुक्त आगरा मण्डल ने अधिशासी अभियन्ता मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के मुख्यालय पर न रहने व सिंचाई से संबंधित बैठक में भाग न लेने के सन्दर्भ में शासन को मौजूदा सरकार के गठन के उपरान्त लिखा है तथा प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को प्रस्तुत किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आयुक्त आगरा की प्रश्नगत प्रकरण के सन्दर्भ में टिप्पणी क्या है ? शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा ने दिनांक 21-4-97 को एक पत्र अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ को लिखा था जिसमें अधिशासी अभियन्ता, मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के तथाकथित रूप से सामान्यतः अपने मुख्यालय पर न रहने की बात कही गयी थी ।

प्रमुख अभियन्ता को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची पर लेने का प्रस्ताव

75–श्री राम नक्षत्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में कितने असहायता प्राप्त अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उसका निस्तारण कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम पाल–

इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा नहीं कराया गया है ।

कुछ प्राथमिक विद्यालय जो मानक को पूर्ण करते हैं, को अनुदान सूची में लेने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

मामले का परीक्षण किया जा रहा है जिसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है ।

जनपद बहराइच के वन विभाग में अवैध कटानों के विरुद्ध कथित शिकायत की जांच

76–डा० वकार अहमद शाह–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच में वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में वन विभाग में कितनी नाजायज कटान हुई ? क्या इस कटान में विभाग के लोग भी लिप्त पाये गये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या किसी डी०एफ०ओ० या कन्जरवेटर को भी अवैध कटान में दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में बहराइच जनपद में हुए अवैध कटान का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	अवैध कटे वृक्षों का आयतन (घ०मी०)	कटे वृक्षों का मूल्य (लाख रु० में)	जब्त प्रकाष्ठ का आयतन (घनमी०)	जब्त प्रकाष्ठ का मूल्य (लाख रु० में)	वसूल किया गया प्रतिकर (रु० में)
1994-95	1144	45.04	759	29.71	4,33,872/-
1995-96	3338	148.49	1118	42.18	7,48,170/-
1996-97	2115	80.79	1133	41.64	7,77,524/-

उपरोक्त अवैध कटान में प्रथम दृष्टया निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है :–

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1–	सहायक वन संरक्षक	2
2–	वन रेंजर	6
3–	उपराजिक	4
4–	वनविद्	6
5–	वनरक्षक	25
6–	कल्चर जमादार	1
	कुल	44

जी नहीं । प्रथम दृष्ट्या दोषी न पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

जनपद बहराइच में वन विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी

77–डा० वकार अहमद शाह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृक्षारोपण के अन्तर्गत जनपद बहराइच में वन विभाग द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में कितने वृक्ष लगाये गये और उनकी आज की वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या वृक्षारोपण का विभागीय सत्यापन किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक कितनी बार सत्यापन किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वन विभाग के अतिरिक्त और कौन सी संस्थायें/विभाग हैं जिनके द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता है ?

सुश्री मायावती–

जनपद बहराइच में वन प्रभाग द्वारा वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक विभिन्न क्षेत्रों में लगाये गये वृक्षों की संख्या वर्षवार निम्न प्रकार है :–

वर्ष	लगाये गये पौधों की संख्या	दिसम्बर, 1996 में जीवित प्रतिशत
1994-95	16,00,910	75%
1995-96	26,80,400	79%
1996-97	51,84,930	94%

जी हां । वन विभाग द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपणों का प्रथम तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष प्रभाग के द्वारा तथा इसके पश्चात् विभाग की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन किया जाता है । वर्ष 1994-95 में 3 बार, वर्ष 1995-96 में 2 बार तथा 1996-97 में 1 बार सत्यापन किया गया है ।

वन विभाग के अतिरिक्त जनपद में स्थित लगभग सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थायें वृहद् वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य करते हैं ।

जनपद गोण्डा में जरवा पत्थरों के खनन पर रोक लगाये जाने का औचित्य

78–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में जरवा पत्थरों का खनन रोक दिया गया है जिसके कारण हजारों मज़दूर बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर हैं एवं जिले का विकास कार्य ठप हो गया है ? यदि हां, तो सरकार खनन को दोबारा शुरू करने में क्या कार्यवाही कर रही है ?

सुश्री मायावती–

जनपद गोण्डा में खनन पट्टे की आड़ में वन सम्पदा की चोरी की घटनाओं को रोके जाने तथा वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से जरवा में पत्थरों के खनन कार्य पर रोक लगायी गयी है ।

निकट भविष्य में खनन कार्य आरम्भ करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जनपद गोण्डा में फ्री बोरिंग योजना में फर्जी भुगतान के विरुद्ध कार्यवाही

79–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 में जनपद गोण्डा में विकास खण्ड स्तर पर फ्री बोरिंग योजना में बिना बोरिंग किये तथा फर्जी एवं मानक के विपरीत कार्य करवा कर भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रुपईडीह में वर्ष 1996-97 में फ्री बोरिंग योजना में बिना बोरिंग किये भुगतान करने के दो मामले प्रकाश में आये । मानक के विपरीत बोरिंग कार्य कराकर भुगतान किये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

उक्त दोनों बोरिंग पर प्रथम दृष्ट्या तीन कर्मचारी दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया है ।

जनपद गोण्डा के नवाबगंज शुगर मिल पर गन्ना किसानों के बकाये धनराशि के भुगतान की मांग

80–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के नवाबगंज शुगर मिल पर गन्ना किसानों की कितनी धनराशि का बकाया है और कब तक इस बकाया धनराशि का भुगतान किसानों को कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत चीनी मिल पर अधिग्रहण की तिथि दिनांक 24-4-89 के पूर्व के वर्षों का रुपये 147.80 लाख का गन्ना मूल्य एवं दिनांक 1-8-97 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 1996-97 से संबंधित रुपये 271.52 लाख का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है । अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान यथा शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड झंझरी में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कथित अनियमितता की शिकायत

81–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 में जनपद गोण्डा के विकास खण्ड झंझरी में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनियमित ढंग से अपात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना का आवंटन किया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ड्यूटी में गम्भीर रूप से घायल वन सुरक्षा कर्मियों की संख्या

82–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वनों में आग बुझाते समय, अवैध निकासी रोकते समय, वनों में गश्त करते समय तथा वन माफियों, तस्करों से अनेक वन कर्मचारी अब तक गम्भीर रूप से घायल हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वर्ष 1979 से 1996 तक ऐसे कर्मचारियों की संख्या, जो वनों की सुरक्षा आदि कार्यों में सतत् प्रयत्नशील रहते हुए गम्भीर रूप से घायल हुए 76 हैं ।

वन रक्षकों की वन दरोगा पर पदोन्नति के प्रस्ताव की जानकारी

83–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–ई–90/16ए-475/62, दिनांक 22-2-66 तथा 2739/एक–475/62, दिनांक 3-2-71 के अन्तर्गत वन दरोगा प्रशिक्षण संस्थान में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले दरोगाओं को सीधे उपराजिक पद पर पदोन्नत करने का प्राविधान है ? क्या इसी प्रकार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले वन रक्षकों को भी सीधे वन दरोगा पद पर पदोन्नत करने का

कोई प्रस्ताव फरवरी, 1991 से शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मामलों में शासन की क्या नीति है और उपराजिक पद पर तथा वन दरोगा के पद पर कितनी सीधी पदोन्नतियां की जा चुकी हैं ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, बल्कि शासनादेश संख्या–90/14ए–475/52. दिनांक 26 फरवरी, 1966 तथा शासनादेश संख्या–2739/x1-475/62. दिनांक 6 फरवरी, 1971 द्वारा वन दरोगा प्रशिक्षण में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ऐसे वन दरोगाओं, जिन्होंने निरन्तर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, से ही सीधे उपराजिक के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नति करने का प्राविधान है ।

जी नहीं, बल्कि वनरक्षक प्रशिक्षण में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले वन रक्षकों को सीधे वन दरोगा के पद पर प्रोन्नति किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है, जिस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । उपर्युक्त शासनादेशों के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार वन दरोगा से उप रेंजर के पद पर प्रशिक्षण में अब तक प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल (5) वन दरोगाओं को उपराजिक के पद पर स्थानापन्न रूप से सीधी पदोन्नति दी जा चुकी है । वर्तमान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले वन रक्षकों को वन दरोगा के पद पर स्थानापन्न रूप से सीधी पदोन्नति किये जाने का नियम/शासनादेश नहीं है ।

चमोली जिले के बद्रीनाथ वन प्रभाग में अग्नि दुर्घटनाग्रस्त श्री चन्द्र सिंह भण्डारी को दी गयी राहत की जानकारी

84-डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या वन मंत्री के संज्ञान में है कि वर्ष 1995 में चमोली जिले के अन्तर्गत बद्रीनाथ वन प्रभाग में श्री चन्द्र सिंह भण्डारी वनों की आग बुझाते हुए गम्भीर रूप से अग्नि दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे ? यदि हां, तो श्री भण्डारी को सरकार द्वारा अब तक क्या और कितनी राहत दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । श्री चन्द्र सिंह भण्डारी, वन रक्षक, दिनांक 5-5-95 को वनों की आग बुझाते समय गम्भीर रूप से घायल हुए थे ।

उन्हें चिकित्सा व्यय हेतु रु० 5,000.00 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान की गयी है ।

देवरिया क्षेत्रान्तर्गत छोटी गण्डक नदी पर स्थित गोरबा घाट तथा बैकुण्ठ घाट पर पक्के पुल के निर्माण की मांग

85–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 13 मार्च, 97 को प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन द्वारा देवरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी पर स्थित गोरबा घाट तथा बैकुण्ठ घाट पर पक्के पुल के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार उक्त पुलों के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग द्वारा कोई पुल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद की टूटी नहरों की मरम्मत आदि कराने एवं प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने की मांग

86–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद की नहरों में सिल्ट इक्ट्ठा हो जाने तथा नहरों के बैक (पटरी) कमजोर हो जाने के कारण नहरों के जगह–जगह टूटने के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गयी तथा सिंचाई कार्य भी बाधित हुआ ? यदि हां, तो नहरों को मजबूत तथा गहरा करने एवं प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकार कौन सा कदम उठाने जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० इकाई देवरिया के मजदूरों के भविष्य निधि के संबंध में जानकारी

87–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० इकाई देवरिया के मजदूरों के भविष्य निधि की कटौती की गयी धनराशि विगत अप्रैल, 1995 से अब तक भविष्य निधि के खाते में कितनी जमा की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निगम की इकाई देवरिया के मजदूरों के विगत माह अप्रैल, 95 से मार्च, 1997तक के वेतन से कटौती की गयी भविष्य निधि की धनराशि रु० 36,96,959/= में से रु० 11,10,480/= उनके भविष्य निधि खाते में जमा कर दी गयी है तथा अवशेष धनराशि रु० 25,86,479/= का भुगतान वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण नहीं किया जा सका है । माह अप्रैल, 1997 से जून, 1997 तक के वेतन का भुगतान भी अत्यन्त वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण मिल द्वारा नहीं किया जा सका है ।

जनपद रायबरेली के कतिपय विद्यालयों में फर्जी भुगतान की शिकायत

88–श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के कतिपय विद्यालयों में फर्जी छात्र संख्या के आधार पर सरकारी धन का अवैध रूप से छात्रवृत्ति के रूप में निकाले जाने की शिकायत क्षेत्रीय सांसद श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा दिनांक 9-4-97 को मुख्य मंत्री जी से की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त शिकायती-पत्र के आधार पर मण्डलायुक्त, लखनऊ ने जांच में शिकायत सही पायी जाने के कारण संबंधित समाज कल्याण अधिकारी को निलम्बित करने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां ।

जी हां ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं वरिष्ठ लिपिक को निलम्बित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

89–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

तहसील नौतनवां जनपद महराजगंज में नेपाल से आने वाले नदी/नालों की संख्या तथा उनसे हुई हानि का विवरण

90–श्री अमरमणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील नौतनवां, जनपद महराजगंज में कितने नदी नाले नैपाल से निकल कर भारत के जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां में आते हैं ? क्या वहां पर व्यास नदी, चन्दन नदी, वधेला नदी, सोनिया नदी, रोहिन नदी, डाण्डा नदी, वसमनियां नदी, महाव नदी बहती है ? इनमें सन् 1990 से लेकर सन् 1996 तक वर्षवार कितने धन जन की हानि हुई है ? क्या सरकार धन जन की हानि को बचाने के लिए उक्त नदियों का तटबन्ध बनाने एवं अर्द्ध निर्मित तटबन्धों को पूरा कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नैपाल से निकलकर तहसील नौतनवां जनपद महराजगंज में 8 नदी/नाले आते हैं।

जी हां।

सन् 1990 से 1996 तक जन-धन की हुई हानि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	जीवन हानि		धन हानि
	मानव	पशु	
1990-91	—	—	—
1991-92	—	—	—
1992-93	—	—	—
1993-94	05	07	रु० 3,55,30,000/- (फसल क्षति) रु० 4,60,50,000 (मकान क्षति)
1994-95	—	—	—
1995-96	01	—	रु० 24,59,500 (मकान क्षति)

महाब नदी/नाला के नहरीकरण एवं उसके तटबन्धों के सुदृढ़ीकरण की योजना के अतिरिक्त अन्य नदियों पर कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्राट अकबर के मकबरे सिकन्दरा, जनपद आगरा के प्रांगण में रह रहे दुर्लभ प्रकार के हिरणों के संरक्षण

91–श्री अमरमणि तथा श्री विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू"–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्राट अकबर के मकबरे सिकन्दरा, जनपद आगरा के प्रांगण में कितने दुर्लभ प्रकार के हिरण मौजूद हैं ? क्या सरकार इन हिरणों के संरक्षण एवं भोजन पानी हेतु कोई व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में सम्राट अकबर के मकबरे सिकन्दरा जनपद आगरा में कुल 68 काले हिरन हैं जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आगरा के संरक्षण में पल रहे हैं।

इनके रखरखाव का उत्तरदायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आगरा द्वारा निर्वहन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही के कतिपय गांवों में नहर खुदाई कार्य रोके जाने के औचित्य

92–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड जनपद भदोही में नहर खुदाई का कार्य ग्राम वारीपुर लमाही तथा ग्राम रामदासपुर ओझापुर में रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक उक्त नहर की खुदाई शुरू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वारीपुर ग्राम में माइनर पूर्ण हो चुकी है। ग्राम लमाही में बहोरनपुर माइनर तथा ग्राम रामदासपुर में इनार गांव रजबाहा के कुछ भागों में निर्माण अवरुद्ध है। ग्राम ओझापुर में अभी माइनर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

अवरुद्ध भागों के भू-स्वामी अपनी भूमि नहर के निर्माण हेतु देना नहीं चाहते हैं।

ओझापुर में माइनर के निर्माण का कार्य स्थगित है। भूमि उपलब्धता पर ही प्रश्नगत नहरों के अवरुद्ध भागों की खुदाई निर्भर है।

इस योजना पर भूमि के विवाद के कारण कोई नई नहर न बनाने का निर्णय लिया गया है।

93 श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[3 सरे शुक्र में अता० प्र० सं० 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

94–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[पांचवें मंगल में अता० प्र० सं० 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शारदा सहायक खण्ड–40, लखनऊ के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच की मांग

95–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र जो प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को 40 ई० आई०/वी० आई० पी० दिनांक 8-5-97 को प्रेषित है और जिसमें शारदा सहायक खण्ड–40, लखनऊ के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच की मांग है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

दिनांक 01-8-1997 का प्राप्त जांच आख्या पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद-सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड में गम्भीर अनियमितताओं की जांच

96-श्री तेजभान सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको संबोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-5-97 का पत्र, जो प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, को पत्रांक-41 ई० आई०/वी० आई० पी० द्वारा भेजा गया, जिसमें जनपद-सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड में गम्भीर अनियमितता की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97-श्री तेजभान सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको संबोधित प्रश्नकर्ता के पत्र जो प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, को पत्रांक-42 ई० आई०/वी० आई० पी० दिनांक 8-5-97 द्वारा प्रेषित किया गया है और जिसमें शारदा सहायक खण्ड-49, सुल्तानपुर के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों की जांच की मांग है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के कतिपय गांवों के कृषकों की फसल को बभनान चीनी मिल के गन्दे पानी से हुई कथित क्षति

98-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के बभनान शुगर मिल द्वारा वर्ष 1993 से मई, 97 तक ग्राम बभनी, महरागौरा, करनपुर के कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार गरीब किसानों को फसल क्षति पूर्ति कब तक दिलवा देगी ? मिल के गन्दे पानी से कितने कृषकों की फसल की क्षति होती है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 1993 से मई, 1997 तक ग्राम बभनी, महरागौरा, करनपुर के कृषकों की फसल को जनपद गोण्डा की बभनान चीनी मिल के गन्दे पानी से कोई क्षति होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः किसी क्षतिपूर्ति किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अलीगढ़ जनपद की दी सहकारी साथा शुगर मिल की क्षमता दो गुनी करने की मांग

99–श्री दलवीर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री अलीगढ़ जनपद की दी सहकारी साथा शुगर मिल को किसानों की अधिक गन्ना उपज को देखते हुए क्षमता दो गुनी करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वित्तीय संस्थायें उन्हीं मिलों को विस्तारीकरण हेतु वित्तीय सहायता दे रही हैं, जिनकी नेटवर्थ ऋणात्मक न हो तथा जो गत तीन वर्षों से नकद लाभ अर्जित कर रही हो । साथा चीनी मिल इन शर्तों को पूरा नहीं करती ।

जिला समाज कल्याण अधिकारियों का वेतनमान अन्य जिला स्तर के अधिकारियों के समान किये जाने की मांग

100–श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जिला समाज कल्याण अधिकारियों का वेतनमान अन्य जिला स्तर के अधिकारियों के समान द्वितीय श्रेणी का वेतनमान 2200–4000 नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जिला समाज कल्याण अधिकारियों का वेतनमान अन्य जिला स्तर के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के समान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला समाज कल्याण अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला समाज कल्याण अधिकारियों के कार्यालय में लेखाकार का पद सृजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अपर जिला विकास अधिकारी का पद प्रथम श्रेणी का किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां ।

समता समिति 1989 की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के अनुसार वेतनमान दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

101–एडवोकेट राम तेज यादव–

[चौथे गुरु में अता० प्र० सं० 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चीनी मिल बभनान जिला गोण्डा में मजदूरों की स्थायी नियुक्ति की मांग

102–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या चीनी मिल बभनान जिला गोण्डा में कितने पद मजदूरों एवं अधिकारियों के स्वीकृत हैं ? क्या यह सही है कि चीनी मिल बभनान में 565 मजदूर का पद रिक्त है किन्तु उन पदों पर मजदूरों को स्थायी नियुक्ति न करके, ठेके पर मिल तंत्र ले रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि शासन को दिनांक 13-1-97 को प्रश्नकर्ता ने इस आशय का शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बभनान चीनी मिल एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है । प्राप्त सूचनानुसार चीनी मिल बभनान मे मजदूरों एवं अधिकारियों का कोई पद स्वीकृत नहीं है, और न ही मजदूरों का पद रिक्त है । अतः मजदूरों की स्थायी नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं है । जहां तक ठेके पर कार्य लिये जाने का प्रश्न है, ठेके पर उन स्थानों पर कार्य लिया जाता है जो शासनादेश के अन्तर्गत नियमित है, प्रश्नकर्ता द्वारा दि० 13-1-97 को शासन को संदर्भित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

103–श्री सुखपाल पाण्डेय–

[दि० 30-7-97 को अता० प्र० सं० 148 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के 91 मल्लावां क्षेत्र में हथौरा ड्रेन पर पुल निर्माण की मांग

104–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में हथौरा ड्रेन पर ग्राम झंडीपुरवा व वनथरिया के बीच में जनता के आवागमन हेतु पुल का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्षाऋतु के पश्चात् इसी वर्ष पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

जनपद बाराबंकी में राष्ट्रीय पेंशन योजना एवं मातृत्व योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की जानकारी

105–श्री कोविद कुमार सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में राष्ट्रीय पेंशन योजना एवं मातृत्व योजना के अन्तर्गत अगस्त, 1995 से अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ? कितनों ने आवेदन किया ? क्या आवेदन पत्रों का निरीक्षण करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत 9, 826 व्यक्तियों तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत 17,606 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है ।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 13,086 तथा मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत 20,918 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ।

जी, हां । राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन-पत्रों का निरीक्षण उप जिलाधिकारियों तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के आवेदन-पत्रों का निरीक्षण खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण, बाराबंकी के स्थानान्तरित कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा समाज कल्याण बाराबंकी से कथित वेतन आहरण

106–श्री कोविद कुमार सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यालय समाज कल्याण, बाराबंकी के कतिपय कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्ष 1996 में किया गया था जिन्हें स्थानान्तरण के फलस्वरूप माह दिसम्बर, 1996 में कार्यमुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनमें से कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन कार्यालय समाज कल्याण, बाराबंकी से ही आहरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां ।

जी नहीं । वर्तमान में किसी कर्मचारी/अधिकारी का वेतन कार्यालय समाज कल्याण, बाराबंकी से आहरित नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० की इकाई देवरिया में कार्यरत श्रमिकों के वेतनमान एवं पदनाम के सम्बन्ध मे जानकारी

107–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० की इकाई देवरिया में ऐसे कितने श्रमिक कार्यरत हैं, जिन्हें वर्तमान कार्य के प्रकृति के अनुरूप वेतनमान एवं पदनाम नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निगम की इकाई देवरिया में 108 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें उनके कार्य के अनुरूप पदनाम तथा वेतनमान नहीं दिया गया है ।

निगम की 18 चीनी मिलों के निजीकरण हेतु बी० आई० एफ० आर० द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निविदा आमंत्रित की गयी थी । बी० आई० एफ० आर० द्वारा इन मिलों के निजीकरण हेतु लिए गये निर्णय के फलस्वरूप इन मिलों में मानव मानक शक्ति का निर्धारण नहीं किया जा सका है । निजीकरण के अन्तर्गत 18 चीनी मिलों में से देवरिया इकाई भी सम्मिलित है । बिना मानव मानक शक्ति का निर्धारण किए 108 कार्यरत कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप पदनाम तथा वेतनमान दिया जाना सम्भव नहीं है ।

पूर्वांचल क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर्स को राज्य के औसत विकास दर पर लाने हेतु समयबद्ध ऐक्शन प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में जानकारी

108–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विगत 6 जनवरी, 1997 को योजना भवन लखनऊ में नियोजन विभाग की हुयी बैठक में पूर्वांचल क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर्स को राज्य के औसत विकास स्तर पर लाने हेतु

10 वर्षों के टाइपफ्रेम में लाकर एक ऐसे समयबद्ध ऐक्शन प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र का अपेक्षित विकास हो सके ? यदि हां, तो उक्त कार्य योजना को प्रदेश सरकार कब से क्रियान्वित करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पूर्वांचल क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर्स को राज्य के औसत विकास दर पर लाने हेतु समयबद्ध ऐक्शन प्लान तैयार किये जाने हेतु तत्कालीन नियोजन सचिव के स्तर पर एक बैठक 6 जनवरी, 1997 को योजना भवन, लखनऊ में आयोजित हुई थी, जिसमें विचार-विमर्श के उपरान्त यह तय पाया था कि संबंधित विभाग पूर्वांचल क्षेत्र के अन्तर्गत अपेक्षाकृत पिछड़े सेक्टर्स को राज्य स्तर तक लाने हेतु अगले 10 वर्ष का टाइम फ्रेम निर्धारित करते हुए ऐक्शन प्लान तैयार करें और नियोजन विभाग को उपलब्ध करायें । इस निर्णय के क्रम में कतिपय विभागों ने सूचनायें उपलब्ध कराई हैं तथा कतिपय विभागों तथा जिलों को सूचना प्रेषित करने हेतु अनुस्मारित किया गया है । चूंकि उक्त योजना सम्प्रति संरचनाधीन है, अतः इस (स्टेज) पर कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता हैं ।

प्रदेश में दाई के पद पर कार्यरत महिलाओं को नियमित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने की मांग

109–श्री राम नक्षत्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में दाई के पद पर महिलायें कार्यरत हैं जिन्हें मात्र 150/- रुपये वेतन से गुजारा करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें नियमित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, वर्तमान में महिलायें प्रदेश में दो प्रकार के दाइयों के पदों पर कार्यरत हैं (1) पूर्णकालिक दाइयां (2) अंशकालिक दाइयां । पूर्णकालिक दाइयों को प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतन प्राप्त होता है । अंशकालिक दाइयों को रु० 150/- प्रतिमाह नही अपितु मात्र रु० 50/- प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, जो भारत सरकार से प्राप्त होता है ।

पूर्णकालिक दाइयां पूर्व से ही नियमित कर्मचारी हैं, अंशकालिक दाइयां अंशकालिक होती हैं और उनका पूर्ण व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, अतः उन्हें नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है, राज्य सरकार बचनबद्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में व्याप्त घोटालों पर कार्यवाही की मांग

110–श्री बाबू राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में व्याप्त विभिन्न घोटालों की शिकायतों के संबंध में जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, गाजियाबाद का पत्र दिनांक 4 जून, 1997 मंत्री जी को दिनांक 26 जून, 1997 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को घोटाले में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांचोपरान्त दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० शासन के सचिवालय में तैनात उ० प्र० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के कर्मचारियों की वापसी

111–श्री बाबू राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ के कर्मचारी उत्तर प्रदेश शासन के सचिवालय स्थित चिकित्सा विभाग मे सम्बद्ध किये गये हैं ? यदि हां, तो कब से और उनकी संख्या क्या है ? क्या शासन ऐसे कर्मचारियों को उनके पैतृक निदेशालय में वापस किये जाने हेतु विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ के 5 कर्मचारी सचिवालय स्थित चिकित्सा विभाग में सम्बद्ध थे जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	पद नाम	कर्मचारी की संख्या	अवधि
1	आशुलिपिक	एक	जून, 1992
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दो	सितम्बर, 1992 जुलाई, 1995
3	कनिष्ठ लिपिक	एक	जून, 1996
4	वरिष्ठ लिपिक	एक	अप्रैल, 1997

उक्त कर्मचारियों की सम्बद्धता समाप्त करके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में उनके मूल पद पर तैनात करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक समाज कल्याण द्वारा संचालित पी० एल० ए० की धनराशि को सरकारी खजाने में जमा कराने की मांग

112–श्री विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू"–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव एवं निदेशक, समाज कल्याण के नियंत्रणाधीन (अलग-अलग) कुल कितने पी० एल० ए० खाते इस समय चलाये जा रहे हैं । उनमें वित्तीय वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के अन्तर्गत तक कुल

कितना धन जमा किया गया है और क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त धनराशि को दुरुपयोग होने से बचाने के लिये पुनः सरकारी खजाने में जमा कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

प्रमुख सचिव एवं सचिव, समाज कल्याण का कोई पी० एल० ए० नहीं है । निदेशक, समाज कल्याण के नियंत्रणाधीन एक पी० एल० ए० संचालित है ।

वित्तीय वर्ष 1994-95, 199596 तथा 1996-97 के अन्त तक कुल जमा की गयी धनराशि निम्नलिखित है :–

वर्ष	धनराशि (लाख रुपये में)
1994-95	6047.52
1995-96	2194.47
1996-97	1327.36

उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु धनराशि आहरित कर पहले पी० एल० ए० में ही रखी जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत धनराशि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आहरित की गयी है । इसलिए उसे पुनः सरकारी खजाने में जमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना संचालन तथा उच्चीकरण की जानकारी

113–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा कक्षा 1 तथा 2 तक शिक्षा के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कब खोले गये थे ? इनको खोलने का औचित्य क्या है ? इन विद्यालयों को अब तक उच्चीकृत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि कक्षा 1 व 2 तक के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को आगे शिक्षा देने की विभाग द्वारा अब तक व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश में संचालित विद्यालयों में कुल कक्षावार लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या क्या है ? क्या सरकार द्वारा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाये जाने के लिये कोई सार्थक कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री श्रीराम पाल–

कक्षा–1 तथा 2 तक शिक्षा के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना सन् 1987 से अब तक विभिन्न वर्षों में की गई ।

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, कोल शहरिया एवं मुसहर जाति के बालक/बालिकाओं को पारिवारिक वातावरण से पृथक रखकर आवासीय सुविधा, भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, औषधि, मनोरंजन आदि की सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराकर शिक्षित करना इन विद्यालयों के खोलने का औचित्य है ।

समय-समय पर इन विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है । वर्तमान समय में समाज कल्याण विभाग द्वारा 41 राजकीय तथा 3 स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से शत प्रतिशत अनुदान पर आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छात्र/छात्राओं की कुल संख्या–6055 है । विद्यालयों में छात्रों की स्वीकृत क्षमता निम्नवत् है :–

क्र०सं०	कक्षा	विद्यालय संख्या	कुल छात्र
1	1 से 2	17	1020
2	1 से 5	14	2125
3	1 से 8	8	1625
4	1 से 10	4	980
5	1 से 12	1	305
योग–		44	6055

जी हां ।

महात्मा ज्योतिवा राव फुले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय, लखनऊ की स्थापना सरकारी भवन बनाकर की गई है । इसकी आवासीय क्षमता 1000 बालकों की है तथा शिक्षा कक्षा–1 से 12 तक दी जायेगी । विद्यालय जुलाई, 1997 से प्रारम्भ कर दिया गया है । इसके अलावा मुरादाबाद कानपुर और आगरा में भी इस प्रकार के स्कूल खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

114–एडवोकेट राम तेज यादव–

[चौथे गुरु में अता० प्र० सं० 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई निर्माण खण्ड, बलिया द्वारा अहिरौली राजबहा पर विकास खण्ड–नगरा व सीयर में नहर खुदाई कार्य एवं भुगतान

115–श्री पारस नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई निर्माण खण्ड, बलिया के विकास खण्ड नगरा अन्तर्गत नगरा अहिरौरी माईनर पर नहर खुदाई जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष अप्रैल-मई, 1996 में कराई गई है ? उक्त नहर खुदाई हेतु कितना धन जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था ? कार्य होने पर कितना भुगतान होना शेष है ? बाकी पैसे का पेमेण्ट कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नगरा अहिरौरी माईनर नहीं, वरन् अहीरौली राजवाहा पर विकास खण्ड, नगरा व सीयर में नहर खुदाई का कार्य कराया गया है ।

जवाहर रोजगार योजना (10 लाख कूप योजना) के अन्तर्गत रु० 9.91 लाख स्वीकृत हुआ था ।

रु० 1.59 लाख का भुगतान शेष है । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ।

प्रदेश के सदर अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सरकारी दवाओं की खरीद एवं सप्लाई की नीति एवं जनपद मैनपुरी में दवाई का कोटा बढ़ाने की मांग

116–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद के सदर अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सरकारी दवाओं की खरीदने एवं सप्लाई करने की नीति क्या है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में किन-किन अस्पतालों को वर्ष 1996 में एवं वर्ष 1997 में अब तक कितने-कितने रुपये की दवाई दी गयी और उसके सही वितरण को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये ? क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में गरीबों के हितार्थ दवाइयों का कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्तमान में दवाओं की क्रय एवं आपूर्ति करने की नीति के अन्तर्गत औषधियों के लिये प्राविधानित धनराशि को 80% बजट परिधिगत अधिकारियों के निस्तारण पर एवं अवशेष 20% धनराशि से केन्द्रीय औषधियों का क्रय किया जाता है । परिधिगत अधिकारी मास्टर सूची में सम्मिलित औषधियों का क्रय दर अनुबंध/ब्राण्ड नेम "के" अन्तर्गत औषधि समीक्षा समिति, केन्द्रीय क्रय समिति तथा उच्चस्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् किया जाता है ।

परिधिगत जिला चिकित्सालयों तथा 100 से अधिक शैय्याओं वाले चिकित्सालयों हेतु आवंटित धनराशि का 85% उनके लिए निर्धारित सूची से तथा शेष 15% आवश्यकतानुसार मास्टर सूची से क्रय किये जाने की व्यवस्था है । केन्द्रीय औषधि भण्डार स्तर पर क्रय की गई औषधियों की आपूर्ति जनपदों को उनके बजट के अनुरूप तथा मांग पत्र के आधार पर की जाती है ।

जनपद मैनपुरी को केन्द्रीय औषधि भंडार के 20% अंश में से निम्न धनराशि की औषधियां दी गई हैं :–

क्रम सं०	अधिकारी	1995-96	1996-97
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।	108385.23	135618.31
2	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष)	111737.00	44395.07
3	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला)	31850.52	33692.96

इसी प्रकार जनपद मैनपुरी के अस्पतालों को उनके 80% अंश में से निम्नलिखित धनराशि से औषधियां क्रय की गई हैं:–

क्रम सं०	अधिकारी	95-96	96-97
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अ) सा० स्वा० केन्द्र, मैनपुरी ।	—	18985.70
	(ब) प्रा० स्वा० के०	1482951.15	1266882.85
	(स) नवीन प्रा० स्वा० के०	190993.25	158445.80
	योग :–	1673944.40	1444314.35

2	पुरुष जिला चिकित्सालय ।	472904.95	844999.75
3	महिला जिला चिकित्सालय ।	181855.27	369294.40

जनपदों में औषधि वितरण का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु औषधि के आपूर्ति पत्र पर एवं संबंधित चिकित्सालय की भंडार पुस्तिका पर अंकन होता है जिसका संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है । औषधियों का वितरण, उपचार हेतु आने वाले रोगियों की विभागीय काउण्टर पर अंकित संख्या के आधार पर किया जाता है, जिस पर प्रभावी नियंत्रण काउण्टर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा अनुश्रवण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 96-97 में औषधि मद हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु० 32.41 करोड़ के सापेक्ष्य वर्ष 97-98 में उक्त मद में रु० 36.57 करोड़ का प्राविधान है, जिसमें जनपद मैनपुरी भी सम्मिलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

117–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के माड़ा बाजार, परसा तिवारी, महराजगंज गिरन्ट, बलेसरगंज, पायरखास, धर्मदासपुर कुड़ासन, वीरेपुर उपाध्यापुर ग्रान्ट, लिटेहना ग्रन्ट, करटा सिसवा, परसापुर धनवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोल देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जनपद सुल्तानपुर में कार्यरत जूनियर इंजिनियरों की संख्या एवं स्थानान्तरण आदेश स्थगित करने की जानकारी

118–श्री तेजभान सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में जनपद सुल्तानपुर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कुल कितने जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं ? प्रत्येक जूनियर इंजीनियर की इस जनपद में नियुक्ति की अवधि क्या है ? इनमें से कितने जूनियर इंजीनियर ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण करने के बाद पुनः रोका गया है और क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जनपद सुल्तानपुर में वर्तमान समय में कुल 48 जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं।

जनपद सुल्तानपुर में जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति अवधि सम्बन्धी सूची संलग्न है।

तीन जूनियर इंजीनियर का स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) के स्तर से किया गया था। कालान्तर में जनहित में अग्रिम आदेशों तक के लिये स्थानान्तरण आदेश स्थगित किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 158–159 पर)

जनपद फिरोजाबाद में सिरौलिया में गिरने वाले नालों की सफाई की मांग

119–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में सिरौलिया के पास कुछ ग्रामों की लगभग 5 हजार एकड़ भूमि 12 महीने जल मग्न रहती है ? क्या इस जमीन में कानपुर ब्रान्च निचली गंगा नहर के छः नालों का पानी गिरता है और वे नाले अवरुद्ध पड़े हैं ? यदि हां, तो किसानों को राहत दिलाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लगभग 550 एकड़ भूमि जलमग्न रहती है। पांच प्राकृतिक नाले तथा एक नाला निचली गंगा नहर का गिरता है। इस क्षेत्र की जल निकासी प्राकृतिक कोसौन नाले के माध्यम से सेंगर नदी में होती है। संसाधन की कमी के कारण प्राकृतिक नालों की सफाई नहीं कराई जाती है।

सेवा निवृत्त गन्ना ग्राम सेवक श्री हुलासी राम, गन्ना विकास समिति रौजा शाहजहांपुर के देयकों का भुगतान

120–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री हुलासी राम, गन्ना ग्राम सेवक, गन्ना विकास समिति रौजा शाहजहांपुर से 21-12-77 को अवकाश ग्रहण किया है ? क्या उनके अवशेष धन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसके लिये दोषी व्यक्तियों को दण्डित करते हुए उनके बकाया धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु आदेश देंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

श्री हुलासी राम, गन्ना ग्राम सेवक (सेवानिवृत्त) को लगभग रुपये 6057.00 का भुगतान सेवानिवृत्तिक देयकों के रूप में किया जाना अवशेष है, जबकि उनके विरुद्ध सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, शाहजहांपुर में फर्जी खाद्य वितरण के रु० 19409.63 के गबन का प्रकरण विचाराधीन है। उक्त गबन के प्रकरण में कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के उपरान्त ही नियमानुसार, यथास्थिति, श्री हुलासी राम के अवशेष देयकों का भुगतान सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आबकारी निरीक्षक पद हेतु राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली का कथित आरोप

121–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1990 में उप आबकारी निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु राज्य स्तरीय विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त नियुक्तियों में बरती गयी गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में सांसद, डा० अमृत लाल भारती द्वारा सम्बोधित पत्रों दिनांक 5-10-96, 4-11-96, 16-12-96, 16-1-97 एवं 12-2-97 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इस प्रश्न में इंगित पत्रों पर शासन द्वारा विचार किया गया । चयन में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

122–श्री तेजभान सिंह–

[चौथे गुरू में अता० प्र० सं० 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद गोण्डा में कतिपय स्वास्थ्य भवनों के निर्माण की मांग

123–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राधोपुर इसरापुर, गोण्डा, नसीरपुर, शुक्लापुर, बानव, हरैया, बेरिया नजीरपुर छिबरामऊ, परचल रसूलपुर में स्वास्थ्य भवन के निर्माण के संबंध में पत्र सं०–एम–3/61-9/हरदोई/96 दिनांक 23-12-1996 में निहित निदेशों के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रश्न में उल्लिखित स्थलों में से ग्राम-हरैया में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत नहीं है । शेष स्थलों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं ।

वितीय वर्ष 1996-97 में विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी जिसमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परचल रसूलपुर के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है । शेष केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण जिला योजना का विषय है और निर्माण हेतु धन की स्वीकृति जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

124–श्री अम्बरीष कुमार–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त ।

सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की में मिस्त्री संवर्ग में प्रोन्नति करने तथा नियमावली लागू करने की मांग

125-श्री राम सिंह सैनी तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में कार्यरत मिस्त्री संवर्ग को अन्य मण्डलों में कार्यरत मिस्त्रियों के समान पदोन्नति, प्रोन्नति वेतनमान तथा 1990 में शासन से स्वीकृत सेवा नियम लागू करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विभाग में सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की में मिस्त्री संवर्ग में पदोन्नति का पद नहीं है और न ही अभी कोई सेवा नियमावली स्वीकृत है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

महिला चिकित्सालय गोलागंज, लखनऊ की अधीक्षिका के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

126–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि महिला चिकित्सालय गोलागंज, लखनऊ की मुख्य अधीक्षिका के विरुद्ध 5 जुलाई, 1996 को महासचिव, संघर्ष समिति, महिला चिकित्सालय, लखनऊ द्वारा कोई मांग पत्र महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड-शाहजहांपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग

127–श्री चेतराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामरतनलाल आदि बीस अभ्यर्थियों का अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड शाहजहांपुर द्वारा नलकूप सहायक के पदों पर दिनांक 12-5-94 को चयन किया गया तथा प्रशिक्षण भी पूर्ण करा लिया गया ? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण रहे ? उक्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के निर्णय दि० 18-5-1994 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका के परिपेक्ष्य में नलकूपों पर किसी भी अंशकालीन नलकूप चालक/नलकूप सहायक की नियुक्ति अग्रिम आदेशों तक न करने का, निर्णय विभाग द्वारा लिया गया जिसके अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों में से कोई नियुक्ति नहीं की गई ।

शासनादेश संख्या–7836/96–27–सिं–7, दि० 17-12-1996 के अनुसार तत्कालिक प्रभाव से सिंचाई विभाग में अंशकालीन नलकूप चालकों/नलकूप सहायकों के संवर्ग को समाप्त कर दिया गया है । अतः उक्त पदों पर नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला दृष्टिहीन समिति द्वारा आंख के आपरेशन में कथित अवैध धन की वसूली का आरोप

128–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में आई ब्लाइडनेंस समिति के द्वारा जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 1993-94,1994-95 तथा जून, 1997 तक कहां-कहां कब-कब किस-किस स्वा० केन्द्र पर कितने-कितने आंखों के कैम्प लगाये गये तथा कितनों को सरकार द्वारा चश्में वितरित किये गये ? क्या यह सही है कि सामु० स्वा० केन्द्र तिलहर पर वर्ष 1994-95 में आंख का केवल एक ही कैम्प लगाया गया ? क्या उपरोक्त कैम्प में जो आपरेशन किये गये जिसकी जांच प्रश्नकर्ता की शिकायत पर सी० एम० ओ० शाहजहांपुर द्वारा वरिष्ठ क्षय रोगाधिकारी से कराई गई ? क्या आपरेशन कर्ताओं के परिवार के सदस्यों ने जांच अधिकारियों के समक्ष 5 व्यक्तियों ने लिखित बयान भी दिये जिसमें 200/- से 500/- रुपये तक वसूली की गयी ? सरकारी कैम्प में अवैध धन की वसूली करने वाले डाक्टर के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जिला दृष्टिहीन [illegible]धत्रण समिति शाहजहांपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1993-94 में कोई शिविर नहीं लगाया गया । वर्ष 1994-95 में 18, वर्ष 1995-96 मे 06 तथा वर्ष 1996-97 मे 34 नेत्र शिविर लगाये गये । वर्ष 1997-98 में 30 जून, 1997 तक कोई नेत्र शिविर नहीं लगाया गया । शेष बिन्दुओं के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, प्रश्नगत प्रकरण में बयानकर्ताओं द्वारा धन दिये जाने की शिकायतों की जांच के उपरान्त पुष्टि नहीं हो सकी । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 160–162 पर)

जनपद बहराइच के पश्चिमी वन प्रभाग के मुख्य जन्तु प्रतिपालक को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

129–डा० वकार अहमद शाह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पश्चिमी वन प्रभाग को वन जन्तु सेन्चुरी कब बनाया गया ? उसमें कार्यरत वन जन्तु प्रतिपालक को वन जन्तु संरक्षण हेतु क्या-क्या अधिकार एवं सुविधायें दी गई है ? इसके विकास एवं देखरेख हेतु मुख्य जन्तु प्रतिपालक ने कितनी बार इस क्षेत्र का भ्रमण किया है ? क्या वन जन प्रतिपालक को जीप गाड़ी की सुविधा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या वे उसका प्रयोग करते हैं ?

सुश्री मायावती–

जनपद बहराइच के पश्चिमी वन प्रभाग को वन्य जीव बिहार घोषित नही किया गया है बल्कि दिनांक 1-4-97 से इस प्रभाग का प्रशासनिक नियंत्रण वन्य जीव परिरक्षण संगठन के अधीन रखते हुए इसका नाम कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग रखा गया है । इसमें कार्यरत वन्य जीव प्रतिपालक को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार एवं पूर्ववत सुविधायें प्राप्त है । वन्य जीव प्रभाग घोषित होने के बाद से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा इस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया जा सका है । वन्य जन्तु प्रतिपालक को सरकारी कार्य के लिए जीप गाड़ी के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, किन्तु विगत 19 माह से गाड़ी खराब है ।

निर्वाचन क्षेत्र पुवायां शाहजहांपुर में स्थापित सरकारी ट्यूबवेलों की जानकारी

130–श्री चेतराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर में कुल कितने सरकारी ट्यूबवेल स्थापित हैं ? उनमें कितने ट्यूबवेल चालू हालत में है तथा कितने बन्द पड़े हैं ? क्या मंत्री जी जनहित में समस्त सरकारी ट्यूबवेलों की भौतिक जांच कराकर सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में 164 राजकीय नलकूप हैं ।

दि० 31-7-1997 की बंदी सूचना के अनुसार 12 नलकूप के परित्याग होने तथा 3 नलकूप पूर्णतया असफल होने के कारण स्थाई एप से तथा 16 नलकूप यांत्रिक दोष के कारण एवं 10 नलकूप विद्युत दोष के कारण अस्थाई रूप से बन्द हैं ।

जनपद में नलकूप की बंदी की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह तैयार की जाती है । भौतिक सत्यापन भी आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर में कोरोकुइयां से उमरिया पुल तक नहर की पटरी पर खड़ंजा निर्माण की जांच

131–श्री चेतराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुवायां जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत ग्राम कोरोकुइयां से उमरिया पुल तक नहर की पटरी का खड़ंजा स्तर तक का निर्माण वर्ष 1997 में नहर विभाग द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो उक्त खड़ंजा निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी उक्त निर्मित कार्य (खड़ंजा) की भौतिक जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कार्य प्रगति पर है ।

माह 3/97 तक कुल धन रु० 7.6 लाख व्यय हुआ ।

मुख्य प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ को जांच करने के निर्देश दे दिये गए हैं ।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में रिक्त पदों के पूर्ति की मांग

132–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में कुल कितने डाक्टर एवं नर्स कार्यरत हैं ? कितने डाक्टर एवं नर्स के पद रिक्त हैं ? रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में कुल 12 डाक्टर तथा 4 स्टाफ नर्स कार्यरत है ।

उक्त चिकित्सालय में 7 डाक्टर, 4 स्टाफ नर्स तथा 3 पद सिस्टर के रिक्त है । चिकित्सकों/नर्सेज की उपलब्धता होते ही पद भरे जाते हैं ।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रशिक्षण सेल के सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ लिपिक पर चयन में धांधली का आरोप

133–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य निदेशालय के प्रशिक्षण सेल में कार्यरत सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ लिपिक को अभ्यर्थियों के चयन में हेराफेरी एवं गड़बड़ी किये जाने के आरोप प्रमाणित होने के उपरान्त उक्त सेल से स्थानान्तरित किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त लिपिक को स्थानान्तरित करने के उपरान्त पुनः उसी सेल में सम्बद्ध कर दिया गया है और अभी भी उसके द्वारा चयन संबंधी कार्य सम्पन्न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या आरोपों के आधार पर स्थानान्तरण करके पुनः सम्बद्ध करने के लिए दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रशिक्षण सेल से सहायक निदेशक को महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 31-10-95 द्वारा सहायक निदेशक (मुख्यालय) के पद पर स्थानान्तरित किया गया था । वरिष्ठ लिपिक को सम्बद्धता जनहित में समाप्त करते हुये प्रशिक्षण सेल से राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में स्थानान्तरित किया गया । वर्तमान में श्री ए०बी०एल० श्रीवास्तव वरिष्ठ लिपिक सिविल अस्पताल लखनऊ में कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर जनपद में प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत दी गयी आर्थिक सहायता की जानकारी

134–श्री अफजाल अहमद–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के योजना में वर्ष 1996-97 तथा अप्रैल, 1997 से 30 जून, 1997 तक कितने अल्पसंख्यकों महिलाओं एवं अविवाहित महिलाओं के प्रार्थना-पत्र प्रधान मंत्री रोजगार योजना के आर्थिक सहायता हेतु बैंक भेजे गये ? उनमें से कितने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिली ? शेष को आर्थिक सहायता न मिलने का क्या कारण है और उनको आर्थिक सहायता कब तक मिल जायेगी ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1996-97 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में अल्पसंख्यक के 95 प्रार्थना-पत्र, अविवाहित महिलाओं के 07 प्रार्थना-पत्र तथा महिलाओं के 42 प्रार्थना-पत्र आर्थिक सहायता हेतु बैंकों को प्रेषित किये गये । वर्ष 1997-98 (1-4-97 से 30-6-97 तक) में अल्पसंख्यकों के 43 प्रार्थना-पत्र, अविवाहित महिलाओं के 08 प्रार्थना-पत्र तथा महिलाओं के 25 प्रार्थना-पत्र आर्थिक सहायता हेतु बैंकों को भेजे गये ।

वित्तीय वर्ष 1996-97 में 35 अल्पसंख्यक 01 अविवाहित महिला तथा 14 महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हुयी है । वित्तीय वर्ष 1996-97 में शेष मामलों में लाभार्थी का इच्छुक न होना, औपचारिकतायें पूर्ण न करना तथा बैंक के स्वयं अथवा परिवार के सदस्य का बकायेदार होने आदि के कारण आर्थिक सहायता उक्त योजनान्तर्गत नहीं मिल पायी ।

वर्ष 1997-98 (1-4-97 से 30-6-97 तक) में 01 अल्पसंख्यक, अविवाहित महिला को योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त हुयी है। वर्ष 1997-98 (1-4-97 से 30-6-97 तक) शेष अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बैंक परीक्षणोपरान्त ऋण स्वीकृत/वितरण करेगा।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण का सर्वेक्षण

135-श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1995-96 व 1996-97 में वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण की सफलता का प्रतिशत दस से पंद्रह के बीच में हैं ? क्या यह सही है कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में दी गयी सूचना में उक्त प्रतिशत अत्यधिक प्रदर्शित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त वर्षों में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन सरकार करायेगी ? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण टीम में जन-प्रतिनिधि भी होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। विभागीय मानक के आधार पर वृक्षारोपण सफलता के लिए सर्वेक्षण वन विभाग के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई द्वारा 3 वर्ष की आयु के बाद तकनीकी आधार पर किया जाता है। इस अवधि के पूर्व वृक्षारोपण की सफलता स्थानीय स्तर से सर्वेक्षण कर आंकलित की जाती है, जिसका राज्य स्तरीय संकलन नहीं किया जाता है।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, तकनीकी आधार पर सर्वेक्षण वृक्षारोपण के तीन साल बाद ही किया जाता है। प्रदेश में क्षेत्र विशेष का उल्लेख न होने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार विभागीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण इकाई द्वारा मूल्यांकन कराया जायेगा।

विभागीय मूल्यांकन टीम में जन प्रतिनिधि नहीं होते हैं। जनपद स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से कराये गये वृक्षारोपणों का निरीक्षण अभिकरण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें जन प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं।

वन विभाग में एक पृथक इकाई वन संरक्षक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की अध्यक्षता में तकनीकी आधार पर कार्य कर रही है। कुछ क्षेत्रों में यू०पी० डेस्को से भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

रामगढ़ ताल परियोजना, गोरखपुर में वन विभाग के विश्राम गृह एवं अन्य भवनों के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

136-श्री अमरमणि-

क्या सरकार को जानकारी है कि रामगढ़ ताल परियोजना जनपद गोरखपुर में वन विभाग का विश्राम गृह एवं अन्य भवन का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण हो गया है ? शेष रुके हुए निर्माण कार्य को पूरा कराने में और कितने धन की आवश्यकता है ? क्या सरकार कार्य को पूर्ण कराने के लिए अवशेष धनराशि देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

शेष रुके हुये कार्यों को पूर्ण करने के लिए राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर रु० 42.41 लाख की मांग परीक्षणाधीन है।

बजट की उपलब्धता के अनुसार इस परियोजना के कार्य हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा।

जनपद देवरिया में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तिकरण की जानकारी

137-श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 1996-97 वित्तीय वर्ष में जनपद देवरिया में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को पूर्णतः संतृप्त किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? क्या संतृप्तीकरण से वंचित अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। वर्ष 1996-97 में जनपद देवरिया में 74 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया था। इन 74 ग्रामों में सम्पर्क मार्ग को छोड़कर 10 प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत 9 अगस्त तक पूर्ण कराने के लिए

शासन के निर्देश हैं । इन प्रमुख कार्यक्रमों में अब तक किसान पेंशन, विधवा पेंशन, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है । अवशेष कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा । प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित समय सीमा के अन्दर अवशेष कार्यक्रमों से वर्ष 1996-97 के समस्त ग्रामों को संतृप्त कर दिया जायेगा ।

सिंचाई विभाग में प्रमुख अभियंता एवं उनके अधीन कतिपय अभियन्ताओं द्वारा चलाये जा रहे पी० एल० ए० खातों के विवरण की जानकारी

138–श्री विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू"–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में प्रमुख अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-II श्रेणी के अधिकारियों द्वारा कुल कितने पी० एल० ए० खाते दिनांक 30 जून, 1997 तक प्रचलित थे तथा उनमें कुल कितनी धनराशि जमा है ? क्या सरकार इन पी० एल० ए० खातों की धनराशि का विवरण देगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

[illegible]

[illegible] में रु० 17,07,11,000/- तथा दूसरे खाते में रु० 55,17,550/- कुल धनराशि रु० 17,62,28,550/- जमा है ।

जी हां । दोनों खातों की धनराशियों का विवरण संलग्न है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 163–164 पर)

फैजाबाद एवं बस्ती मण्डलों में गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की मांग

139–श्री विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू"–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद एवं बस्ती मण्डल में गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान वर्तमान पेराई सत्र में किस रेट से (अलग-अलग) चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया है ? क्या ये रेट भिन्न-भिन्न चीनी मिलों द्वारा अलग-अलग हैं तो उनका (अलग-अलग) रेट क्या है तथा मण्डल के किन-किन चीनी मिलों द्वारा 72 रुपये से कम का भुगतान किया गया है एवं उसका विवरण क्या है ? डिफर भुगतान (अन्तरीय भुगतान) किन-किन चीनी मिलों द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा उनके द्वारा कितना प्रतिशत भुगतान किया गया और जिन चीनी मिलों द्वारा अन्तरिम भुगतान अभी तक नहीं किया गया उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कब तक कृषकों को गन्ना मूल्य का बकाया धनराशि भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

फैजाबाद एवं बस्ती मण्डल में स्थित चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 1996-97 में गन्ना मूल्य भुगतान की दर, भुगतान का प्रतिशत एवं अवशेष गन्ना मूल्य का विवरण संलग्न है ।

अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा चीनी मिलों के ऊपर शीघ्र भुगतान हेतु बराबर दबाव डाला जा रहा है । अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 165 पर)

जनपद मैनपुरी में यू०पी० एग्रो द्वारा अधिष्ठापित इण्डिया मार्का–2 के खराब हैण्ड पम्पों की जानकारी

140–श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में अब तक यू० पी० एग्रो ब्लाक वाइज कितने इंडिया मार्का–II हैण्ड पम्प लगवाये गये हैं और 1997-98 वित्तीय वर्ष में कितने हैण्डपम्प लगवाने के लिये प्रस्तावित हैं ? यू० पी० एग्रो द्वारा लगवाये गये कितने हैण्डपम्प जनपद मैनपुरी में खराब हैं ? क्या सरकार उन्हें ठीक करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जनपद मैनपुरी में यू०पी० एग्रो द्वारा विकास खण्डों में 437 हैण्डपम्प स्थापना का कार्य वर्ष 1996-97 तक निम्नानुसार किया गया :–

1–मैनपुरी	122
2–कुरावली	43
3–सुल्तानगंज	40
4–करहल	71
5–बरनाहल	45
6–बेबर	23
7–विरोर	39
8–जागीर	22
9–किशनी	32
योग :	437

वर्ष 1997-98 में प्राथमिक विद्यालय में कुल 267 हैण्डपम्प स्थापना का प्रयास है । जिसमें से 154 हैण्डपम्प स्थापित कराये जा चुके हैं ।

यू०पी० एग्रो द्वारा लगवाये गये किसी हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना वर्तमान में नहीं है ।

गाजीपुर जनपद में सहायता प्राप्त अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बकाये के भुगतान की मांग

141–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि गाजीपुर जनपद में सहायता प्राप्त अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सन् 1994 से मई 1994 तक लगभग 20 महीने का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? सरकार उक्त शिक्षकों का बकाया वेतन कब तक भुगतान करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीरामपाल–

जी हां ।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ।

अवशेष वेतन के भुगतान की व्यवस्था शीघ्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा सहायक खण्ड–40 लखनऊ द्वारा निर्मित कराये गये क्षतिग्रस्त पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग

142-श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक 40 सुल्तानपुर द्वारा कादू नाला पर रिछौरा, ब्लाक–जामो, सुल्तानपुर पर कोई बड़ा पुल बनाया गया है ? क्या उस पुल पर उत्तरी पहुंच मार्ग बह गया है ? यदि हां, तो यह पहुंच मार्ग कब बनाया गया था? इस संबंध में क्या प्रश्नकर्ता के साथ तत्कालीन जिलाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनवरी, 1993 में निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? क्या इस पुल पर आवागमन पूर्ण रूप से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्र ठीक कराकर पुल पर आवागमन चालू कराने के आदेश देने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कथित पुल का निर्माण शारदा सहायक खण्ड–40, लखनऊ द्वारा कराया गया है ।

उत्तरी पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है ।

पहुंच मार्ग का निर्माण वर्ष 1990-91 में हुआ था ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार मा० विधायक (प्रश्नकर्ता) एवं जिलाधिकारी सुल्तानपुर तथा अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–40, लखनऊ द्वारा दिनांक 28-9-1994 को स्थल का निरीक्षण किया गया था ।

वित्तीय संसाधनों की कमी ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उटता ।

सहायक अभियन्ता जनपद फिरोजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

143-श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 13-5-97 को प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ तथा इसी संदर्भ में दिनांक 29-5-97 को पुनः शिकायती पत्र दिया गया, प्राप्त हुआ ? शिकायती पत्र में उल्लिखित सहायक अभियन्ता जनपद फिरोजाबाद के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

संबंधित सहायक अभियन्ता को खण्ड से स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को दिये गये पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

144–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के द्वारा वर्ष 94–95 तथा मार्च, 97 तक में मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा महिला चिकित्सा अधीक्षक शाहजहांपुर तथा जनपद शाहजहांपुर के समस्त सामु० स्वा० केन्द्र प्राथमिक स्वा० केन्द्र में कुल कितने पत्र कब कब प्रश्नकर्ता के प्राप्त हुये तथा उन पत्रों पर संबंधित अधिकारियों ने कब-कब क्या कार्यवाही की ? कितने पत्रों का उत्तर प्रश्नकर्ता को दिया गया ? कितने पत्रों पर किस-किस अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता के सभी पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95 तथा मार्च, 1997 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, शाहजहांपुर तथा जनपद शाहजहांपुर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल सात (7) पत्र विभिन्न तिथियों में प्राप्त हुये तथा उन पत्रों पर सक्षम अधिकारियों से अलग-अलग तिथियों में जांच कराई गयी ।

प्रश्नकर्ता को उनके दो पत्रों का उत्तर क्रमशः दिनांक 24-1-95 व 23-5-97 को दिये गये हैं ।

सभी पत्रों पर कार्यवाही की जा चुकी है तथा कोई पत्र निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल विकास निधि द्वारा जनपद देवरिया में स्वीकृत परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के निर्देश

145–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनपद देवरिया के लिये वित्तीय वर्ष 1996-97 में 33 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी थी । जिनमें 30 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है । शेष 3 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराने के लिए जिलाधिकारी देवरिया को निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में भूसी बंधी निर्माण की मांग

146–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मिर्जापुर में भूसी बंधी निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण बंधी का निर्माण कब से प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के अर्जुनपुर तथा ज्ञानपुर ग्राम को बाढ़ से बचाने हेतु बांध निर्माण कराने की मांग

147–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अर्जुन नगर ग्राम गंगा नदी की बाढ़ से घिरने के कारण ग्राम के तमाम मकान कट जाने से तबाही से बचाने हेतु ग्राम अर्जुनपुर तथा ग्राम ज्ञानपुर के मध्य 25 फिट ऊंचाई का बांध का निर्माण सरकार द्वारा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत ग्राम फ्लड जोन में बसे हैं फ्लड जोन में बसे गावों की आबादी के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये जाने की नीति शासन की नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गाजीपुर में 300 शैय्या का अस्पताल बनाने की मांग

148–श्री राजेन्द्र यादव

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में 300 शैय्या का अस्पताल बनवाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत पूर्व में प्रारम्भ किये गये अधूरे कोई को ही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा रहा है तथा ऐसे जनपद में जहां पूर्व से ही जिला अस्पताल कार्यशील है वहां नये चिकित्सालयों की स्थापना सम्भव नहीं हो पा रही है ।

प्रदेश में 10 वर्षों से चल रहे अम्बेडकर प्राइमरी पाठशालाओं को अनुदान सूची में सम्मिलित

149–श्री राम नक्षत्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त अम्बेडकर प्राइमरी पाठशालाओं को जो 10 वर्षों से ऊपर से चल रहे हैं, को आवर्तक अनुदान सूची में लिया गया ? यदि हां, तो क्या उन विद्यालयों के अध्यापकों को नियमित वेतनमान मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां । वर्ष 1994 तक कुल 586 विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान एवं उक्त इकाई के पुनर्वासन की मांग

150–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जर्मन गणराज्य के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में स्थापित इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (औद्योगिक विकास मंत्रालय) के अधीन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को विगत 9 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक करा देगी ? क्या सरकार उक्त बीमार इकाई के पुर्नवासन की व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । यह संस्थान भारत सरकार द्वारा जर्मन गणराज्य सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है ।

यह संस्था सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकृत है । इस संस्था के पास धनाभाव के कारण कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका ।

उक्त संस्था के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है । संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर संस्था द्वारा कर्मचारियों का भुगतान किया जायेगा ।

संस्था के पुनर्वासन प्रस्ताव पर संस्था के संचालक मण्डल द्वारा निर्णय लेकर क्रियान्वित किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद में जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत विधान सभावार धन का आवंटन

151–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में विगत 1996-97 के जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये सड़क निर्माण हेतु 6.50 लाख रु० स्वीकृत किया गया किन्तु उक्त धनराशि का केवल आधा धन ही अब तक अवमुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त आधी धनराशि अत्यन्त विलम्ब से अवमुक्त करने तथा कार्य प्रारम्भ कराने की अनुमति जिला अधिकारी द्वारा बिलम्ब से दिये जाने के कारण स्वीकृत मार्गों पर निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

धनाभाव के कारण ।

जी नहीं । कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के सभी बस्तियों की विकास व्यवस्था की जानकारी

152–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर ग्रामों में केवल अनुसूचित जाति की ही बस्तियों में विकास कार्य होंगे या उन ग्रामों की सभी बस्तियों में ? क्या ऐसा आदेश जिला मुख्यालयों पर भी जायेगा ?

सुश्री मायावती–

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों के अनुसूचित जाति की बस्तियों के साथ-साथ उन ग्रामों की अन्य बस्तियों में भी विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है । इस आशय का शासनादेश पहले से विद्यमान है तथा जिला मुख्यालयों को भी प्रेषित है ।

गोरखपुर मण्डल में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत विकास खण्डों के चयन

153–श्री अमर मणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गोरखपुर मण्डल के किन-किन पिछड़े जनपद के विकास खण्डों को चयनित किया गया ? चयन का मानक क्या है ? क्या

सरकार गोरखपुर मण्डल के सबसे पिछड़े विकास खण्ड नौतनवां तथा लक्ष्मीपुर, वृजमनगंज को उक्त योजना में चयनित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गोरखपुर मण्डल के सभी जनपदों के सभी विकास खण्डों का चयन किया जा चुका है ।

154–श्री सुखपाल पाण्डेय–

[दि० 30-7-97 को अता०प्र०सं० 76 द्वारा उत्तरित]

155–श्री अजय भट्ट–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद बुलन्दशहर में स्याना विधान सभा क्षेत्र में नहरों/राजबहों द्वारा सिंचाई हेतु जलापूर्ति

156–श्री राकेश त्यागी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के प्रत्येक राजबहों/माइनरों में प्रत्येक माह में कितनी बार पानी की आपूर्ति कृषि सिंचाई हेतु की जाती है ? क्या प्रत्येक राजबहों/माइनरों में टेल तक निर्धारित सीमा में जलापूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बुलन्दशहर के स्याना विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु जो नहरें पोषित करती हैं, उनको रबी की फसल में सामान्यतः दस दिन तक प्रत्येक माह में सिंचाई हेतु तथा खरीफ की फसल के आरम्भ के माहों (माह–अप्रैल, मई, एवं जून) में इन नहरों को सामान्यतः 1 से 2 सप्ताह तक प्रत्येक माह सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है ।

पानी की उपलब्धता के अनुसार नहरों के टेल भाग में पानी उपलब्ध हो पाता है ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वृद्धा/विधवा पेंशन का दिये जाने की जानकारी

157–श्री राम विशुन आजाद–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा मनकापुर में वर्ष 1993 से वर्ष 1997 मई तक कितने वृद्धाओं/विधवाओं को पेंशन दी गयी ? उसका विवरण क्या है ? क्या पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करवाकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीराम पाल–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1993 से 1997 मई तक 8206 वृद्धों तथा 2658 विधवाओं को पेंशन दी गयी ।

विवरण निम्नवत है :–

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

क्र० सं०	वर्ष	संख्या
1	1993-94	1097
2	1994-95	1097

3	1995-96	1468
4	1996-97	3315
5	1997-98 मई तक	1229
		योग–8206

विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान

क्र० सं०	वर्ष	संख्या
1	1993-94	508
2	1994-95	574
3	1995-96	675
4	1996-97	812
5	1997-98 मई तक	89
		योग–2658

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र मैनपुरी में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की व्यवस्था

158–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र में अपने-अपने वाले सभी अम्बेडकर ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से ग्राम है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में आने वाले मेरापुर छदामी अम्बेडकर गांव को जी०टी० मार्ग से बाया पुरनपुर व जमैहतगंज अभी तक नहीं जोड़ा गया है ? सरकार कब तक उक्त ग्राम को उक्त सड़क तक जुड़वायेगी ?

सुश्री मायावती–

मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक 17 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है । वर्ष 1997-98 में इस विधान सभा क्षेत्र में 10 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है वर्ष 1997-98 में चयनित ग्रामों की कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ।

वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक 17 चयनित ग्रामों में से 2 ग्राम 250 से कम आबादी वाले ग्राम हैं जिनमें सम्पर्क मार्ग नहीं बनवाया जाना है शेष 15 ग्रामों में से अब तक 8 अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा चुका है जिसकी सूची संलग्न है ।

जी हां ।

यह सम्पर्क मार्ग अक्टूबर, 1997 तक जोड़े जाने का लक्ष्य है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 166 पर)

जनपद हरदोई के अहिरौरी विकास खण्ड में सीतापुर से मल्लावां मार्ग पर हुसैनपुर से भीठादान डामरीकरण की मांग

159–श्री हरदेव सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई विकास खण्ड अहिरौरी के अन्तर्गत सीतापुर–मल्लावां मार्ग पर हुसैनपुर से भीठादान तक लगभग तीन किलोमीटर मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन उ० प्र० का पत्रांक 1126/जी/एसएमएल/97 दि० 9-6-97 ग्राम्य विकास मंत्री जी तथा पत्रांक 1127/जी/एसएमएल/97 दि० 9-6-97 मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी है ? उक्त मार्ग कब तक पक्का करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी हां । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा हरदोई से प्राक्कलन मांगा गया है ।

प्राक्कलन प्राप्त होने एवं नियमानुसार कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

160–श्री धर्मज्ञ मिश्र

(तीसरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

सिंचाई विभाग द्वारा संचालित कार्यशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ते के भुगतान की मांग

161–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा संचालित कार्यशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन अंतरिम सहायता एवं महंगाई भत्ते आदि के आदेशों को अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति निर्गत शासकीय आदेशों से सम्बद्ध क्यों नहीं किया जाता ? क्या शासन ऐसी व्यवस्था करेगा, जिससे समय समय पर राज्य कर्मचारियों के संबंध में निर्गत शासकीय आदेशों में इन्हें भी सम्मिलित किया जाये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विभाग द्वारा संचालित कार्यशालाओं में नियमित अधिष्ठान, औद्योगिक अधिष्ठान, कार्यप्रभारित अधिष्ठान एवं दैनिक वेतन भोगी अधिष्ठान के कर्मचारी कार्यरत हैं । नियमित अधिष्ठान के कर्मचारियों को वेतन एवम् अन्य भत्ते आदि शासन के आदेशों से आच्छादित हैं । शेष कर्मचारियों के लिये आदेश विभागीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जाते हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्ते आदि का वहन कार्यों के लिये आवंटित आय-व्ययक से होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित बलरामपुर एवं डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी अस्पताल में दवाइयों की आपूर्ति

162–श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय एवं डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी अस्पताल में अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1997 की अवधि में वित्तीय वर्षवार कुल कितने

रुपये की औषधियां स्थानीय क्रय द्वारा क्रय की गयी है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि किन औषधियों के स्थानीय क्रय के संबंध में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्थानीय क्रय किन-किन फर्मों से किया गया है ? क्या क्रय की गयी दवाईयां उनके द्वारा आपूर्ति करने वाली फर्म तथा उनके द्वारा आपूर्ति की गयी दवाइयों का विवरण सदन के पटल रखेंगे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त तीन वर्ष की अवधि में इन दोनों चिकित्सालयों में क्रय की गयी कुल कितने मूल्य की दवाइयां वितरण के अभाव में कालवाधित होकर निष्प्रयोज्य घोषित की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय एवं डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1997 तक की अवधि में वित्तीय वर्षवार औषधियों के स्थानीय क्रय का विवरण निम्नवत् है :–

चिकित्सा का नाम	94–95	95–96	96–97
1–बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ	14,81,570.47	18,98,189.61	24,47,924.07
2–डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकि० लखनऊ	94,437.03	7,77,036.50	9,86,474.97

महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इन औषधियों के क्रय में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया गया है ।

उक्त धनराशि की औषधियों का स्थानीय क्रय निम्नलिखित फर्मों से किया गया है :–

1–मे० अवध कोकोजम एण्ड प्रोविजनल स्टोर (मेडिसिन विभाग) लखनऊ

2–मे० ईदर चन्द्र जैन, मेडिकल कम्पनी, चौक, लखनऊ

3–मे० अतुल फार्मा, मेडिकल नरही बाजार, लखनऊ

4–मे० अतुल फार्मा नरही बाजार लखनऊ ।

जी हां, किन्तु अभिलेख अति विस्तीर्ण है जिनकों सदन के पटल पर रखने में व्यवहारिक कठिनाई है ।

महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त तीन वर्ष की अवधि में इन दोनों चिकित्सालयों में क्रय की गयी औषधियों में से कोई भी औषधि वितरण के अभाव में कालबाधित नहीं हुई अतएव निष्प्रयोज्य घोषित होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उ० प्र० वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

163–श्री अमर मणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन विगत कितने दिनों से नहीं प्राप्त हुआ है ? इसका क्या कारण है क्या यह सही है कि गोरखपुर मण्डल एवं फैजाबाद मण्डल में दैनिक वेतन भोगियों के वेतन भुगतान लगभग 2 वर्ष से नहीं प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन तत्काल दिलवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश वन विभाग में कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विगत दो से तीन वर्ष की अवधि से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था न हो जाने के कारण वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है ?

जी हां ।

जी हां ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की लम्बित देनदारी का भुगतान नियमानुसार शीघ्र कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रूद्रपुर शिवनाथ जनपद महराजगंज में स्थापित बन्द सरकारी नलकूप को चालू कराने की मांग

164–श्री अमर मणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रूद्रपुर शिवनाथ विकास खण्ड लक्ष्मीपुर जनपद महराजगंज में एक नया नलकूप सरकार द्वारा लगाया गया है ? क्या उक्त नलकूप बन्द पड़ा है ? बन्द होने का कारण क्या है ? क्या सरकार उसे चलाने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार नलकूप बन्द होने के लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

यह नलकूप विद्युत परिषद् का ट्रान्सफारमर खराब होने के कारण बन्द है ।

प्रश्नगत नलकूप का चलित होना विद्युत दोष ठीक होने पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में सड़क, पेयजल, विद्युतीकरण आदि की व्यवस्था की मांग

165–श्री राम खिलाड़ी

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के अन्तर्गत गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 से वर्ष 1996-97 तक कितने अम्बेडकर गांवों का चयन किया गया ? इन ग्रामों में सड़क, विद्युतीकरण तथा पेयजल आदि की व्यवस्था कब से की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों का विकास कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बदायूं के गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 से वर्ष 1996-97 तक 11 ग्राम अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित किये गये हैं ।

इन 11 अम्बेडकर ग्रामों में से 8 ग्रामों के सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है । शेष 3 अम्बेडकर ग्रामों में से अहरोला गर्वी अम्बेडकर ग्राम में सम्पर्क मार्ग का कार्य प्रगति पर है तथा दो अम्बेडकर ग्राम नरियाकली एवं धनारी पट्टी बालूकांकर में सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति नहीं है ।

इन 11 अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण तथा पेयजल की व्यवस्था कर दी गयी है ।

बांदा जनपद में बबेरू विधान सभा क्षेत्र में औगासी के पम्प कैनाल समगरा के पुनरोद्धार की मांग

166-श्री शिव शंकर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के बबेरू विधान सभा क्षेत्र में औगासी के पम्प कैनाल समगरा में जो डाल सिंचाई योजना के अन्तर्गत है ध्वस्त पड़ी है ? यदि हां, तो उसके पुनरोद्धार का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या सरकार पम्प कैनाल योजना का उद्धार शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में वृद्धा/विधवा पेंशन में धांधली के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच

167-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी में वृद्धावस्था, विधवा पेंशन धारकों को लम्बे अर्से से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि समाज कल्याण कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पेंशन के पैसे के भुगतान करने में अनियमितता बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अर्जित चल-अचल सम्पत्तियों की जांच कराने व दोषियों को दण्डित किये जाने हेतु एक उच्च स्तरीय जांच स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल-

वाराणसी के केवल शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का वर्ष 1996-97 का भुगतान बाधित रहा जिसका वर्ष 1997-98 में भुगतान किया जा रहा है । विधवा भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान का नियमित भुगतान किया गया है ।

मात्र एक प्रकरण अधिकारी के जाली हस्ताक्षर बनाकर वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि रु० 17,64,970/- के व्यवहरण का मामला प्रकाश में आया है ।

तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर भा० दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अपराध दर्ज कराया गया है, साथ ही अन्तर्ग्रस्त एक दलाल के विरुद्ध भी भा० द० सं० की संगत धाराओं के अन्तर्गत अपराध दर्ज कराया गया है तथा दिनांक 1-8-97 को गठित उच्चस्तरीय जांच समिति से जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्लावां, हरदोई के उच्चीकरण की मांग

168-श्री धर्मज्ञ मिश्र-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्लावां हरदोई को उच्चीकृत करने हेतु पत्रांक एम-3/84-72/हरदोई/96 दिनांक 27-1-97 द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्लावां का उच्चीकरण निर्धारित मानकों से आच्छादित न होने के कारण सम्भव नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बढ़नी व शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

169–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बढ़नी एवं शोहरतगढ़ में महिला डाक्टरों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक का पद सृजित नहीं किया जाता, अतः नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड, बस्ती के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता के शिकायती पत्र पर जांच

170–श्री विश्वनाथ सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री सुख पाल पाण्डेय विधायक ने दिनांक 23-4-97 को अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड बस्ती के विरुद्ध शिकायत की है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 29-4-97 को शासन द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त कर 21 दिन में जांच कर जांच आख्या शासन को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसमें जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां, प्रश्नगत प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

171–श्री विश्वनाथ सिंह–

[दि० 30-7-97 को अता०प्र०सं० 158 द्वारा उत्तरित]

जनपद मैनपुरी में नहर शाखा बेवर पर नगला शम्भू व तिलियानी के मध्य पुल निर्माण की मांग

172–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य कानपुर के पत्रांक 2573/दि०/पी–1 मैनपुरी दिनांक 1-5-97 के अनुसार मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश कानपुर को नहर शाखा बेवर पर नगला शम्भू व तिलियानी के मध्य मील 37-2-0 पर प्रस्तावित पुल के निर्माण हेतु रुपये 3–18 लाख का धनावंटन शीर्षक 4701 के अन्तर्गत करने का पत्र प्राप्त हुआ ? क्या उसका प्रोजेक्ट में प्राविधान कर लिया गया ? यदि हां, तो कब तक धन आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त पुल का निर्माण वर्ष 1992 में स्वीकृत हुआ था ? क्या उक्त स्थान के बराबर में बेवर फीडर नहर में पुल पहले ही बन चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहर शाखा बेवर में अभी तक पुल निर्माण में की गयी विलम्ब की जांच करवायेगी

और इस हेतु दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों/फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों को भरने की मांग

173–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों तथा फार्मेसिस्टों की कितनी रिक्तयां चल रही है ? क्या सरकार उक्त रिक्तियों को भरे जाने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद मैनपुरी में ही विधान सभा क्षेत्र भोगांव में पड़ने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करीब 16 रिक्तियां डाक्टरों एवं फार्मेसिस्टों की चल रही है ? यदि हां, तो सरकार जनता के हित को देखते हुये कब तक नियुक्तियां करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्ता ने फरवरी, 97 में ऐसी रिक्तियों को भरे जाने का पत्र स्वास्थ्य सचिव को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

174–श्री जय प्रकाश निषाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मैनपुरी में क्षेत्र पंचायत देवर व सुल्तानगंज में निर्बल आवास एवं इन्दिरा आवास के आवंटन में अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

175–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में क्षेत्र पंचायत देवर व सुल्तानगंज में वित्तीय वर्ष 1996-97 में कितने निर्बल आवास व इन्दिरा आवास आवंटित किये गये है ? क्या यह सही है कि ब्लाक स्तर पर अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित कर दिये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि ग्राम सुन्नामई ब्लाक सुल्तानगंज में पात्र व्यक्तियों के सूची से नाम काटे गये हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

क्षेत्र पंचायत बेवर में वर्ष 96-97 में 84 इन्दिरा आवास तथा 59 संशोधित निर्बल वर्ग आवास एवं क्षेत्र पंचायत सुल्तानगंज में 296 इन्दिरा आवास तथा 45 संशोधित निर्बल वर्ग आवास आवंटित किये गये हैं ।

जी हां ।

ग्राम सुन्नामई ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर लाभार्थियों की सूची तैयार की गयी थी । प्रस्ताव के परीक्षण के समय श्री अवधेश पुत्र श्री जयसिंह शाक्य का नाम पात्र न होने के कारण काट दिया गया है ।

ग्राम सुन्नामई ब्लाक सुल्तानगंज में उपरोक्त प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत की गयी है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास खण्ड सुल्तानगंज एवं बेवर विकास खण्ड में अपात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित करने के लिये दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

176–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[दि० 1-8-97 को अता०प्र०सं० 17 द्वारा उत्तरित]

ग्राम बिराहिमपुर जनपद सीतापुर में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प का अधिष्ठापन

177–श्री छोटे लाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य विधान सभा श्री श्याम किशोर यादव का पत्र वि०कओ०/एम–3/1-3 लखनऊ/97 दिनांक 6-1-97 जो ग्राम बिराहिमपुर विकास खण्ड सन्दना जनपद सीतापुर में हैण्ड पम्प लगाने से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

संदर्भित पत्र दिनांक 6-1-97 में ग्राम बिराहिमपुर विकास खण्ड–संदना (गोदलामऊ) में एक इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प लगाये जाने की अपेक्षा की गई थी ।

उक्त ग्राम में एक हैण्ड पम्प दिनांक 23-6-97 को अधिष्ठापित कर दिया गया है ।

178–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[दि० 1-8-97 को अता० प्र० सं० 36 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराये जाने की मांग

179–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कितने इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? विकास खण्ड स्तर पर रख-रखाव पंजिका में दर्ज शिकायतों पर कितने नलों को ठीक किया गया और उन पर कितना धन व्यय किया गया है ? अब तक स्थापित हैण्डपम्पों के अनुसार कितने हैण्डपम्प कार्यशील है । सरकार खराब पड़े हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा में 98 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प खराब हैं, जिनके रीबोर कराने/जी०आई० पाईप बदलने की आवश्यकता है ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड स्तर पर रख-रखाव पंजिका में दर्ज शिकायतों के आधार पर अस्थायी रूप से खराब 96 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई । उक्त के अतिरिक्त अन्य श्रोतों से 62 हैण्डपम्प के खराब होने की शिकायत प्राप्त हुयी । इस प्रकार कुल 158 खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी जिस पर रु० 0.11 लाख का व्यय हुआ है ।

अब तक मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में स्थापित कुल 2118 हैण्डपम्पों में से 2020 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्पों को शीघ्र ही ठीक कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद वाराणसी में लम्बित पड़ी तीन पेयजल योजनाओं को पूरा करने की मांग

180–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जिले में लम्बित पड़ी तीन पेयजल योजना देलवरिया पेयजल योजना ब्लाक हरदुआ, जाल्हूपुर पेयजल योजना चिरईगांव तथा कमौली पेयजल योजना ब्लाक चिरईगांव पर लाखों रुपया खर्च करने के उपरान्त भी अभी तक उक्त योजनायें अधूरी पड़ी हैं ? क्या सरकार उसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम देवरामपुर में स्वीकृत पानी टंकी के निर्माण की मांग

181–श्री उमाकान्त यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर अन्तर्गत ग्राम देवरामपुर में पानी की टंकी वर्ष 1994-95 से स्वीकृत है ? क्या यह सही है कि उक्त टंकी के निर्माण हेतु जिला योजना से 15 लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है ? क्या सरकार उक्त पानी की टंकी का निर्माण तत्काल कराते हुए सदन को अवगत करायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 94-95 की जिला योजना में जनपद स्तर पर वित्तीय प्राविधान किया गया था, परन्तु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य नहीं कराया गया ।

जिला योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कराये जाने वाले कार्यों का निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाता है ।

प्रदेश में ठठेरा, कसेरा जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने की मांग

182–श्री यशवन्त सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-4-97 को प्रश्नकर्ता द्वारा मा० मंत्री जी को अवगत कराया गया था कि दिनांक 22 मार्च, 1997 को अनुसूचित जाति के शासनादेश सं०–14442/26-818 के सूची में सूचीबद्ध शिल्पकार जाति अंकित है ? क्या जिसमें शिल्पकार के अन्तर्गत उपजाति कसेरा भी शामिल की गयी है ? क्या प्रदेश के जनपद मुख्यालय पर जाति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है जबकि इसके समकक्ष टम्टा जाति को जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो जाता है ? क्या मंत्री जी ठठेरा, कसेरा एक जाति है दोनों को प्रमाण-पत्र देने का निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश (प्रश्न अनुभाग) के पत्र संख्या [illegible] 1140 दिनांक 17-7-97 के संलग्न सन्दर्भित प्रश्न में शासनादेश संख्या 1442/26-818, दिनांक 22 मई, 1997 द्वारा कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया गया । परन्तु एक शासनादेश संख्या–1442/26-818/1957, दिनांक 22 मई, 1957 अवश्य निर्गत किया गया है जिसकी सूची के क्रम संख्या–63 में शिल्पकार जाति अंकित है ।

जी नहीं ।

टम्टा जाति के नाम भी कोई अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ठठेरा, कसेरा जातियां उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं ।

मऊ जनपद में सरकारी डाक्टरों पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने की कथित शिकायत

183–श्री सुधाकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के समस्त डाक्टर सरकारी आदेश के विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे जनपद की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो उन डाक्टरों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जनपद मऊ के किसी भी सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

तहसील छाता मथुरा के कतिपय अस्पतालों में आवश्यकतानुसार चिकित्सक उपलब्ध कराने की मांग

184–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील छाता-मथुरा के बरसाना, कामर, कोसी एवं छाता के अस्पतालों में आवश्कतानुसार चिकित्सक उपलब्ध है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण क्या हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभाग में चिकित्साधिकारियों की कमी के कारण जनपद में आवश्यकतानुसार चिकित्सक उपलब्ध नहीं है ।

प्रतापगढ़ जनपद का समस्त नहरों माइनरों एवं गूलों की सफाई में अनियमितता का कथित आरोप

185–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद को नहरों तथा माइनर एवं गूलों की सफाई हेतु दोनों खण्डों को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा धन को बिना कार्य कराये उपयोग में दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत एक खण्ड अर्थात सहायक खण्ड 51 में ड्रेनों के रखरखाव का कार्य सम्पादित किया जाता है । अतः नहरों/माइनरों की सफाई का कार्य इस खण्ड द्वारा कराये जाने अथवा इस कार्य हेतु धन आवंटन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद के दूसरे खण्ड अर्थात सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़ में अनुरक्षण कार्यों हेतु जिसमें नहरों एवं माइनर की सफाई का कार्य भी सम्मिलित है वर्ष 1995-96 में रु० 55.67 लाख तथा 1996-97 में रु० 62.50 लाख आवंटित किये गये थे । गूलों की सफाई का कार्य विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है अतः धन आवंटित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में विधवा पेंशन बगैर स्वीकृति के भुगतान करने की जांच एवं कृत कार्यवाही पर विचार

186–श्री तेजभान सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर का निदेशक, समाज कल्याण एवं सचिव, समाज कल्याण को क्रमशः प्रेषित अर्ध० पत्रांक 186, दिनांक 29 अप्रैल, 1993 पत्रांक 4106/16 नवम्बर, 93 तथा पत्रांक 361, दिनांक 26 मई, 1994 जिसमें कुछ विधवाओं को बगैर स्वीकृति के 66 हजार रुपये व अन्य भुगतान कर देने के संबंध में है, जांच रिपोर्ट सूची सहित प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां ।

कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के जिला अस्पताल, महिला अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा, सफाई आदि पर व्यय का विवरण एवं कथित अनियमितता का आरोप

187–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के जिला अस्पताल महिला अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा, सफाई एवं रखरखाव पर वर्ष 1995 से मई, 1997 तक शासन द्वारा कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? आवंटित धनराशि के सापेक्ष में कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद गोण्डा के जिला अस्पताल महिला अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा सफाई एवं रख-रखाव हेतु वर्ष 1995 से मई 1997 तक आवंटित एवं उसके सापेक्ष व्यय की धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

1–जिला अस्पताल गोण्डा

मद	आवंटित धन–राशि (रु०)	व्यय की गई धनराशि
1–औषधि	36,85,000	34,83,174.05
2–लघु निर्माण (सफाई)	9,33,496	8,68,337.66
3–अनुरक्षण (रख-रखाव)	17,89,622	16,08,615.65

2–महिला अस्पताल गोण्डा

1–औषधि	22,28,000	20,30,351.00
2–लघु निर्माण (सफाई)	4,19,000	4,18,630.00
3–अनुरक्षण (रख-रखाव)	6,75,000	6,50,000.00

3–जनपद गोण्डा के स्वास्थ्य केन्द्र

मद	आवंटित धन–राशि (रु०)	व्यय की गई धनराशि
1–औषधि	58,42,500	56,40,322.30
2–लघु निर्माण (सफाई)	29,25,224	28,23,231.60
3–अनुरक्षण (रख-रखाव)	4,19,000	3,66,891.95

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

188–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

तीसरे शुक्र में अता० प्र० सं० 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद महराजगंज में गणेश शुगर मिल्स की भूमि के आवंटन में धांधली का कथित आरोप

189–श्री विनोद मणि–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के तहसील फरेन्दा में कस्बा आनन्द नगर में स्थित गणेश शुगर मिल्स की भूमि का वितरण/आवंटन कस्बे के बड़े उद्योगपतियों के बीच किया गया है ? क्या वर्तमान उपजिलाधिकारी द्वारा इस भूमि पर कस्बे के बड़े व्यापारियों को कब्जा दिलाने का प्रयास किया है ? क्या इस नाजायज कब्जे के प्रयास में नगर की शान्ति भंग हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? क्या इस आवंटन में पात्रता की नीति बनाई गई है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और अवैध आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गणेश शुगर मिल की भूमि का कोई आवंटन नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के मौन नाला का अवशेष भाग व तटबंध निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

190–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री विधान सभा क्षेत्र श्यामदेउरवां जनपद महराजगंज के अन्तर्गत मौन नाला का अवशेष भाग के तटबन्ध निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जी हां ।

आवश्यक धनराशि प्राप्त होने पर अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम सभा बहरामपुर के ग्राम प्रधान पर जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि को कथित हड़पने की जांच

191–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा बहरामपुर तह० आलापुर (रामनगर) जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम प्रधान ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दो वर्षों में प्राप्त धनराशि से कोई विकास कार्य न करवाकर उक्त धनराशि को हड़प लिया है ? क्या इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर उसकी जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं । जनपद अम्बेडकरनगर, तहसील-ओलापुर, विकास खण्ड–रामनगर में बहरामपुर नामक कोई ग्राम पंचायत नहीं है, अपितु ग्राम पंचायत आरिबपुर सारी है, जिसमें ग्राम–बहरामपुर शामिल है । प्रधान, ग्राम पंचायत आरिबपुर सारी द्वारा किसी शासकीय धनराशि को हड़पे जाने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

इसकी जांच जिला विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर से करायी गयी है । जांच रिपोर्ट संलग्न है । †

जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर द्वारा भूमि खरीद योजना में दलितों को पट्टा देने हेतु क्रय की भूमि का पट्टा वितरण की जांच की मांग

192–श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि 16-3-83 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल ने श्री जगत सिंह कार्की (ठाकुर) तत्कालीन सचिव, सूर्यनगर सामूहिक सहकारी कृषि समिति कोर्ट खर्रा तहसील किच्छा जनपद उधम सिंह नगर से 10 एकड़ भूमि 10 दलित आवंटियों को आवंटित करने हेतु समाज कल्याण विभाग की भूमि खरीद योजना के अन्तर्गत रुपया 50,000 में खरीद कर शासन के नाम भूमि की रजिस्ट्री की थी ? यदि हां, तो क्या इस भूमि का अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में जिला समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम कर दिया गया है ? क्या इन 10 दलितों को पट्टे वितरित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीराम पाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला उधम सिंह नगर में दलितों को भूमि खरीद योजनान्तर्गत खरीदी भूमि के भुगतान एवं गारण्टी की जानकारी की मांग

193–श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981 में ग्राम सहदौरा, तहसील किच्छा जिला उधमसिंह नगर में 20 दलितों को भूमि खरीद योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग से रुपये 1,00,000 (एक लाख रुपये) की धनराशि से 20 एकड़ भूमि खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो क्या पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अवशेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? अवशेष भुगतान की धनराशि क्या है ? क्या उत्तराखण्ड सामूहिक सहकारी समिति मलसी, उधमसिंह नगर ने अवशेष भुगतान के लिए भू-स्वामी को गारण्टी पत्र लिखकर दिया था ?

श्री श्रीराम पाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

† छापी नहीं गयी ।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पुराने वृक्षों को कटवा कर नये वृक्ष लगवाने की मांग

194-श्री शिव सिंह चक-

क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जो वृक्ष पुराने हो गये हैं वे अक्सर गिर जाते हैं जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ? क्या सरकार में पुराने वृक्षों को कटवाने एवं नये वृक्ष लगाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पुराने वृक्षों को कटवाने एवं नये वृक्ष लगाने की विभिन्न वन प्रभागों की कार्य-योजनाओं में व्यवस्था है । जिसके अनुसार राजमार्गों के किनारे प्रथम पंक्ति के वृक्षों के सूखने अथवा गिरने पर तथा [illegible] यों में शीशम प्रजाति के वृक्ष 50 वर्ष की आयु पर तथा अन्य प्रजातियों का 30 वर्ष की आयु पर पातन की व्यवस्था है । पातन के उपरान्त कार्य योजना में रोपण का भी प्राविधान है । परन्तु छुट-पुट वृक्षों के गिरने पर या कटने पर रोपण नहीं कराया जाता है । नये वृक्षों का रोपण विभिन्न रोपण योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध बजट के आधार पर किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 6 अगस्त, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई ।

(श्री राजपाल सिंह, का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

मुजफ्फरनगर के औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर में प्रदूषण से बीमारी फैलने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र आर्य-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जानसठ में बेगराजपुर (मुजफ्फरनगर) एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां स्टील, कैमिकल्स एवं फर्टीलाइजर फैक्ट्रियों की भरमार है । इन कारखानों से प्रायः जहरीली गैस एवं प्रदूषित पानी का बहाव होता है जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों का जीना दूभर हो गया है । लोगों में खाज एवं दमे की भयावह बीमारी फैल गयी है तथा छोटे बच्चों के जीवन पर कुप्रभाव पड़ रहा है और हजारों एकड़ बाग समाप्त प्रायः हो गये हैं तथा फसलों पर भी बुरा असर (प्रभाव) पड़ रहा है । मान्यवर, खेद का विषय है कि फैक्ट्री मालिकों एवं प्रशासन की मिलीभगत से बिना प्रदूषण यंत्र लगाये कारखाने चल रहे हैं । इससे जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है तथा कभी भी क्षेत्रीय जनता कारखानों को बंद कराने हेतु आन्दोलन छेड़ सकती है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सभी कारखानों में प्रदूषण यंत्र लगाये जाने के शासनादेश को कठोरता से लागू किये जाने की मांग करता हूं ।

(श्री मतेश चन्द्र सोनकर, का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

आगरा महानगर की सीवर लाइनों की सफाई कराने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० राम बाबू हरित–

महोदय, आगरा महानगर में सीवर व्यवस्था सफाई अभियान फेल हो जाने से क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य व्याप्त होता जा रहा है । आगरा पश्चिमी क्षेत्र की जितनी भी कालोनियों में सीवरलाइन डली हुई है उनकी नियमित सफाई नहीं होती तथा जगह-जगह इन्हें नालों में पन्चर कर दिया गया जिससे सम्पूर्ण वातावरण दुर्गन्ध मय बना रहता है ।

नालों के अवरुद्ध होने व बरसात में पानी का लेबिल बढ़ने से सीवर लाइनों में पानी का बैक फ्लो (पुनः वापिसी) होने से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । सरकारी कर्मचारियों द्वारा भोली भाली जनता से सुविधा लेकर ही सफाई की जाती है । अधिकारियों के भ्रष्टाचारी आचरण के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं रह गया है ।

फ्रण्डस कालोनी, साकेत कालोनी, जनता कालोनी, जनकपुरी, शिवाजीनगर, जयपुर हाउस, अल्कापुरी, प्रतापनगर कालोनी, न्यूराजा मण्डी, कालोनी, कटघर काना पटेली, लोहामण्डी, नया बास, बागराम सहाय, पुनिया पाड़ा, सिर की मण्डी, भोगीपुरा, नमक की मण्डी, नगला मोहन, आदि क्षेत्रों में सीवर लाइन बन्द व सड़कों, खड़ंजों पर गन्दा, सड़ा पानी ही बहता रहता है जिससे कभी भी संक्रामक, महामारी फैलने का अन्देशा रहता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त पश्चिमी क्षेत्र का जहां-जहां सीवर लाइनें पड़ी हैं उन्हें तुरन्त साफ कराकर इस समस्या का समाधान करायें ।

प्रदेश में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों को बजट का आवंटन न होने से उत्पन्न स्थित विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुन्ना चौहान–

। महोदय, उत्तर प्रदेश में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को बजट का आवंटन न हो पाने के कारण स्कूलों में पढ़ने वाले जनजाति छात्रों के भोजन व कपड़े आदि सुविधाओं का संकट पैदा हो गया है । कुछ समय तक तो थोड़ी बहुत बजट जिलाधिकारियों द्वारा टी०आर–27 से दिया जाता रहा परन्तु यह स्थायी व्यवस्था नहीं बन सकती है । उल्लेखनीय है कि इन आश्रम पद्धति विद्यालयों में भोजन, कपड़ा आदि सभी व्यवस्थायें सरकार को करनी पड़ती है परन्तु बाजार से अधिक उधार लिया जा चुका है और अधिकांश विद्यालयों को उधार मिलना बंद हो गया है उदाहरण के लिये जनपद–देहरादून में अम्बाड़ी (कालसी) लागापोखरी, त्यूनी, व लाखा मण्डल स्थित आश्रम पद्धति विद्यालयों में स्थिति चिन्ताजनक हैं । सोने बैठने के कपड़ा व बिस्तरों की दुर्दशा हैं । ऐसी स्थिति में इन छात्रों के भविष्य के बारे में भी बड़ी अनिश्चितता की स्थित बन गई है ।

वर्तमान शिक्षा सत्र का यह शुरूवाती माह है । यदि तत्काल पर्याप्त बजट इन विद्यालयों को आवंटित नहीं किया गया तो विद्यालयों को बंद करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है । अतः विषय अविलम्बनीय है और निश्चित लोक महत्व का है इसलिये सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा करना चाहता हूं । ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रावस्ती नगर में विद्युत व्यवस्था ठीक कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अक्षयवर लाल–

इकौना नगर जिला श्रावस्ती में विगत कई माह से विद्युत आपूर्ति लगातार तीन-तीन दिन नहीं हो रही है। किसी दिन आती है तो 4-6 घंटे के लिये। बिजली न मिलने, गर्मी के दिनों में जनता को पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैंने स्वयं विद्युत विभाग के अधिकारियों से मिलकर विद्युत व्यवस्था ठीक कराने को कहा मजबूर होकर इकौना नगर की जनता दिनांक 4-8-97 को पूर्व सूचना देकर सड़क पर धरने पर सायं 7.00 बजे बैठ गयी, कार्यक्रम शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक था, बिजली व्यवस्था गड़बड़ करने में जे० ई० खान एवं शोभाराम का हाथ है। रात्रि 9.30 बजे जनपद श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार कौल चार थानों की पुलिस बल लेकर इकौना पहुंचे, पुलिस अधीक्षक धरने पर बैठे लोगों ने कोई वार्ता नहीं की, और न ही समस्या की जानकारी की, पहुंचते ही हाथ में लाठी लेकर पुलिस बल को आदेश दिया कि मारो "सालों को" श्री कौल ने अपनी लाठी से कामेश्वर तिवारी, अनिल नैय्यर को बुरी तरह मार कर हाथ पैर तोड़ दिया अनिल सैय्यद को बांधकर बुरी तरह मारा, कामेश्वर तिवारी की मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में दिनेश गुप्ता, हेमन्त गुप्ता, मधु गुप्ता, सुरेन्द्र कुमार वर्मा, रमजान, इब्राहीम सहित पचासों लोग बुरी तरह घायल हो गये, साहब शरण, सुरेन्द्र शर्मा, इब्राहीम सहित 10 लोगों को पुलिस अधीक्षक ने थाने के हवालात में बन्द कर दिया तथा जनता के दबाव में दिनांक 5-8-97 को दिन 2 बजे छोड़ा, पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती श्री कौल ने बर्बर अत्याचार एवं दमन किया है, इनको निलम्बित कर समस्त प्रकरण की जांच करायी जाये तथा इकौनानगर में विद्युत व्यवस्था ठीक करायी जाये।

अतः इस के प्रश्न को उपस्थित करते हुये संरक्षण प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

जनपद भदोही के औराई क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र–

। जनपद भदोही के औराई पावर हाउस से विभिन्न फीडरों को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत बिना किसी मानक के व नीति निर्धारण के मनमाने ढंग से अधिकारियों ने जिस फीडर क्षेत्र से अधिकाधिक सुविधाशुल्क प्राप्त किया उधर विद्युत आपूर्ति 1 घण्टे कर दिया और उन्हें टाउन फीडर घोषित कर दिया है तथा जिस फीडर से सुविधा शुल्क नहीं प्राप्त कर सके, उसे ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर मात्र 5/7 घन्टे विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि खमरिया फीडर पहले टाउन फीडर थी जिससे वहां पर 18 घन्टे से 20/12 घन्टे तक विद्युत आपूर्ति होती थी। इसका मुख्य कारण यह भी रहा कि खमरिया फीडर क्षेत्र में अधिकाधिक कालीन व्यवसायी रहते हैं। इन परिक्षेत्रों में विदेशों से प्रायः लोग आते रहते हैं। यहां पर विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है किन्तु टाउन फीडर घोषित था। कतिपय अधिकारियों की मनमानी के कारण टाउन फीडर समाप्त कर दिया गया है। गुरियांवा जैसे छोटे टाउन को टाउन फीडर घोषित कर दिया गया है। वहीं खमरिया फीडर से जुड़े हुये साउथ फीडर से कोइलरा, चन्दपुरा, वरधी, भवानीपुर, जगन्नाथपुर आदि गांवों को काटकर कोयरेउना पावर सब स्टेशन 40 कि०मी दूर है उससे जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही पुरजागिर सब स्टेशन जो कि कारपेट बेल्ट का क्षेत्र है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जहां अधिक बिजली की आवश्यकता है, उसे ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तथा औराई पावर हाउस के पूर्वी फीडर पर भी विद्युत आपूर्ति बहुत कम की जा रही है ।

इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मा० अध्यक्ष जी से निवेदन है कि औराई पावर हाउस के साउथ फीडर को टाउन फीडर घोषित करने तथा पुरजागिर सब स्टेशन को ग्रामीण फीडर घोषित होने से हटाने तथा भवानीपुर से कोइलरा तक कोइरऊना फीडर से आपूर्ति की जाने वाली विद्युत को लाला गननगर सब स्टेशन से जोड़ने के बारे में निदेश करने की कृपा करें । ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं 2 सूचनायें प्रतीक्षा सूची से ले रहा हूं ।

मुरादाबाद के नगरीय क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर जगतपाल सिंह–

। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद के नगरीय क्षेत्र में कई माह से लगातार बिजली न आने के कारण जनता में आक्रोश भड़क रहा है । मेरे ही क्षेत्र में नगर में वार्ड हरपालनगर, लाजपतनगर, महतुल्लागंज, सिविल लाइन्स, हरथलागांव, हर्थला कालोनी, मझोला लाई पार चक्कर की लिक, सीतापुरी मोहल्ले में बार-बार ट्रान्सफार्मर फुंक जाने के कारण क्षेत्रवासियों को महीनों से बिजली संयमित नहीं मिल पा रही है । लगभग 4 या 5 दिन तक विद्युत आपूर्ति ठप्प रहती है ।

विद्युत आपूर्ति के अभाव में हर वार्ड की सड़कों तथा राष्ट्रीय मार्ग पर लगातार जनता द्वारा जाम लगाकर मार्ग अवरुद्ध किये जा रहे हैं । प्रशासन शान्ति भंग पर नियंत्रण करने हेतु जनता पर दबाव बनाये हुये हैं ।

मुरादाबाद में छोटे-छोटे बर्तनों के कारखाने हैं जो इस समय बिजली के अभाव में ठप्प पड़े हैं और कारखानों के मजदूर रोजी रोटी के अभाव में भुखमरी के कगार पर हैं । निर्यातकों के समय पर माल, ''बिजली के अभाव'', में तैयार न कराने के कारण करोड़ों रुपये के निर्यात के आडर्स कैंसिल हो रहे हैं, विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि बिजली विभाग व नगर प्रशासन को उक्त समस्या के समाधान हेतु ध्यान आकृष्ट कर क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने का कष्ट करें ।।

(श्री दल बहादुर कोरी की सूचना उनके उपस्थित न होने पर, नहीं ली गई)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी वह श्री सरबर अली खां, श्री अरुणवीर सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री अमरमणि, श्री मित्रसेन यादव, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री चन्द्र किशोर, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री हरीश चन्द्र 'हरीश जी', श्री हरिनारायण, की सूचना नियम 51 में परिवर्तित कर दी गयी है । श्री नवाब सिंह नागर, श्री भारत सिंह रावत, श्री बिन्दु लाल, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री लाखीराम जोशी, श्री दीप लाल भारती की सूचना नियम 51 में परिवर्तित कर दी गयी है । श्री चन्द्र सिंह आर्य, श्री राम सिंह मैनी, श्री अजय कुमार पोइया, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री राम औतार शाक्य, श्री राधेश्याम [illegible], श्री उदयराज यादव, श्री महेन्द्र सिंह यादव, श्री संजय सिंह, श्री संजय गर्ग हैं ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसके अतिरिक्त 2 सूचनायें मुझे और प्राप्त हुई हैं माननीय प्रमोद तिवारी की सूचना सड़क पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुयें के संबंध में है । इस पर जब मैं 56 की सूचनायें लूंगा उस समय सुन लूंगा । पहली सूचना श्री अमरमणि की है ।

विधान भवन परिसर में वाहनों को खड़ा करने का समुचित स्थान न होने तथा विधायक निवासों की सुरक्षा विषयक औचित्य का प्रश्न

* श्री अमरमणि–

मान्यवर, इस सदन में यह सवाल पहले भी कई बार उठा है, यह जो विधान सभा भवन का परिसर है और विधान सभा परिसर में आने के जो मार्ग हैं । आपको नियम 3 (य) में अधिकार है । समय-समय पर आपसे नियम 300 के अन्तर्गत अनुरोध किया गया है । विधायकों की सुरक्षा आज प्रमुख हो गयी है। जिस तरीके से राजधानी में ए०के० 47 से गोलियां चल रही हैं । कई बार अखबारों के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से पता चला कई विधायकों की जान को खतरा है । लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है । इस संबंध में कई बार बात हो चुकी है । विधान सभा परिसर, विधान भवन परिसर और विधायक निवास में आज से 50-40 साल पहले जो स्थिति थी आज उससे स्थिति भिन्न है । आज पहले की अपेक्षा वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है । वाहन खड़ा करने में असुविधा हो रही है । इस विधान सभा में साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर और कार इतनी संख्या में आकर अन्दर घुसने लगे हैं कि मान्यवर, आम यातायात प्रभावित हो रहा है ।

गेट नं०-9 के सामने से हम आते हैं तो देखते हैं कि स्कूटर गाड़ियां इस तरह से खड़ी हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है । जो भी विधान सभा को आने वाले रास्ते हैं वह 25-30 साल पहले जो 10 प्रतिशत वाहन थे उनको देखते हुए बने थे लेकिन आज 90 प्रतिशत वाहन बढ़ गये हैं और तब भी वही मार्ग हैं जो 25-30 साल पहले थे । इनकी चौड़ाई नहीं बढ़ाई गयी है जिससे अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि इन वाहनों के कारण आने-जाने में जो परेशानी होती है उसके संबंध में कार्यवाही करवाने का कष्ट करें । मान्यवर, दूसरी बात यह है कि विधायक निवास को जाने वाले मार्ग हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए । हम लोग हों या माननीय मंत्रीगण । प्लाटून पी०ए०सी० माननीय मुख्य मंत्री जी के दरवाजे पर खड़ी रहती है । मान्यवर, विधायकों की सुरक्षा का सवाल है उनके आवास पर भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए । यह बहुत ही चिन्ता का विषय है । मान्यवर, नियमावली के नियम 3 (य) में आपको अधिकार है । मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको दिखवा लें । इसी तरह से मान्यवर, 12 बजे रात तक सदन चल रहा है । हम लोगों को चाय पीने के लिये नीचे जाना पड़ता है । हम चाहते हैं कि चाय वगैरह की व्यवस्था यहां पर लाबी के पास हो जाय पटल कार्यालय कहीं और कर दिया जाय । ताकि हम लोग कार्यवाही सुनते रहें । सदन 12.00 बजे तक ही नहीं दूसरे दिन सुबह तक भी हम हम बैठने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम हैं कार्यवाही बाधित न हो हम चाहते हैं इसलिये हमारा निवेदन है । मान्यवर, आप एक समिति बना दें जो इन बिन्दुओं पर विचार करके कि गाड़ियां कहां पर किस तरह से खड़ी की जायं, उनका रख रखाव, सड़कों के विस्तारीकरण के लिये, माननीय विधायकों की सुरक्षा की व्यवस्था आदि पर विचार करके अपने सुझाव दे दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

जहां तक मोटर वाहनों का प्रश्न है मेरी इस मामले में सचिव, सचिवालय प्रशासन से बात हुई थी। कुछ सुझाव आये हैं वो रखे गये हैं और मेरा विश्वास है कि इस संबंध में समस्या हल हो जायेगी। दूसरी समस्याओं की ओर इस सत्र के पश्चात् संबंधित अधिकारियों की बैठक बुला लेंगे। लाबी के बगल में चाय नाश्ते आदि की व्यवस्था के बारे में यह है कि जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर फास्ट फूड जैसी कोई व्यवस्था करवा दी जायेगी। इसके साथ ही इस सूचना का निस्तारण कर रहा हूं।

सिटी मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर द्वारा जन प्रतिनिधियों को अपमानित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र जी की है।

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, पिछले दिनों भी कई बार यह बातें सदन के संज्ञान में लाई गई कि माननीय जन प्रतिनिधियों को अधिकारी जिला स्तर या प्रदेश स्तर के हों बराबर अपमानित कर रहे हैं उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, इस प्रकार की एक घटना मिर्जापुर की है। मेरा घर मिर्जापुर जनपद के बार्डर पर स्थित है। वहां के एक सिटी मजिस्ट्रेट [x x x] (व्यवधान)

[समय 1 बजकर 05 मिनट]

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, किसी अधिकारी के बारे में कोई आरोप लगाना कहना, यह नियम–300 के अन्तर्गत किस तरह से आता है आपकी पीठ से जो 1969-78 का अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है उसके पेज 81 पर देखें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की सूचना में माननीय विधायकों की वेदना को रखा गया है मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

किसी अधिकारी का उल्लेख मान्यवर यहां किया जा रहा है आपकी पीठ से दी गई जो व्यवस्था है उसमें पेज–81 पर देखने की कृपा करें। सदन में किसी अधिकारी का नाम लेकर सदन में आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

(व्यवधान)

जो व्यक्ति बाहर से आकर सदन में स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है उसका नाम सदन में नहीं लिया जा सकता है।

एक सदस्य–

इनको विधायक से कोई मतलब नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी प्रथम पंक्ति में नाम को लिखकर दिया है पदनाम भी लिखकर दिया है तो इसमें नाम काट देंगे ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने तो पहले ही आपत्ति कर दी "यह आता नहीं" यह कहकर । यह तो आप बाद में निर्णय देते, आपने मुझे अभी सुना भी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

कह दीजिये ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

आज विधायकों को और सांसदों को अधिकारी कुछ नहीं समझते हैं सिटी मजिस्ट्रेट [x x x] द्वारा अपमानित करते हुये यह कहा गया कि हम सांसद विधायकों को कुछ नहीं समझते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला पंचायत को क्या समझें । इस तरह से विधायकों और सांसदों के लिये कहा जाता है । आपने जो नाम की बात कही तो भूल से टाइप हो गया होगा उसे निकाल दें । लेकिन मान्यवर, यह आये दिन घटनायें हो रही हैं अधिकारी विधायकों के सम्मान में खड़े नहीं होते हैं पता नहीं कौन सी संस्कृति आ गई है ।

(व्यवधान)

पहले अभिवादन दोनों हाथ जोड़कर करते थे तो बात समझ में आती थी लेकिन अब कुर्सी पर बैठे हाथ मिलाते हैं खड़े भी नहीं होते हैं । यह बात समझ में नहीं आती यह भारतीय संस्कृति का अपमान है या आदर ? मान्यवर, नये सदस्यों की बात छोड़ दीजिये जो पुराने और वरिष्ठ सदस्य हैं, सांसद हैं उनकी तरफ भी हाथ बढ़ा देते हैं । संविधान में पीठ की तरफ से पहले निर्देश दिये जा चुके हैं कि खड़े होकर माननीय सदस्य, सांसद का आदर करेंगे चाहे वह अधिकारी किसी स्तर का हो । लेकिन विधायकों सांसदों का सम्मान नहीं हो रहा है तो फिर जनता जनार्दन का कौन सम्मान करेगा ।

मिर्जापुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस तरह का व्यवहार किया । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिये क्योंकि यह लोग समझते हैं कि विधान सभा में बात उठाते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आ जाता है कि यह नियमों में नहीं आता है और बात खत्म हो जाती है । मान्यवर, नियम है जिसमें हम लोगों को संरक्षण इस पीठ से दिया गया है । हम लोगों के सम्मान की बात कही गई है । उसका भी आदर होना चाहिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये । आप भले ही इसको नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य कर दें । लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री तो मेरी पूरी बात सुने बगैर अपनी बात कहने लगे । विधायकों के प्रति संवेदनहीनता दिखाना अच्छी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने तो केवल यह कहा है कि नियमावली के तहत किसी अधिकारी का नाम यहां नहीं लिया जाना चाहिये ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सारे विधायकों के सम्मान का मामला है । इसी सदन का इतिहास रहा है कि जिन अधिकारियों ने विधायकों के साथ दुव्यर्वहार किया है उनको सदन ने बुलाकर इसी सदन के अन्दर दंडित किया गया है । अगर यही स्थिति रही तो आगे आने वाले दिनों में विधायकों और सांसदों को अधिकारियों द्वारा सुनना तो दूर अधिकारी विधायकों व सांसदों से मिलना भी पसंद नहीं करेंगे । यह सम्पूर्ण सदन के विधायकों की गरिमा का प्रश्न है । अगर आप विधायकों के सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा । आप ऐसे अधिकारी को यहां सदन में बुलवायें यहीं पर कटघरे में खड़ा कर उनसे प्रश्न पूछकर उनको दण्ड दें क्योंकि सदन में यही इतिहास रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह मामला विधायकों के सम्मान का है ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

यह सूचना नियम 3(X) में नहीं आती है । परन्तु .....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह विधायकों के सम्मान का प्रश्न है । किन्तु संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर कितने संवेदनहीन हैं यह उनके आचरण से स्पष्ट हो जाता है । वह माननीय सदस्यों को सुनते ही विदक जाते हैं । वह चुनाव तो जीतकर आ नहीं पाये हैं । इसलिये विधायकों के सम्मान से उनका कोई सरोकार नहीं है । हम लोग इस पर आपका संरक्षण चाहते हैं । आप इस प्रश्न पर ऐसा दृष्टान्त उपस्थिति करें जिससे किसी भी अधिकारी को अशिष्टता दिखाने की हिम्मत न हो ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने केवल यह आपत्ति उठाई है कि यहां पर किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम न लिया जाय । श्री रंगनाथ मिश्र जी ने एक विशेष घटना का उल्लेख करते हुए अपनी बात कही है ।

श्री सुख पाल पाण्डेय–

आज एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है । आज पूरे प्रदेश में यही स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपको किसी घटना की जानकारी है तो आप अलग से सूचना दे दीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं किसी एक जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की यही स्थिति है, आप ऐसा निर्देश जारी करें जिससे माननीय विधायकों का सम्मान अधिकारीगण करें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदस्यों के मान-सम्मान का प्रश्न है, इस पर स्पष्ट निर्देश होना चाहिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह सदन मान्य परम्पराओं और नियमावली से चलता है । एक सूचना नियम 300 के अन्तर्गत आयी चूंकि उस सूचना में जो नियम 3(X) की व्यवस्था है, मान्य परम्परा है, उसके तहत नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आयी है उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां थी जिसके कारण आपका ध्यान आकर्षित करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। आपकी पीठ से दी गयी रूलिंग थी उसके तहत आपका ध्यान आकर्षित किया। चूंकि श्री रंगनाथ मिश्र इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से हैं, इसलिये मेरी चाहत थी कि जो इस तरह की नोटिस लगाते हैं, उनमें नियमों और परम्पराओं का अनुपालन हो और नये माननीय सदस्य उससे सबक सीखें। प्रकरण चाहे जितना गम्भीर हो, सूचना नियमानुसार ही आनी चाहिये। जो माननीय रंगनाथ मिश्र ने विषय को उठाया है, वह गम्भीर है और यह सरकार किसी भी विधायक के अपमान को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन इसके लिये नियमावली में तमाम नियम बने हैं, उसके तहत नोटिस लगाने में कोई मनाही नहीं है। उसके तहत प्रकरण उठाया जाना चाहिये।

(कई सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को अपनी बात कहने दें आप लोग बीच में टोका-टाकी न करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कौल एण्ड शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 927-928 देखने की कृपा करेंगे जिसमें कहा गया है "ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब व्यवस्था के प्रश्न की परिधि में अन्य बातें सभा में उठायी गयी हैं परन्तु अब यह परिधि बनायी गयी है कि किसी सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देने के पहले उससे यह कहा जाता है कि वह संविधान के विशेष अनुच्छेद, नियम निर्देश या विनियम की वह परिधि बतायें जिसका उल्लंघन या अतिक्रमण हो रहा है। जो सदस्य यह नियम आदि नहीं बता सकेंगे, उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।" यह कौल एण्ड शकधर की पुस्तक में उद्धृत की गयी है। जो परम्परा हमारे पार्लियामेन्ट में है जिसका अनुसरण करते हैं।

जहां तक विधायकों के प्रति अधिकारियों का जो शिष्टाचार होना चाहिये उसके बारे में कहा गया तो सरकार गम्भीर है सरकार की मंशा है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो। लेकिन जो एक वरिष्ठ सदस्य इस तरह का प्रश्न लाये थे, इसमें जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया गया, आगे से यह सुनिश्चित हो जाना चाहिये कि जो माननीय सदस्य की नोटिस हो, आपकी पीठ से दिया गया निर्णय भी है कि औचित्य के प्रश्न पर केवल एक ही व्यक्ति को सुना जायेगा लेकिन जब एक व्यक्ति शुरू होता है तो कई माननीय सदस्य जिनकी नोटिस में दस्तखत नहीं है, वह भी बोलने लगते हैं, यह परम्परा गलत है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त हो जायें। संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

जहां तक विधायकों के सम्मान का प्रश्न है, मैं उनका सम्बर्द्धन करना चाह रहा हूं और इस संबंध में शासनादेश जारी हुये हैं अगर कोई शासनादेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। कोई भी माननीय सदस्य हों, उनका आदर-सम्मान सर्वोपरि है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई आवश्यक नहीं है कि बिना मेरी अनुमति के सभी लोग खड़े हो जायें। इस प्रकरण को अब समाप्त होने दीजिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है, भले ही वह नियम 300 में आता हो अथवा नहीं । निर्णय तो यह आप करेंगे । अभी माननीय सदस्य श्री रंगनाथ मिश्र ने एक बात नियम 300 में उठाई, जब अपनी बात कह लेते, तब आप संसदीय कार्य मंत्री को बुलाते, तब वह अपनी बात कहते । लेकिन अभी माननीय सदस्य ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि संसदीय कार्यमंत्री बीच में खड़े हो गये । मान्यवर, निर्णय आप देते हैं, यह अधिकार आपका है, यह अधिकार संसदीय कार्यमंत्री को नहीं दिया गया है । मेरी आपत्ति यह है कि भले ही यह नियम 300 में आता हो या न आता हो, उस पर निर्णय तो आप करेंगे । लेकिन मान्यवर, जो बात माननीय सदस्य रंगनाथ जी ने उठाई, यह अब केवल उनसे ही संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से जुड़ी है, इसलिये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि यह भले ही 300 में न आये, लेकिन इस मामले में आप सरकार को हिदायत दें कि कोई भी अधिकारी सम्मानित विधायकों के साथ इस तरह व्यवहार करेगा तो उसके साथ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप एक बार अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं ।

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । औचित्य के प्रश्न पर आपने माननीय सदस्य रंगनाथ मिश्र जी को सुना, उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया, इसके बाद क्या इस पर चर्चा कराई जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं चर्चा नहीं करा रहा हूं, न मेरा ऐसा कोई इरादा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह केवल रंगनाथ मिश्र जी का प्रश्न नहीं है । मैं आपको एक निश्चित उदाहरण दे रहा हूं। इसी सदन में माननीय हरदेव जी विधायक थे, उनको एक ओझा आई० ए० एस० अफ्सर ने कुछ कहा था, उनकी इसी सदन में बुलाकर प्रताड़ना की गई थी और उन्होंने पूरे सदन में माफी मांगी थी ।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से कोई बात कहना चाहते हों तो उसकी सूचना अलग से दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, रंगनाथ मिश्र जी की बात गलत है या उस अधिकारी की बात गलत है, इसके लिये आप उस अधिकारी को सदन में बुलवा लें । वैसे कोई भी सदस्य सदन में जो बात कहता है, उसे यह माना जाता है कि वह सही कह रहा है । आप उस अधिकारी को सदन में उपस्थित करायें और पूछें कि जो आरोप रंगनाथ जी ने लगाये हैं, वह सही हैं अथवा गलत । अगर सही है तो आप उसे दंडित करें यदि नहीं सही है तो रंगनाथ जी अपनी बात वापस ले लेंगे । ओझा आई० ए० एस० अफ्सर ने इसी सदन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्षमा मांगी थी मान्यवर, अगर इस अधिकारी को दंडित नहीं किया गया तो इतिहास इस सदन को क्षमा नहीं करेगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, विधायक की गरिमा और सम्मान की रक्षा अगर आपने नहीं की तो इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जिस घटना का आपने उल्लेख किया है वह घटना आपके साथ नहीं हुई । सिटी मजिस्ट्रेट ने आपसे वह वक्तव्य नहीं कहे जिसको उद्धृत किया गया है । सिटी मजिस्ट्रेट ने जिला पंचायत के अध्यक्ष से वह बात कही है । जब मेरे पास आप विशेषाधिकार उल्लंघन की कोई सूचना देंगे तो मैं कार्यवाही करूंगा । आपसे सिटी मजिस्ट्रेट ने यह बात कही होती तो मैं तुरन्त इसका संज्ञान ले लेता । जब विशेषाधिकार हनन की सूचना आयेगी तो मैं नियमानुसार उसकी कार्यवाही करूंगा । लेकिन इस बात की सूचना प्राप्त हो रही है कुछ अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार या मर्यादित व्यवहार नहीं करते हैं और कभी कभी दुर्व्यवहार भी कर देते हैं इस संबंध में मैं संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि माननीय विधायकों के साथ उनकी पद प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ उचित व्यवहार करें, मर्यादित व्यवहार करें । कृपया इसको सुनिश्चित कर लीजिये वरना वह दिन भी आ सकता है जिसका प्रमोद कुमार जी ने उल्लेख किया, किसी अधिकारी को बुलाना भी पड़ सकता है इसलिये अधिकारियों को इस बात के लिये सचेत कर दें कि वह मर्यादित व्यवहार किया करें । यह नियम 300 में नहीं आता है इसलिये इसे निरस्त करता हूं ।

नेता सदन की सदन से अनुपस्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री चन्द्र नाथ सिंह जी की है, वह अनुपस्थित हैं इसमें वकार अहमद जी के भी हस्ताक्षर हैं, वह बोलें ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, अरबी मदरसों के टीचर्स दो दिन से बाहर बैठे हुए हैं उनके बारे में आपने चर्चा करने का अवसर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं है, आप ग्राह्यता पर बोलें ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, यह इतना अविलम्बनीय और लोक महत्व का सवाल है कि पूरे उत्तर प्रदेश से आये हुए टीचर्स .....

श्री अध्यक्ष–

यह दूसरी सूचना है, लगता है आपके केवल हस्ताक्षर करा लिये गये हैं ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, किसी ऐसी परिस्थिति में जिसमें सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो रही है और कठिनाई उत्पन्न हो सदन को चलाने में, कई दिन से सदन व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पा रहा है और हमारे माननीय संसदीय कार्यमंत्री विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध करता हूं कि नेता सदन की उपस्थिति सदन में आवश्यक है । उनको सदन में बुलाकर जो मांग चल रही थी उस पर नेता सदन आ करके विधायकों को संतुष्ट करें और जवाब दें । इस वि[illegible] विकास निधि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इतने

दिनों से सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो रही है । मान्यवर, सदन सर्वोच्च है । सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि विधायक विकास निधि की स्थापना की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण समाप्त हो गया है ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी को इतना अधिकार है, प्रदेश की पार्लियामेन्ट से लेकर भारत की पार्लियामेन्ट तक और तमाम राज्यों के माननीय अध्यक्ष ने भी अनेक बार ऐसी परिस्थितियों पर अपनी रूलिंग्स दी है। इसलिये मान्यवर, आप मेरे इस औचित्य के प्रश्न पर माननीय नेता सदन को सदन में बुलवाकर उनसे इस संबंध में सरकार की राय से अवगत करा दें । क्योंकि सम्पूर्ण सदन चाहता है कि विधायक विकास निधि की स्थापना की जाय । आज विपक्ष की तरफ से तमाम समस्यायें उठायी जाती हैं । प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो रही हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है और विधायकों के अधिकारों की उपेक्षा हो रही है ।माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने को उत्तर देने में असहाय महसूस कर रहे हैं । मैं मानता हूं कि कलेक्टिव रिस्पान्सेबिलिटी है, कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं जिससे सदन नहीं चल पा रहा है ।

इसलिये माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक नई व्यवस्था कायम कीजिये उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में, कि माननीय अध्यक्ष जी ने, नेता सदन को सदन में बुलाकर विधायकों को संतुष्ट करने की प्रक्रिया स्थापित की । यह एक नया नजरिया होगा । भारत वर्ष की लोक सभा हो, चाहे अन्य राज्यों की हो, ऐसी परिस्थितियों में समय-समय पर पीठ से रूलिंग्स हुई है । आप हमें समय देंगे तो मैं सारे के सारे दस्तावेज रख दूंगा । इसलिये मान्यवर, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मेरे इस औचित्य के प्रश्न पर आप शीघ्रातिशीघ्र नेता सदन को बुलाकर इस विषय पर चर्चा करवा दें । क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी कोई निर्णय भी ले सकेंगी क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने को सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे हैं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जायेगा कि यह जो नियम–3(X) के अन्तर्गत सूचना यहां पर दी गई है, उससे कहां पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कहां पर संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है और आपकी पीठ से दिये गये किस निर्णय का उल्लंघन हो रहा है ? जहां तक माननीय नेता सदन के आने का सवाल है, जब भी आवश्यक होता है, वह आती है और आती रही हैं । जहां तक मेरे ऊपर आरोप लगाये गये हैं, उसके बारे में साफ कहना चाहता हूं कि सदन बहुत ही व्यवस्थित चल रहा है । इसे अव्यवस्थित करने की कोशिश न की जाय । इसमें माननीय सदस्यों को आपको सहयोग करना चाहिये । जहां तक विधायक विकास निधि की बात है, इसमें शासन का जो दृष्टिकोण है, उसे मैंने स्पष्ट तौर से रखने की कोशिश की है और रखा भी है । मैं विचार ही दे सकता हूं [xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संविधान को आप देख लें । जहां पर "सदस्यों की निरर्हतायें" लिखा है । जिसमें यह स्पष्ट है कि कौन व्यक्ति किन परिस्थितियों में विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता है । (1) वह दिमाग से दिवालिया न हो गया हो (2) सदन को कोई सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो आदि । अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय सदस्य को |x x x| कहा है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस तरह से वे सदन के सदस्य नहीं रह सकेंगे तो इसलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है कि यह |x x x | है उसको कृपया सदन की कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने यह नहीं कहा । मैंने उसको कार्यवाही से निकलवा दिया है, आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जिस चीज को सदस्य मांगना चाहते हैं, वह इस सरकार के पास हो, जिसकी व्यवस्था यह सरकार कर सकती है । इस सरकार के पास दिमाग नहीं है । इसलिये संसदीय कार्य मंत्री से मा० सदस्य ने नहीं मांगा था । सदस्य दीदार मांग रहे हैं । नेता सदन को हालांकि हम जानते हैं कि नेता सदन के पास सदस्य को देने लायक कुछ नहीं है फिर भी दीदार चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जाये । उतना भाग मैंने कार्यवाही से निकाल दिया है । हर व्यक्ति के कहने का एक ढंग होता है मैं एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं हालात को जरा एक शेर कह के स्पष्ट कर दूं ।

"पूछा तो हालचाल मगर दूर-दूर से
उम्मीद हमने की थी बहुत कुछ हुजूर से
हालांकि गुफ्तगू के भी लायक नहीं मगर
दीवाना इनसे बात करे है शउर से ।"

श्री अध्यक्ष–

जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वे जानते होंगे, श्री सी० आर० दास का नाम उन्हें याद होगा उनका देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान था और वे बहुत बड़े वकील थे । कद उनका सवा चार फुट था, बिहार में जो उस समय राज्यपाल महोदय थे उनका कद साढ़े छः फुट था । गवर्नर साहब ने उनसे कह दिया कि मैं आप को जेब में रख सकता हूं । तो उस पर दास साहब ने कहा कि मुझे जेब में न रखकर अपने मस्तिष्क में रखें । तो बात कहने-कहने का अपना तरीका होता है यह देखना चाहिये कि किस भाव से बात कही गयी है वह आपत्तिजनक बात निकाल दी गई है, आप अब उस प्रकरण को समाप्त कीजिये ।

(व्यवधान)

नोट :– |xxx| यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचना नहीं आ रही है, अतः मैं इसे निरस्त कर रहा हूं। इसमें औचित्य के प्रश्न सूचना में कोई नहीं है।

दिनांक 30 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 को निरस्त कराये जाने की बारे में मुख्य मंत्री द्वारा गलत सूचना दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना डा० अशोक बाजपेयी की है आपने कहा है कि शासन की ओर से उत्तर गलत आया है।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, क्या 3(X) में भी शलाका होती है, मान्यवर, सबको सुनने के बाद मुझे आखिर में ही रखते हैं।

श्री अध्यक्ष–

शलाका नहीं होती है। अगर आप की सूचना प्रथम दृष्ट्या सुनने वाली होगी तो जरूर सुन लूंगा। अभी तो मैं क्रमानुसार सूचनाओं को ले रहा हूं।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रदेश की गम्भीर समस्या के संबंध में सवाल करते हैं और पीठ द्वारा जब सवाल स्वीकृत हो जाते हैं तो सरकार से सुसंगत उत्तर की अपेक्षा की जाती है। यह भी परम्परा रही है कि मंत्रीगण प्रश्नों का सुसंगत उत्तर देंगे और सदन को गलत सूचना देकर गुमराह नहीं करेंगे। मान्यवर, 30 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे दल के नेता ओम प्रकाश सिंह जी ने एक प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा था जो कुछ चिकित्सकों की नियुक्ति के संबंध में था जिसका उत्तर मंत्री जी ने दिया था कि न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण यह प्रश्न निरस्त किया जाता है। इस संबंध में मैं यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह प्रकरण उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया–

"देयर आफटर दि अपोजिट पार्टीज उड अगेन कलकुलेट दि मार्क्स आफ आल कन्डीडेट्स आइदर सेलेक्टेड आर नाट सेलेक्टेड, ऐज इन्डीकेटेड एबव इफ आफटर कलकुलेटिंग दि मार्कस् इन इकार्डेन्स विध दि एफोर्सिड फारमूला अपोजिट पार्टीज, उड फाइन्ड दैट इफ एनी आर फ्यू आर आल दि नान सेलेक्टेड कन्डीडेट्स हैव ओवटेण्ड मार्क एवव आर इम्वल टू दोज, हू हैव वीन सेलेक्टेड, दि अपोजिट पार्टीज वुड एप्वाइंट देम, विदइन ए पीरियेड आफ एट वीक, फ्राम दि डेट आफ प्रोडक्शन आफ ए कापी आफ दिस आरडर, वाई गिविंग रिलेक्शन आफ एज, इफ एनी कैन्डीडेट हैज आलरेडी क्रास्ड दि मैक्सिजम एज लिमिट ऐज प्रेसक्राइब्ड इन दि एडवरटाइजमेन्ट हाउएवर, दि परसन्स हू हैव आलरेडी बीन सेलेक्टेड एण्ड आर वर्किंग उड नाट बी डिसटर्ब्ड इन एनी मैनर वाट सोइवर एकार्डिगली दि राइट पेसेन्स आर डिस्पोज्ड आफ" डेटेड 12-4-94.

मान्यवर, उच्च न्यायालय की पीठ ने दिनांक 12-4-94 को आदेश दिया था और इस आदेश के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पीटीशन दायर किया। दिनांक 9-4-96 के आदेश में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्पेशल लीव पीटीशन डिशमिश हो गई और उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने आर्डर दिया । यह आदेश अंग्रेजी में है जिसे मैं पढ़ रहा हूं ।

" वी हैव गान थ्रो दि रिव्यू पीटीशन एण्ड दि कनेक्टेड पेपरर्स एण्ड गिवेन आवर एनेक्सीअस कन्सीडेरेशन दि रिव्यू पीटीशन इज डिसमिसड वोथ आन दि ग्राउण्ड्स आफ डिले ऐज वेल ऐज आन मेरिट्स "

नई दिल्ली,

दिनांक जनवरी 21, 1997

मान्यवर, यह निर्णय 21 जनवरी, 97 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था इसकी प्रति मैं आपको दे दूंगा । सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेशल लीव पीटीशन खारिज कर दिया और स्पेशल रिव्यू पीटीशन सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया । तो मान्यवर, इसके बाद हिन्दुस्तान में कौन अदालत शेष रह गयी जिसके संबंध में मंत्री जी ने कहा है कि न्यायालय में विचाराधीन है । मान्यवर, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आठ सप्ताह में नियुक्ति कर दी जाय आप देखें 67 आयुर्वेदिक डाक्टरों की नियुक्ति का प्रश्न उठा । मान्यवर, 1994 से 1997 हो रहा है लेकिन अभी तक इन 67 डाक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई । जब प्रश्न किया तो मंत्री जी ने सदन को गुमराह करके गलत उत्तर दिया इस तरह सदन का समय बेकार गया और सदन से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि यहां सही उत्तर आयेंगे लेकिन परम्परा बन गई है । सदन को गुमराह कर प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिये जायें यह उत्तर दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

मान्यवर, 1994 में उच्च न्यायालय द्वारा जब निर्णय हो गया है उसके बावजूद मंत्री जी कह रहे हैं यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये प्रश्न निरस्त किया जाता है । तो मान्यवर, सदन की अवमानना का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने वाला उत्तर दिया है जिससे सदन की अवमानना हुई है । मैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी आपके पास भेज रहा हूं ताकि भविष्य में माननीय सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो और गलत जवाब देकर सदन को गुमराह न करें । मान्यवर, यह सदन की अवमानना है इसलिये मैं यह नोटिस देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं :

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आपने अपनी व्यवस्था दे दी है । लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई गलत सूचना देते हैं तो उसके लिये निदेश संख्या–166 है आप उसके तहत कार्यवाही कर सकते हैं । यह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं आती है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है तो क्या माननीय मंत्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये निदेश संख्या–166 में व्यवस्था है । आप उसके तहत सूचना दे दें उसके बाद परीक्षण कराकर तब माननीय मंत्री जी से उत्तर मांगा जायेगा । तभी कोई कार्यवाही हो सकती है ।

अग्नेयास्त्रों पर सीमा शुल्क लगाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है । माननीय शाक्य जी यह आपकी सूचना कहां नियम–3(X) में आती है । खाली कुछ कहना है इसलिये आप लोग खड़े हो जाते हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात कहूंगा । संविधान के आर्टिकल–21, अनुच्छेद–22 की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है । इस सम्मानित सदन के 425 माननीय सदस्यों को भी यह अधिकार है । इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के पास असलहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास नहीं है ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अपनी सुरक्षा के लिये लेना चाहें तो काला कानून लाया गया है । रिवाल्वर या पिस्टल के लिये दो हजार रुपया है, राईफल के लिए एक हजार पांच सौ रुपये है, डी० बी० एल० के लिए एक हजार रुपया है, एस० बी० बी० एल० के लिए एक हजार रुपया है तथा एम० एल० के लिए दो सौ रुपया है । फार्म नं० 11 पर दस हजार रुपया फार्म नं० 12 पर दस हजार रुपया, फार्म नं० 13 पर पांच हजार रुपया तथा फार्म नं० 14 पर तीन हजार रुपया है । नवीनीकरण के लिए रिवाल्वर या पिस्टल पर एक हजार रुपया, राईफल पर सात सौ पचास रुपया है डी० बी० एल० पर पांच सौ रुपया एस० बी० बी० एल० पर पांच सौ रुपया तथा एम० एल० पर एक सौ रुपया है तथा फार्म नं० 11 पर तीन हजार रुपया फार्म नं० 12 पर तीन हजार रुपया, फार्म नं० 13 पर दो हजार रुपया तथा फार्म नं० 14 पर एक हजार रुपया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी, इसे किसी दूसरे सुसंगत नियम में दे दीजियेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, तो मजबूरी है । अगर हमारे पास रुपया है तो असलहा है अगर नहीं है तो असलाहा नहीं है और हमें सरेन्डर करना पड़ेगा । मान्यवर, आज ज्यादातर विधायकों के पास असलहे हैं और जिनके पास नहीं है उनको गनर नहीं दे पा रहे हैं तो असलहा लेना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जब विधेयक आयेगा तब आप अपने विचार रख लीजियेगा । अभी आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, अल्पमत की बातों को सुना नहीं जायेगा । यह सदन प्रदेश की 14 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है और बहुमत के बल पर पास करा लिया जायेगा तो यह जनतांत्रिक नहीं है इसके लिए आप व्यवस्था दें । आज जनतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है और यह संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–3(X) के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना व श्री दया शंकर जी की है (नाम पुकारे जाने पर दोनों सदस्य अनुपस्थित थे) चूंकि दोनों सदस्य अनुपस्थित हैं इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के लिए घटिया किस्म की दवा खरीदे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

7वीं सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की है, लेकिन वह उपस्थित नहीं है। 8वीं सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र की है।

(श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के खड़े होने पर)

माननीय सदस्य खड़े हैं। आपकी दो सूचनायें हैं एक तो अनुसूचित जातियों के संबंध में और दूसरी पशुपालन के संबंध में। आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मैं पशु पालन पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी छठी सूचना निरस्त की जाती है।

* श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है और यहां पर कृषि की अहम भूमिका है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के पास ड्रग इन्सपेक्टर होते हैं, लेकिन पशु पालन विभाग के पास ड्रग इन्सपेक्टर नहीं होते हैं, जो दवाओं का परीक्षण कर सकें और मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में नकली दवायें बिक रही हैं, जिसके कारण पशुओं की बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है और कोई भी दवा कामयाब नहीं है, जिसके कारण डाक्टर परेशान रहते हैं। मान्यवर, जानवर मर रहे हैं, लेकिन इसकी ओर हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पशु पालन मंत्री से एक ड्रग इन्सपेक्टर की नियुक्ति होनी चाहिये जो समुचित नियंत्रण कर सके और छापा मार कर जो नकली दवायें बिक रही हैं, उन पर नियंत्रण किया जा सके और पशुओं को मरने से बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं इसे निरस्त करता हूं। क्योंकि यह नियम–3(X) में नहीं आती है लेकिन इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

सम्पूर्ण प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब होने से नागरिकों के जानमाल को खतरा होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, सारे उत्तर प्रदेश में असुरक्षा है। यह सरकार सुरक्षा की गारन्टी ले रही है और कितने महत्वपूर्ण मामले हैं कि असलहों को लाइसेन्स देने पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा रहा है। जिन असलहों पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा रहा है वह सब हम लोगों के पास ही रहते हैं तो इस प्रकार से यह शुल्क भले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता का लोगों पर ही लग रहा है और इस तरह से स्टाम्प शुल्क लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह कानून भारत सरकार द्वारा बनाया गया है इसलिये इसमें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह जानबूझ कर जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है रायफल किसके पास है, भले लोगों के पास है ? बहुजन समाजवादी पार्टी के गरीब लोगों के पास राफल नहीं है तभी उन्हें रायफलें दी जायें बन्दूक दी जायें यह जानबूझ कर हम लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि सदन की गरिमा को कायम रखने के लिये और आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से जो स्टाम्प शुल्क लगाया जा रहा है इसको समाप्त किया जाये और इस विधेयक को वापस लिया जाये। सुरक्षा की गारन्टी सरकार ले रही है लेकिन इनकी पुलिस कहीं पर भी गश्त नहीं कर रही है, पुलिस कहीं पर सुरक्षा नहीं दे रही है और सरकार स्टाम्प शुल्क बढ़ाकर स्वयं भी सुरक्षा में बाधा डाल रही है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आप समाप्त करें।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, यह सुरक्षा की गारन्टी भी नहीं ले रहे हैं जनमानस को सुरक्षा हेतु अप्रर्याप्त पूर्वक लाइसेन्स जीवनरक्षा हेतु दिया जाय। यह जो संशोधन लाये हैं,उसे इनको वापस लेना चाहिये। इससे प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। आपका धन्यवाद आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती और इनमें किसी व्यवस्था और औचित्य का प्रश्न भी नहीं उठाया है। इसलिए मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं और आग्राह्य करता हूं।

प्रदेश में करोड़ों रुपये की अर्धनिर्मित परियोजनाओं को लम्बित पड़े रहने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैंने नियम–300 के अन्तर्गत एक सूचना दी है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरी सूचना आपकी ग्राह्यता की परिधि में आती है। इसलिए कि उससे इस सदन के कार्य पर प्रभाव पड़ता है और इसमें संविधान के अनुच्छेद का भी जिक्र है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जनहित की जो घोषणायें की हैं वर्तमान सरकार उन घोषणाओं को नजरअंदाज कर रही है। किसी भी सरकार का जो नैतिक संवैधानिक दायित्व है उसकी जो प्रतिबद्धता है पूर्ववर्ती सरकारों ने जो घोषणाएं की हैं उनको पूरा करे। मान लीजिए कल यह सरकार चली जाए और इसके बाद माननीय कल्याण सिंह की सरकार आये तो जो वर्तमान सरकार ने घोषणायें की हैं, यह इनके घर की घोषणाएं तो हैं नहीं, क्योंकि सरकार की घोषणाएं व्यक्तिगत घोषणायें नहीं होती है, इसलिये उन घोषणाओं को जो पूर्ववर्ती सरकार ने की है, आने वाली सरकार को पूरा करना होता है। और सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो घोषणाएं की गई है उनकी पूर्ण रूप से उपेक्षा कर रही है। जिन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है अभी वह अधूरी है, उनके लिए यह सरकार पैसा नहीं दे रही है। इससे जो धन उन परियोजनाओं में लग गया है वह बर्बाद हो रहा है। और परियोजनाएं असफल हो रही हैं।

मान्यवर, हमारे फैजाबाद में 132 के० वी० का सब-स्टेशन लगना था जो वहां के कृषि विश्वविद्यालय में शोध और साइन्टिफिक कार्य होने हैं उनके लिए यह विद्युत उप केन्द्र बहुत उपयोगी है। जिसके लिए इस विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की गई थी। उसमें करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। तत्कालीन मुख्य मंत्री 16 जनवरी, 1995 को फैजाबाद गए थे और उन्होंने 9 करोड़ रुपया देने की

घोषणा की थी । 5 और परियोजनाएं भी वहां लगनी थीं लेकिन इन पर कार्य नहीं हो रहा है । जो 132 के०वी० का सब-स्टेशन बनना था जिससे फैजाबाद और सुल्तानपुर को बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था है, तो वह वैसे ही पड़ा हुआ है और हमारा करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है । इसलिए वर्तमान सरकार संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है । तो मैं आपका ध्यान पार्ट 1-4,6 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें साफ-साफ लिखा है कि पूर्व सरकारों द्वारा जो भी घोषणाएं की जाती है वह महामहिम राज्यपाल के नाम से होती है । वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा महामहिम राज्यपाल के आदेशों द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उन आदेशों का पालन नहीं कर रही है । संविधान के अनुच्छेद 356 में भी साफ-साफ लिखा है जिसको मैं पढ़ने की जरूरत नहीं समझता हूं ।

आप हमसे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं । आप पूरी तरह से सहमत होंगे कि पुरानी सरकार की घोषणाओं का वर्तमान सरकार को पूरा करना चाहिए । यह हम सबकी प्रतिबद्धता है । चाहे किसी की सरकार हो हमारे प्रदेश का करोड़ों रुपया जिन योजनाओं में लगा हुआ है, वह पूरी होनी चाहिए । लेकिन आज वह असफल हो रही है । ऐसा दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहिए । किसी सरकार द्वारा किए गए कामों को इस सरकार को रिवेन्जफुल ऐटीट्यूड से नहीं लेना चाहिए । पुरानी सरकार ने जो घोषणाएं की वह राज्यपाल के आदेशों से की हुई मानी जाती हैं । चाहे वह किसी की सरकार हो । 16 जनवरी, 1995 को जो घोषणाएं हुई आप उनको देख लीजिए । वह अत्यन्त जनहित की हैं, सम्पूर्ण परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं । इसलिए यह अत्यन्त संवैधानिक और औचित्य का प्रश्न बनता है । इसको आप औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जिस विषय का उल्लेख किया है, संविधान के किसी अनुच्छेद और प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के किसी नियम जिसके आधार पर सदन की कार्यवाही संचालित होती है, से संबंधित नहीं है । अतः यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

सिंचाई तथा लोक निर्माण के अभियन्ताओं द्वारा शासन के रोक के बावजूद अरबों रुपयों की खरीददारी विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय प्रमोद कुमार माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, माननीय समर पाल सिंह की है । माननीय पाल जी आप बतायें कि यह कहां नियम 300 में आती हैं । अगर आप अभियन्ताओं से संबंधित प्रश्न नियम 300 में उठायेंगे तो फिर प्रक्रिया के सारे नियम एक तरफ हो जायेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप सुन तो लें, मैं समझता हूं कि आप स्वयं संतुष्ट हो जायेंगे ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश का वार्षिक बजट इस सम्मानित सदन द्वारा पारित किया जाता है । अगर यहां पर बजट पारित न हो तो पूरे प्रदेश के विभागों में एक पैसा भी किसी मद में खर्च नहीं हो सकता है । जब योजनागत और अयोजनागत मदों में पैसा खर्च किया जाता है तो विभाग वार एक-एक विभाग का बजट सम्मानित सदन में पारित किया जाता है । उसके बाद वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है और विभाग पैसा खर्च करते हैं । लेकिन आज यह देखने में आ रहा है कि जनपदों में अधिकारी जिस मद के लिये पैसा जाता है उसमें न खर्च करके दूसरी मदों में खर्च कर रहे हैं और तमाम चीजें जिनके खरीदने पर रोक है करोड़ों रुपया उन चीजों को खरीदने में खर्च कर रहे हैं । इस तरह से अधिकारी संविधान की अवहेलना स्पष्ट रूप से करते हैं । मान्यवर, पी० डब्लू० डी० और सिंचाई विभाग के अन्तर्गत

महालेखाकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने शासन को भेजे गये पत्र संख्या 2/6339-1-97 में कहा है कि सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग शासन के आदेशों के विपरीत आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से पहली जुलाई, 1995 से रोक के पश्चात भंडारों के लिये भारी क्रय किया है। महालेखाकार ने कहा है कि 2 साल में लगभग 100 करोड़ रुपये का घपला किया गया है । जनता की गाढ़ी कमायी का पैसा हड़प लिया गया है । जो पैसा स्वीकृत किया जाता है उसके प्रति विभागों की सदन के प्रति जवाबदेही होती है । अधिकारी मनमाने तरीके से करोड़ों रुपयों की खरीदारी कर लेते हैं जिसमें भारी भ्रष्टाचार किया जाता है और उसके बाद स्थानान्तरित हो जाते हैं और खरीदा गया सामान बेकार पड़ा रहता है । आज इस प्रवृत्त पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है । अधिकारी तो लाखों-करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ विधायक निधि में जब पैसा देने की बात आती है तो कहा जाता है कि उसके लिये संसाधन नहीं है । यह बिहार के चारे घोटाले से भी बड़ा घपला है । यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में यह सूचना मैं निरस्त कर रहा हूं, परन्तु जिसका उल्लेख किया गया है उस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मेरी सूचना पर क्या व्यवस्था दी है ।

श्री अध्यक्ष–

उसको निरस्त कर दिया है ।

श्री अक्षयवर लाल की सूचना नियम 300 में आ गयी है, इसको निरस्त कर रहा हूं । अंतिम सूचना माननीय प्रमोद कुमार की है ।

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार की है । यह नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह नियम–300 में नहीं आती है तो कोई और सूचना नियम–300 में नहीं आ सकती । मैं इसको साबित कर दूंगा कि यह नियम–300 में आती है । इस देश का इतिहास, परम्परा रही है कि महापुरुषों के नाम पर तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, विकास कार्यक्रम चलाये जाते हैं उनकी स्मृति संजोने के लिये । मौजूदा सरकार और भारत सरकार ने भी बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया । मौजूदा सरकार ने बाबा साहब के स्वतंत्रता संग्राम में दिये गये योगदान, संविधान के निर्माण में योगदान और राष्ट्र को नई दिशा दिखाने के लिये सम्मानित किया और इसके साथ ही अन्य तमाम योजनाएं चलाई हैं । हमने जो बजट पारित किया था सामान्य बजट पर चर्चा करते हुए अम्बेडकर गांवों के विकास की बात कहीं । अम्बेडकर जी ने इस राष्ट्र को एक नई दिशा दिखाई इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं उनके नाम पर ही इन गांवों की बात हुई ।

अरुण शोरी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बाबा साहब ने न स्वतंत्रता संग्राम में, न संविधान के निर्माण में हो कोई योगदान दिया । ऐसी आपत्तिजनक बातें बाबा साहब के बारे में कही हैं जिससे बाबा साहब के मानने वालों और न मानने वाले लोगों को बुरा लगा है । कोई किसी की पूजा करे कोई किसी को आदर सूचित करे यह अपनी-अपनी इच्छा है लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह महापुरुषों के बारे में गलत टिप्पणी करे । भारत सरकार ने भारत रत्न से और प्रदेश सरकार ने तमाम योजनाएं चलाकर उनको सम्मान किया है । ऐसा कह देना कि बाबा साहब का आजादी के इतिहास में योगदान नहीं रहा है, संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है । अनुचित है । मैं उन वाक्यों का

उल्लेख यहां नहीं करना चाहता क्योंकि इससे लेखक की मंशा पूरी हो जायेगी । मैं यहां पर कहूंगा तो वह कार्यवाही का अंग बन जायेगा । मान्यवर, इस पर कानूनी कार्यवाही की जाय । कम से कम इस पुस्तक का प्रचलन उत्तर प्रदेश में बन्द करने का निर्णय लें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद कुमार जी की यह सूचना नियम–300 में नहीं आती ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह पुस्तक अरुण शौरी द्वारा लिखित है। वरशिपिंग फाल्स गांड के नाम से । इसमें बाबा साहब के लिये..

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया कि यह सूचना नियम–300 में नहीं आती ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कानूनी कार्यवाही करनी है तो अलग से करिये । यह नियम 300 में नहीं आती है । (श्री प्रमोद कुमार के बोलते रहने पर) आप जो कह रहे हैं लिखा नहीं जा रहा हैं । श्री राम नक्षत्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x] मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

विधायक निधि की स्थापना विषय को उठाने का प्रयास

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, यह सरकार बुतों की सरकार है । आज यह सरकार खुद कानून को तोड़ने का काम कर रही है । कोई भी ऐतिहासिक स्थल हो उसके 100 मीटर के अन्दर कोई काम नहीं कर सकते हैं लेकिन आज परिवर्तन चौक के नाम से इस नियम का उल्लंघन हो रहा है। वहां पर कार्य हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सोचा आप सूचना पर कुछ कहना चाहते हैं । आपको जो कहना हो बजट पर बोलें ।

श्री राम नक्षत्र–

यह सरकार बुतों के नाम पर पैसा खर्च कर रही है । विधायक निधि के लिये पैसा नहीं है । प्रदेश का विकास अधूरा पड़ा है और बुतों के नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है बस हो गया ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, आज विधायक निधि को स्वीकार करने की जरूरत है । मैं आपसे अपील करता हूं और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि इस प्रदेश की आम जनता के हित में और इस प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए हमारी बात को स्वीकार करने का आप आदेश देंगे ।

नोट : [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 और मद संख्या–4 में कुछ नहीं है । मद संख्या–5 में कार्य मंत्रणा की संस्तुतियां हैं ।

नियम 63 के अन्तर्गत दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी नियम नियम–63 में ।

श्री अध्यक्ष–

जब सूचना नियम 63 में देते हैं तो उसका परीक्षण होता है ।

(व्यवधान)

नहीं ऐसा नहीं होता है । इस तरह से नहीं होता है । आप बैठ जाएं ।

श्री अमर मणि–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है । जो शब्द कार्यवाही से निकाल दिया गया है इस पर कुछ नहीं सूना जायगा ।

श्री अमर मणि–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

मैंने इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया है । उसके आधार पर अब कोई सूचना नियम 63 में ग्राह्य नहीं है ।

श्री अमर मणि–

| x x x |

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, मैंने नियम–341 में सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

शलाका में आपकी सूचना नहीं थी ।

श्री अमर मणि–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति नहीं दी है जो आप बोल रहे हैं लिखा नहीं जाएगा ।

श्री अमर मणि–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

आप जो कह रहे हैं यह लिखा नहीं जा रहा है ।

(समय 2 बजकर 05 मिनट)

नोटः–| x x x | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 5 अगस्त, 1997 की बैठक में सदन के दिनांक 6 अगस्त, 1997 से 13 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के लिए तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :–

अगस्त, 1997

---

6 बुधवार

1–उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा ।

2– वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एवं मतदान ।

7 गुरुवार
8 शुक्रवार
9 शनिवार
10 रविवार
11 सोमवार

बैठक नहीं होगी ।

1–उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा ।

2–वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

3–(क) नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :––

"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउण्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय ।"

(ख) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराया जाय ।"

अन्तिम रूप से

(ग) नियम 103 के अन्तर्गत श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री अमर मणि त्रिपाठी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विवेक सिंह, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री सतीश शर्मा, श्री बिहारी लाल आर्य, श्री दलबीर सिंह, श्री गंगा बक्श सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल व श्री अखिलेश कुमार सिंह, सदस्य गण, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"यह सदन राज्य निर्वाचन आयोग के संविधान तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा तद्धीन बनाई गई

नियमावली के प्राविधानों के उल्लंघन से संबंधित कार्य-कलापों पर चिन्ता व्यक्त करता है ।"

12 मंगलवार (1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(अपराह्न 4.00 बजे तक)

(2) 4.00 अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

13 बुधवार 1–गढ़वाल मण्डल में स्थान-स्थान पर अनावश्यक चुंगी-प्रवेश शुल्क की वसूली तथा हो रही अभद्रता एवं दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० रमेश पोखरियाल "निशंक", द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

2–प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश शुल्क बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, द्वारा दी गयी सूचना पर सदन में हुए वक्तव्य के संबंध में नियम–52 के अन्तर्गत ग्राह्य की गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

3–मेरठ के महाविद्यालयों में प्रवेश की समस्या, प्रयोगशलाओं में संसाधनों का अभाव, नये कालेजों/संकायों का न खुलना तथा पुराने कालेजों के भवनों में वृद्धि न होना आदि विषयों के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

4–प्रदेश के समस्त नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं के अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों के ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रभावी योजनायें बनाते हुए एतदर्थ पृथक से धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन कार्य-मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना मा० संसदीय कार्य मंत्री ने दी है से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वक्तव्य कोई नहीं है ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प है। (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1997†

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 56 के अन्तर्गत, कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

मद संख्या–11 कार्य-स्थगन प्रस्ताव–

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 6-8-97 को नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम 5 सूचनाओं की ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट की है तथा एक अन्य माननीय सदस्य ने भी इसी से संबंधित सूचना दी है मैं उन्हें भी सुन लूंगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैंने प्रदूषण के संबंध में सूचना नियम 311 में दी थी।

श्री अध्यक्ष–

311 की सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, पहले यह बता दें कि कौन-कौन सी सूचना है ?

---

† दिनांक 1-9-97 की असरकारी गजट विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं पढ़ देता हूं।

पहली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट की प्रदेश की राजधानी में सामान्य जनजीवन के लिए घातक हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न भयावह स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री संजय सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से हुई तबाही व राहत कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राजा राम पाण्डेय, श्री रामपाल राजवंशी की प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की भांति समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के प्राथमिक विद्यालयों तथा अरबी-फारसी मदरसों के प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को मध्यान्ह भोजन योजना में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह व श्री बिजेन्द्र आर्य की प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल की श्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कुलपति के निलम्बन के संबंध में है। छठीं सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की प्रदेश में आरा मशीनों की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री मित्रसेन यादव, श्री पासनाथ यादव व श्री श्याम लाल रावत की जनपद बलिया के भीमपुरा थाना अन्तर्गत शांतिमय धरना प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री राम सिंह सैनी, श्री अम्बरीष कुमार, श्री संजय चौहान, श्री मुन्ना चौहान, श्री नरेन्द्र भाटी एवं श्री राजपाल त्यागी की जनपद मेरठ के बहसूमा थाना अन्तर्गत रामराज ग्राम में पुलिस द्वारा बिना चेतावनी गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। नवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अब्दुल कलाम, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री हरिशंकर तिवारी एवं श्री राम नरेश यादव की प्रदेश में मान्यता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसी से सम्बन्धित सूचना श्री सुधाकर सिंह, श्री राम प्यारे, डा० वकार अहमद शाह व श्री सीताराम निषाद की भी है। दसवीं और अन्तिम सूचना श्री हरिशंकर तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री प्रमोद कुमार, डा० अशोक बाजपेयी, श्री मुन्ना चौहान एवं श्री अम्बरीष कुमार की आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किये गये आरक्षण के प्राविधान को लागू करने हेतु बनाये गये रोस्टर में संशोधन करने के संबंध में है।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी देख लेता हूं।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामान्य जनजीवन के लिए घातक हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न भयावह स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कुछ तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं इसलिये कि सदन गम्भीरतापूर्वक विचार करे और यह देखें कि जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं न केवल उन पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी जो गर्भ में है या गर्भ में आ गयी है उस पर भी विपरीत असर पड़ेगा। सीधे तौर पर यह विषय न किसी पक्ष का है न विपक्ष का है न सत्ता पक्ष का है और यह भी नहीं है कि किसी गांव या गली का ही है, मान्यवर, यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मामला है और राजधानी लखनऊ के काले धुयें की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है कि जिस तरह से हम काले धुयें को इन्हेल कर रहे हैं, कार्बन मोनों आक्साइड, सल्फर आक्साइड और लेड जो निकल रहा है उसको हम इन्हेल कर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में तिपहिया वाहन कीड़े की तरह रेंगते हैं यह सभी जानते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, जो साईकिल पर चलने वाले हैं, उनकी हालत बुरी है, स्कूटर पर चलने वाले लोग हैं उनकी भी हालत बुरी है, ए०सी० गाड़ियों से चलने वाले लोग हैं उनकी बात मैं नहीं जानता।

इसलिये कि शायद धुआं उन तक न पहुंचता हो, लेकिन आम आदमी जो भी सड़क पर चलता है, विवश है । यह स्थिति हो गई है कि हर एक आदमी ब्रोंकाइटिस का मरीज हो रहा है, अस्थमा का मरीज हो रहा है, जो छोटे बच्चे रिक्शे पर चढ़कर स्कूल जाते हैं, उनको खांसी आती है, जुकाम होता है और जब उनको हास्पीटलाइज किया जाता है तो वह ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के शिकार पाये जाते हैं । मान्यवर, यह बहुत भयंकर समस्या है, इससे हायपर टेन्शन क्रिएट होता है और आदमी इससे अस्त व्यस्त हो जाता है उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे । मुझसे सेक्रेटेरियट के कर्मचारी मिलते रहते हैं वह कहते हैं कि जब तिपहिया वाहनों की स्ट्राइक होती है तो साइकिल, स्कूटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती ।

मान्यवर, हमारा आर्टिकिल 19, सात प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें सभी नागरिकों को वाक-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति–स्वातंत्रय का, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचारण का, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निर्वास करने और बस जाने का और कोई वृति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा ।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रंगनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, जो लोग लखनऊ में बसे हैं, यह उनका अधिकार है । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान सभा चलती है, जो लोग इससे जुड़े हैं, उन्हें लखनऊ में ही रहना है, राजधानी होने के नाते बहुत से महत्वपूर्ण विभाग यहीं है, बहुत से महत्वपूर्ण कार्य यहीं से होते हैं, इसलिये भी यहां रहना बहुत से लोगों की विवशता है अन्यथा वह यहां से दूर कहीं किसी कोने में चले जायें, इसलिये मान्यवर, हमको इस पर ध्यान अवश्य देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि इस पर कुछ किया नहीं जा सकता । इसके लिये तिपहिया वाहनों को खत्म किया जाय, उनके स्थान पर मोटर्स, रोडवेज बसें लाई जायें, उनका 25–25 मी० पर स्टाप किया जाय, दिखावे के तौर पर जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उसमें कमी की जाय । चाइना ने अपने यहां प्रदूषण को कन्ट्रोल कर लिया । सबसे पहले जीवन जरूरी है, स्टेट्स जरूरी नहीं है, जान है तो जहान है । हम बचेंगे तो देश के निर्माण के बारे में बात कर सकेंगे । मान्यवर, माननीय सदन में बहुत गम्भीर प्रश्न आने है, मैं समझता हूं कि इससे बढ़ा गम्भीर प्रश्न और कोई हो नहीं सकता,' यह वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, जो बच्चे गर्भ में हैं, वह विकलांग पैदा होंगे, हमारी 21 वीं शताब्दी की पीढ़ी कैसी होगी, भावी पीढ़ी कैसी होगी, यह सब कुछ इसी पर निर्भर है । श्रीमन् मैं अनुरोध करूंगा कि यह विषय माननीय संसदीय कार्य मंत्री से सीधे कनेक्टेड है, यहां ध्वनि, वायु, पानी सभी तरह का प्रदूषण है । पानी आज कैसा आ रहा है, कीड़े आ रहे हैं, बदबू आ रही है, सीवर लाइन कनेक्ट हो गई है । यहीं विधान सभा में एक बार मैं पानी पी रहा था, मैंने कहा यह तो बहुत ठंडा है, इससे तो गला खराब होगा, उसने दूसरा टेप खोला, जो डाइरेक्ट आ रहा था, उसमें का पानी उसमें मिला दिया ताकि उसकी ठंडक कम हो जाय ।

मैंने देखा और कहा कि इसमें तो कीड़े हैं, कचड़ा है, काई आ रही है, अधिष्ठाता महोदय, यह सब आपके कृपापूर्ण संज्ञान में है । मैं समझता हूं कि सरकार के भी संज्ञान में है । इस विषय को कम से कम दलगत भावना से ऊपर उठकर तत्काल विचार होना चाहिये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री सीधे इस विभाग से जुड़े हैं, उन्होंने स्वीकृति में अपनी गर्दन भी घुमाई है, संभवतः वह गम्भीर हैं, यह विषय वर्तमान पीढ़ी के लिये, आने वाली पीढ़ी के लिये, उसके स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है । भले ही हम इस शताब्दी में चांद पर चले गये, मंगल पर चले गये, लेकिन यह विषय महत्वपूर्ण है, इस पर प्रभावी व्यवस्था लागू की जाय और तिपहिया वाहनों को तत्काल बन्द किया जाय तभी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी का अस्तित्व बच सकेगा । प्रदूषण के कारण लोग लखनऊ से जान बचाकर जो मैन्गो बेल्ट है जहां पर्यावरण की दृष्टि से ठीक है वहां जायेंगे, हमको तो ठीक है लोग मलिहाबाद जायेंगे और

वहां कोठियां बनायेंगे । दिल्ली में प्रदूषण हुआ, लोग भाग रहे हैं 50-50 कि०मी० गाड़ी से चलकर जाते हैं । लोग 20-50-100 कि०मी० दूर जा रहे हैं । आज यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया के पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषण के प्वाइन्ट आफ व्यू से यह पांचवा छठा देश है । मान्यवर, पिछले 3 दिन से इसे मैं दे रहा था, दुर्भाग्य से कल भी नहीं आ पाया । खैर उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है मेरा निवेदन है कि आप इस पर प्रभावी कार्यवाही करायें, सब काम रोक दें और आज इसका स्पष्ट आश्वासन सरकार की तरफ से आये कि पूरे जनरेशन को बचाने के लिये क्या प्रभावी नियंत्रण आपका होगा । इसी व्यवस्था पर बल देते हुए फिर अनुरोध करूंगा कि समस्त कार्यवाही निलम्बित करके इस पर चर्चा करायें । इसमें अन्य माननीय सदस्यों के भी विचार आ जायं । यह पूरे जनजीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

आपने लाल बत्ती जला दी है, मैं बड़ा अनुशासित व्यक्ति हूं लाल बत्ती को देखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अनुरोध करूंगा कि इसमें निदेश देने की कृपा करें ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, इसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 में सूचना इन्होंने दी थी जिसको माननीय अध्यक्ष जी ने नियम 56 में सुनने के लिए 2 मिनट का समय दिया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी दे दी । इस महत्वपूर्ण विषय पर हम और हमारे नेता प्रमोद कुमार जी कार्यस्थगन के रूप में औचित्य का प्रश्न लाये थे । यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है । अगर प्रदेश की राजधानी प्रदूषण से मुक्त नहीं हो सकती तो उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की क्या चिन्ता करें ? यह चिन्ता जो माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की जा रही है । इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती हुई तिपहिया वाहनों की संख्या जैसे ही सायंकाल होता है पूरे लखनऊ में स्मोक का एक जोन बन जाता है । सड़कों पर चलना दूभर है । आज जिस तरह की स्थिति राजधानी में चलते हुए वाहनों की है उसका दुष्प्रभाव सारी जनरेशन पर पड़ रहा है । मैं विस्तार में नहीं कहना चाहता । मान्यवर, आज पूरी दुनिया में इसी पर्यावरण के लिये, इकोलाजी के लिये पार्टियों, पर्यावरण और फारेस्टी की नाम से चुनाव लड़ रही हैं ।

मान्यवर, आज लखनऊ की ग्रीनबेल्ट को समाप्त किया जा रहा है । आज गोमती नगर और लखनऊ के बीच में जो ग्रीनबेल्ट थी उसको छोड़ा गया था लखनऊ के पर्यावरण प्रदूषण को मेन्टेन करने के लिये । लेकिन आज यह देखा जा रहा है कि लखनऊ में जहां-जहां ग्रीनबेल्ट थी आज वह आवासीय कालोनियों में बदल रहे हैं । बड़े-बड़े बिल्डर्स वहां स्काई हाई बिल्डिंग बना रहे हैं । मान्यवर, पहले साल में एक दो बार वाहनों की चेकिंग होती थी लेकिन अब शायद ही हो जाय । जो प्रदूषण बोर्ड के कर्मचारी होते हैं वह चाहे जितना धुआं निकलता रहे वाहनों से वह सुविधा शुल्क लेकर उन्हें फिटनेस प्रमाण-पत्र दे देते हैं । तो एक व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी प्रदेश की राजधानी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए, गाड़ियों का चेक करना पड़ेगा । क्या इसी तरह से तिपहिया वाहनों को चलायेंगे या बसों का प्राविधान करेंगे । मेरा अनुरोध है कि इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वैसे तो हर प्रश्न का जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री देते हैं लेकिन वे पर्यावरण मंत्री भी हैं, इसलिये इसका जवाब गम्भीरता के साथ अपेक्षित है ।

मान्यवर, सौभाग्य या दुर्भाग्य से जो स्थिति है, उसमें सामान्य जन दोषी नहीं है इसमें सीधे-सीधे पर्यावरण को दूषित करने के लिये सरकार दोषी है । उसका मुख्य कारण यह है कि आज सिर्फ तिपहिया वाहनों की बात नहीं है, प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं उनकी व्यवस्था को देख लीजिये । जितना ज्यादा प्रदूषण निगम की बसें फैला रही हैं दूसरी बसें नहीं फैला रही हैं । इसी तरह से जो सरकारी वाहन हैं, इनमें प्राइवेट वाहनों से ज्यादा धुआं है । सरकार इसमें स्वयं दोषी है । मान्यवर, लोगों की प्रदूषण से श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है, जो यह लाउडस्पीकर्स का प्रयोग हो रहा है और जो अनधिकृत हार्न लगाये जा रहे हैं, मान्यवर, अगर इससे बहरेपन की बात कहीं नहीं है तो श्रवण शक्ति को कम करने के लिये यह काफी है । इसी तरह से नदियों का पेयजल प्रदूषण है । मंत्री जी के पास यह विभाग है कहा यह जाता है कि कोई भी मिल कोई भी फैक्ट्री चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक वे यंत्र नहीं लगा देंगे । रायबरेली की चीनी मिल है वे आपके उपक्रम हैं आपके अधीन हैं इसी तरह से सम्पूर्ण उ० प्र० में ढेर सारी चीनी मिलें हैं, जिनमें प्रदूषण यंत्र नहीं लगा हुआ है । तमाम सरकारी फैक्ट्रियां स्वयं प्रदूषण फैला रही हैं, जब सरकारी तंत्र स्वयं प्रदूषण फैलायेंगे तो औरों को क्या कहा जाय ? गोमती नदी और सई नदी में हजारों की तादाद में मछलियां मर गयीं । तमाम प्रदूषण नदियों में हो रहा है । सई नदी लखनऊ, उन्नाव, प्रतापगढ़ वहीं से पानी ग्रहण करती हैं । रायबरेली में आई० टी० आई० है । चीनी मिल का पानी जाता है, पानी विषाक्त हो गया है । मान्यवर, यह सार्वजनिक हित का मामला है, यह तात्कालिक है और लोकमहत्व का है । इसमें मंत्री जी और इनकी सरकार स्वयं दोषी है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है, जो प्रदूषण फैल रहा है । ध्वनि वायु, जल प्रदूषण की समस्या है, लखनऊ के बारे में कहा गया, मान्यवर, वायु प्रदूषण कम करने के लिये हम सतत प्रयासरत हैं और उसके लिये इस सरकार ने कुछ किया भी है ।

लखनऊ, यहां की जनता तो इस बात की जानकारी मिल सके कि जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की आक्साइड कितनी है । सल्फर की आक्साइड से क्या स्थिति है, कार्बन की आक्साइड की क्या स्थिति है, सस्पेंडेड पार्टिकल कितनी मात्रा में है और कितना होना चाहिए एक पर्यावरण घड़ी हजरतगंज में लगाई गई है, लोगों में जागरुकता बढ़े कि प्रदूषण की स्थिति क्या है । और इसे रोकने के लिये यह पहली सरकार है जिसने तिपहिया वाहनों की आयु निर्धारित किया है कि कितने साल का वाहन हो जायेगा तो वह शहर से बाहर हो जायेगा । हमने 5 साल की आयु निर्धारित किया है। पांच साल से पुराना तिपहिया वाहन शहर में नहीं चलेगा । इस संबंध में पन्द्रह दिन का ड्राइव जुलाई में चलाया है और हजारों की संख्या में तिपहिया वाहनों को बन्द करने का काम किया है ।

मान्यवर, दूसरा बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है वह है अनलेडेड पेट्रोल पम्पों पर दिया जाय जिससे कम से कम प्रदूषित धुआं बाहर निकले । इसके अतिरिक्त हमने पेट्रोल पम्पों के मालिकों को निर्देश दिये हैं कि जिनके पास प्रदूषण फ्री का सर्टिफिकेट नहीं है और वे ऐसे वाहनों को पेट्रोल और डीजल देंगे तो उनके खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे । मान्यवर, प्रदूषण की समस्या आज प्रदेश और नगर की ही नहीं बल्कि यह दुनिया की नम्बर एक की समस्या है जिससे दुनिया के सभी लोग चिन्हित हैं। मान्यवर, हमने पहली बार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विधिक जानकारी प्राप्त करके व्यवस्था किया है और पेट्रोल पम्प मालिकों के खिलाफ निरीक्षण के आदेश भी जारी किये हैं । इस तरह हमने कोशिश किया कि वायु प्रदूषण में लोगों में जागरूकता बढ़े । बिना जन सहयोग के अकेले यह काम

सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे वाहनों को जिनकी लाइफ पूरी हो चुकी है उनको शहर से बाहर करने का काम किया है। माननीय सदस्यों को लखनऊ के संबंध में जो चिन्ता है उस पर विचार कर रहे हैं।

लखनऊ को प्रदूषण मुक्त करने के लिये यहां इलेक्ट्रिक बसें चलाने के संबंध में विचार किया जा रहा है और इस संबंध में जो प्रस्ताव आयेंगे उन पर विचार करेंगे। मान्यवर, खुशी का दिन होगा जिस दिन लखनऊ में प्रदूषण को रोकने के लिये इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने में कामयाब हो जायेंगे।

(श्री बाल चन्द्र मिश्र जी के खड़े होने पर--व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

नोटिस पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिये श्री बाल चन्द्र मिश्रा जी आप कृपा करके बैठ जाइये। बिना आज्ञा के आप बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

(श्री अमर मणि के खड़े होने पर--व्यवधान)

माननीय श्री मणि जी, सभी बातें आ गयी हैं। विधायक निवास के पेयजल ही नहीं अपितु जहां-जहां भी पीने के पानी के गन्दे होने की बात है, वह सब आ गयी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर को आने दें, यदि कोई बात रह जाये तब आप उस बात को कह लीजिए।

श्री बी० आर० वर्मा--

मान्यवर, जहां तक जल प्रदूषण की बात है मेरी जानकारी में आया है कि 72 प्रतिशत नदियों का पानी सीवर वाटर की वजह से खराब है और शेष इण्डस्ट्रियल इन्फ्लून्ट की वजह से प्रदूषित है। भारत सरकार के सहयोग से और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से दो एक्शन फ्लान शुरू किये गये। एक गंगा ऐक्शन प्लान और दूसरा गोमती एक्शन फ्लान। गंगा एक्शन फ्लान का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। माननीय सदस्यों ने गोमती नदी के पानी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। अक्सर गर्मी के दिनों में इस नदी के पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। जिससे आक्सीजन डिजाल्व कम होती है और इसी कारण कभी-कभी मछलियों के मरने की जानकारी भी हमें मिलती है। इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सीवरेज इन्फलून्ट्स का है। अभी वाटर को ट्रीटमेंट करने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। प्रथम चरण में हमारे जो अपस्ट्रीम नाले थे, उन्हें डाउन स्ट्रीम में लाने का हमने काम किया है। बैराज के नीचे डाउन स्ट्रीम में हम उसे लाये हैं। इसमें मान्यवर, काफी धन की आवश्यकता है। 4-5 सौ करोड़ की आवश्यकता है ट्रीटमेंट के लिए। अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए इन नदियों के पानी को प्रदूषित होने से बचाने की कार्यवाही हम कर रहे हैं। सई नदी के बारे में बताया है, इंडस्ट्रियल पाल्यूसन के बारे में बताया है। जितना भी इण्डस्ट्रियल पाल्यूसन है चाहे वह एयर पाल्यूसन है या फिर वाटर पाल्यूसन हो, अधिनियम में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार चाहे एयर इन्फल्यून्ट हो या वाटर इन्फल्यून्ट हो, इसके लिये ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने 70 श्रेणियों के उद्योगों को चयनित किया है। जितने उत्तर प्रदेश में हैं, लगभग सभी उद्योगों ने इन्फलूयेंस फ्लान्ट लगा लिये हैं, जिन्होंने नहीं लगाये हैं उनको बन्द कर दिया गया है और एक भी उद्योग ऐसा नहीं चल रहा है जो इन श्रेणी में न आता हो। इसके बावजूद यह शिकायतें मिल रही हैं कि इन्फलूयेंस पलान्ट तो लगा लिये हैं परन्तु वह चालू नहीं कर रहे हैं तो इसको संशोधित करने के लिये दो उपाय किये गये हैं। एक उपाय यह है कि उत्तर प्रदेश में जो इण्डस्ट्रियल ग्रोथ की स्थिति है उसको ध्यान में रखते है और दूसरी तरफ पोल्यूशन कन्ट्रोल को भी ध्यान में रखा है। हमने यह व्यवस्था की है कि ऐसी इन्डस्ट्रियल में सरप्राइज विजिट करते समय जो सेमपुल लेते यह पाया जाता है कि मानक हैं उसमें यह नहीं आते हैं तो उसको हम बन्द नहीं करेंगे।

हमने उनसे बैंक गारन्टी लेने की व्यवस्था की है । तो जब हम यह पायेंगे कि यह मानक के अनुसार नहीं आते हैं तो हम उसकी बैंक गारन्टी को जब्त कर लेंगे । तो इस तरह से जो उद्योग बन्द होने पर अनइम्प्लायमेंट का जो खतरा होगा वह भी नहीं होगा । लखनऊ में जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, एक डिस्टिलरी है लखनऊ में मोहन मेकिन्स जिसकी हमने बैंक गारन्टी जब्त कर ली है । और गाजियाबाद में एक डिस्टिलरी है उसको भी इसी आधार पर किया है जब मानक को पूरा किया है तब ही उसको चालू किया है । आज की तारीख में काफी उद्योगो को, जिनको समझते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं रह गया है, तो उसको हमने बन्द किया है । हमारी कोशिश यही रही है कि इण्डस्ट्रियल ग्रोथ और पोल्यूशन में एक सामंजस्य रहे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इन्होंने लखनऊ के बारे में कहा है । रायबरेली में एक चीनी मिल है तथा एक टेलीफोंन इण्डस्ट्रियल है उससे जो पानी निकल रहा है वह काफी प्रदूषित है और उससे कई जानवर पानी पीकर मर रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी एक महीने के अन्दर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है और इससे हम काफी चिन्तित हैं । यह जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है उस व्यथा से, उस गम्भीर प्रकरण से मैं भी काफी चिन्तित हूं और हमारी कोशिश यह है कि जो सीमित संसाधन हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार इस सरकार ने पर्यावरण की ओर ध्यान दिया है । पहली बार एक फुल फ्लेज केबिनेट मिनिस्टर इसका बना है और जो 3, 4 करोड़ रुपये का बजट रखा जाता था, पहले उसको दो सौ करोड़ का बजट रखा गया है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आज लखनऊ जनपद की जो स्थिति है वह बड़ी भयावह स्थिति है । जो गोमती नदी की स्थिति है तो हम एक ज्वालामुखी में बैठे हुए हैं । आज जो सीवर लाइन और पीने की पाइप लाइन इन्टर कनेक्ट हो गयी हैं उससे हजारों की संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं । जो आज हम वायु से कार्बन मोनो आक्साइड ग्रहण कर रहे हैं उससे हमारे जीवन को काफी नुकसान हो रहा है । तो उसको हम उसे प्रथम वरीयता अर्थात् प्रायोरिटी पर लें । आज तो पूरे पर्यावरण विभाग में चर्चा कर रहे हैं तो इसे नम्बर–2 पर लें । पहले जो हमने पूछा है उसे बता दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य की लखनऊ के बारे में चिन्ता है, मैंने लखनऊ के एअर पालुशन और उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, इससे अवगत कराया । वाटर पालुशन के बारे में मैंने बताया और मैंने कहा कि वह दिन मेरे लिये सबसे खुशी का दिन होगा जब लखनऊ की सड़कों पर इलेक्ट्रिक की बसें चलेंगी और दुपहिया वाहन बन्द होंगे । रायबरेली का मामला है, तो मैंने कहा किसी भी सदस्य से, वह मेरा सहयोग करें और बतावें कि फलां जगह पर प्रदूषण हो रहा है । मुझे एक माननीय सदस्य ने अवगत कराया तो मैंने उसी दिन सैम्पिुल एकत्र कराया ।

श्री प्रमोद कुमार–

एक महीने के अन्दर, आप निर्देशित कर दें, रायबरेली चीनी मिल से जो पानी निकलता है वह न छोड़ा जाये और आई०टी०आई० को भी निर्देशित कर दें कि रंग वाला पानी न छोड़ें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, हम एक विषय ले रहे हैं और माननीय मंत्री जी उस विषय से हटकर बात कर रहे हैं । हम उद्वेलित महसूस करते हैं और हम लोग इनहेल कर रहे हैं । वर्तमान पीढ़ी के लिये मैं चिन्तित हूं

और आप गम्भीरता को कम कर रहे हैं और अगर कम करते हैं तो मैं आक्रोश प्रकट करते हुए सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट जाने के लिये तैयार हो गये)

मैं कभी उद्वेलित नहीं होता लेकिन जिस तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, वर्तमान पीढ़ी को जिन्दा रहने का प्रश्न है।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसको स्वीकार करने में हमें किन्चित मात्र सन्देह नहीं है। माननीय सदस्य तिपहिया वाहन का जिक्र कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपने नाले के बारे में बता दिया और पेय जल के बारे में बता दिया। तिपहिया वाहनों के बारे में भी जिक्र कर दें।

(श्री प्रमोद कुमार के कुछ कहने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

आप सब ले लें। (उनकी ओर देखकर)

(एजेन्डा की प्रतियां मा० प्रमोद कुमार की ओर फेंकी)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गौरी शंकर एडवोकेट जी, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

इस विषय को इतना लाइट करने की क्या आवश्यकता है। फिर आप कहेंगे कि आर्टिकल 19 को कोड कर रहे हैं। आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ के बारे में बात करें। सदन छूटेगा तो आप सीधे अपने यहां तो चले नहीं जायेंगे, लखनऊ में रहेंगे।

श्री बाबू राम यादव–

जो अन्याय हो रहा है उससे मा० गौरी शंकर एडवोकेट दुखी हैं। आपको गौरी शंकर एडवोकेट जी पर प्रसन्न होना चाहिये कि एजेन्डा आपकी ओर न फेंककर प्रमोद कुमार जी की ओर फेंक रहे हैं। जो बिन्दु उन्होंने उठाया है उसका उत्तर प्राथमिकता से दिलवा दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा प्रश्न फिर भी है।

श्री बी० आर० वर्मा–

लखनऊ के बारे में माननीय गौरी शंकर एडवोकेट जी ने जो सूचना दी है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

उनकी ही सूचना के बारे में नहीं हमारी भी।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं नहीं चाहता किसी माननीय सदस्य पर मैं आक्षेप करूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय प्रमोद कुमार जी आप भी कृपया शांत रहें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले नियम 300 लिया जाता है, और उसके बाद नियम 56 लिया जाता है। तो मैंने नियम 300 के अन्तर्गत दी है इसलिए मेरी लीड हुई। इनकी कहां से हुई।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैंने नियम 300 में दिया, 311 में दिया और उसे 56 में कनवर्ट कर दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अभी कई बातों पर सदन में चर्चा होनी है।

(व्यवधान)

श्री अमर मणि–

माननीय सदस्य कितना उद्वेलित हो रहे हैं। [× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह आक्षेपात्मक बात है किसी माननीय सदस्य के प्रति ऐसी टिप्पणी न करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मुझे हंसी आती है और आप पर तरस आता है। मैं ऐसी कोई बात माननीय सदस्य के लिए नहीं कहूंगा मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनका सीवर ठीक नहीं हैं, उसे ठीक करा दें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, इनका सीवर चोक हो गया है। (व्यवधान) मुझे अपने सीवर की परवाह नहीं है, मैं पूरे लखनऊ के सीवर की बात कर रहा हूं। इसे हास-परिहास में न लें। एक गम्भीर मामला है पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इस पर थोड़ा गम्भीरता से सोचें। इनको पब्लिक की चिन्ता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जनता के जिस गम्भीर प्रकरण को माननीय गौरी शंकर एडवोकेट जी ने उठाया है, उसे हम सबको गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है इसमें लखनऊ वाले ही नहीं बल्कि जो बाहर से लखनऊ आते हैं सबसे सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह जो पेपर मेरी तरफ फेंके हैं इनका क्या होगा ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

आपकी वाक्पटुता और आपके लम्बे भाषण देने की क्षमता को हम जानते हैं पर इस गम्भीर प्रकरण को ऐसे ही न लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, कि आपस में बात न करें सदन की कार्यवाही चलने दें ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

आप अनुमति किसको दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को अनुमति दी है किसी को बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं हैं

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

[× × ×]

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

[× × ×]

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस गम्भीर प्रकरण की तरफ, तिपहिया वाहनों की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है, यह सही है कि एक भारत सरकार का उपक्रम है जो इनको बनता है । इसमें 2 स्ट्रोक इंजिन लगा होता है जिसकी वजह से अनबर्न फ्यूल निकलता है जो ज्यादा हानिकारक है । इसके लिये हमने जो यह फैक्टरी है जो यह तिपहिया वाहन बनाती है, उसका परीक्षण करा रहे हैं कि जो नया इंजिन निकला है, उसकी क्या स्थिति आ ही है ? यदि ऐसी फैक्टरी को बन्द करने की जरूरत पड़ेगी लखनऊ के प्रदूषण को रोकने के लिये, तो यह सरकार फैक्टरी को बन्द करने से नहीं हिचकेगी । यही नहीं उत्तर प्रदेश ने 3 फैक्टरियों को डाला, चुर्क, चुनार जब उनका प्रदूषण लाइलाज हो रहा था, उनको बन्द करने

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

का आदेश दिया । ऐसा नहीं है कि कहीं किसी स्तर से शिथिलता है या प्रदूषण के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है । सरकार इसमें तत्परता के साथ कार्यवाही कर रही है ।

जहां तक माननीय सदस्य ने पानी न मिलने की बात कही है, मैं बताना चाहूंगा कि गर्मी में जो वाटर टेकिंग प्लेस है, वहां अप स्ट्रीम में गिरने वाले नालों के डाउन स्ट्रीम में कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कभी कभी पानी में डिजाल्व्ड आक्सीजन की स्थिति बन जाती है और डिजाल्व्ड आक्सीजन की मात्रा पानी में घट जाती है । जब डिजाल्व्ड आक्सीजन की मात्रा पानी में घट जाती है तो पानी में रहने वाले जीव जो हैं, मछली या दूसरे जीव जो हैं, उनके सांस लेने में बाधा आती है । और वो कभी-कभी यह भी खबरें मिलती हैं कि वह मारे जा रहे हैं । आज जो माननीय सदस्यों द्वारा पीने के पानी के बारे में बताया गया । पानी को साफ करके उसें आक्सीजन डायल्यूट करके लोगों को पीने के लिये उपलब्ध कराया जाता है । कहीं-कहीं ऐसी शिकायत मिलती है । सीवर लाइन और वाटर सप्लाई लाइन एक साथ हो जाती है और उनकी हालत इतनी जर्जर हो जाती है उसके कारण जब वाटर सप्लाई लाइन में पानी प्रवेश कम होता है तो सीवेज का पानी उसमें चला जाता है । इस पर भी नगर विकास विभाग और प्रदूषण विभाग अपने वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही कर रहा है ताकि लखनऊ वासियों को शुद्ध पानी मिल सके । जहां तक माननीय सदस्यों ने रेजीडेंस के बारे में बताया कि पानी सही नहीं मिल पा रहा है ।

मैं इसे संज्ञान में ले रहा हूं और हमारी यह कोशिश रहेगी कि माननीय सदस्यों को ही नहीं, लखनऊ के हर नागरिक को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके । जहां तक प्रमोद कुमार जी ने दो फैक्टरियों के बारे में बताया । उसके बारे मैं पूरी जानकारी हासिल करूंगा कि वह प्रदूषण के मानक को नहीं प्राप्त कर रही हैं तो जैसा कि इन्डस्ट्रियल ग्रोथ और प्रदूषण दोनों के बीच में बैलेन्स रखने का जो कार्य है, उसको देखेंगे अगर यह मानक को नहीं एचीव करती हैं और प्रदूषण निकलता है तो एक महीने के अन्दर कर देंगे चूंकि प्रोसेस में समय लगता है । सैम्पल लेकर उसकी जांच कराई जाती है पर नोटिस दी जाती है तो इस प्रोसेस में जितना समय लगेगा, उससे एक दिन ज्यादा नहीं लगाऊंगा और आपको निश्चित रूप से बता दिया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक महीना 16 दिन ही बचे हैं सरकार में ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आप एक महीने का समय कह रहे हैं मैंने बताया कि चूंकि प्रोसेस है, उसके अनुसार समय लगेगा परन्तु फिर भी एक महीने से पहले कार्यवाही करवायेंगे । जहां तक चिन्ता है ग्रीन बैल्ट या लैंड यूज के बारे में हैं । तो जहां कहीं भी वह किसी परपज के लिये है और काम दूसरे परपज में आ रही है तो इसको हम दिखवा लेंगे । इन्होंने पूरे लखनऊ के बारे में कहा है । हम जानकारी हासिल कराने के बारे में कोशिश करेंगे, प्रभावशाली कार्यवाही करेंगे कोशिश करेंगे । जो जिस के लिये आरक्षित है उसका उसी के लिये उपयोग हो ताकि लोगों को क्लीन लखनऊ और ग्रीन लखनऊ का जो स्लोगन है, उसका पूरा लाभ मिल सके । इसके लिये सरकार सचेष्ट है । हमारी कोशिश है कि लखनऊ के साथ-साथ पूरे प्रदेश के प्रदूषण को रोक कर अच्छा पर्यावरण इस प्रदेश और प्रदेश के लोगों को मिल सके । नियम 56 के अन्तर्गत लोक महत्व का तो है लेकिन तात्कालिकता नहीं है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था माननीय .....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद यह सूचना नियम 56 में नहीं आती इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री संजय सिंह की मुज्जफरनगर में बाढ़ से हुई तबाही के संबंध में है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय मंत्री जी ने न कोई समय ही बताया कि कब तक कर देंगे। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट सदन त्याग कर चले गये)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री संजय सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक लाख लोग जो बाढ़ से घिरे हैं, के बारे में शासन का ध्यान दिलाने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरा चुनाव क्षेत्र मोरना जिला मुज्जफरनगर है। वहां पर सोलानी नदी ने तबाही मचा रखी है। एक लाख से अधिक लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आने जाने का कोई साधन नहीं है। दो पुल टूट गये हैं और आज स्थिति इतनी गम्भीर है कि अगर किसी का बच्चा बीमार हो तो अस्पताल ले जाने का रास्ता भी उनके पास नहीं है।

[समय 3 बजकर 05 मिनट]

मान्यवर, बाढ़ वहां हर दफा आती है और इसीलिए मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है कि उन्हें यह जानकारी थी। बाढ़ आ गई उसमें एक लाख की आबादी की और उनके पशु उसमें घिर गए। बाढ़ सूखे की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बैठकर निर्णय लिया गया और जो निर्णय लिये गए उसमें किसी पर भी अमल नहीं किया गया। फालतू पानी को और उस नदी में डाल दिया गया। बाढ़ में एक लाख लोग घिर गए दोनों पुल टूट गए हैं 13 तारीख को तांडव शुरू हुआ उसमें आज 5 तारीख की खबर है कि नाव तक का इंतजाम वहां नहीं किया गया है जिसकी वजह से जो बीमार लोग हैं, या सामान आदि आने वाला था उस एरिये में उसका प्रबन्ध नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर अगर एक इन्काउन्टर कर दिया जाए तो उसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमें चलाए जाते हैं क्या यह अपराधिक कार्य नहीं हुआ कि पहले मीटिंग हुई और उसके बाद नाव का भी इन्तजाप नहीं है और ऊपर से नदी में फालतू पानी भी डाल दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री संजय सिंह–

वहां से कोई इंतजाम नहीं हुआ है लोग मर रहे हैं अधिकारियों की वजह से, तो ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो ताकि लोगों का जन-जीवन सामान्य हो सके।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, बाढ़ की जिस सूचना के बारे में माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है उसके बारे में सरकार सचेष्ट है और यह 15 दिन तक चिन्हित करेंगे। बाढ़ से बचाव के लिये व्यवस्था की गई है। चाहे वह खाली बोरियां हों, चाहे लट्ठे हों जिस भी सामग्री की आवश्यकता होती है, बाढ़ को रोकने के लिये वह किया जाएगा। जिस सोनाली नदी के बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की, इसमें जो

बाढ़ से बचाव के उपाय हैं उनकी त्वरित गति से संचालित किया जा रहा है । बाढ़ से बचाव के उपाय में तत्परता बरती जा रही है । यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है ।

श्री अधिष्ठाता–

संजय सिंह चौहान और संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं यह नियम–56 में नहीं आती है ।

अगली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राजाराम पाण्डेय, श्री रामपाल राजवंशी की सूचना है इन्होंने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की भांति समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के प्राथमिक विद्यालयों तथा अरबी फारसी मदरसों की प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना में शामिल किये जाने के संबंध में सूचना दी है । सुबाष जी आप बोल लें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरी सूचना एक बहुत बड़े अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर आधारित है । 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने पूरे मुल्क में शुरुवाती तालीम की कक्षाओं में मध्याह्न भोजन सर्वसुलभीकरण शुरूआत की प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र सरकार मध्यान भोजन योजना शुरू की और मध्याह्न भोजन योजना के उसी कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहां चालू किया अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस योजना का मकसद प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना था और विद्यालयों में विद्यार्थी अधिक समय तक रुक सकें इसलिए भारत सरकार ने यह योजना चलाई थी । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को अब तक केवल परिषदीय विद्यालयों में ही लागू किया । जबकि इस योजना का ही लाभ सभी प्राथमिक विद्यालयों को मिलना चाहिये । भारत सरकार के दिशा निर्देशों को मैं यहां पर पढ़कर बताना चाहता हूं । इस कार्यक्रम के संबंध में भारत सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिया है । दिनांक 30 अगस्त 1995 के एक शासनादेश में क्रियान्वयन संबंधी भारत सरकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । इस कार्यक्रम में प्रत्येक विकास खण्डों में स्थिति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायिक प्राथमिक विद्यालयों एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों को भी शामिल किया गया है ।

सरकारी सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों की प्राथमिक कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को भी इसमें 1-4-96 से शामिल किए जाने का निर्णय किया गया है । भारत सरकार के दिशा निर्देश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत दिनों एक शासनादेश जारी किया लेकिन यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि यह सरकार जो दलितों के उत्थान और बहुजन हिताय की बात करती है वह प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त सभी प्रा० विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं दे रही है । जो उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ आबादी में 43 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनमें दलितों की ही बहुतायत है । उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने की नीयत से ही केन्द्र सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है वह परिषदीय विद्यालयों के अलावा न तो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों को और न ही सहायता प्राप्त जो अरबी फारसी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को आज की तारीख तक मध्याह्न भोजन की इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है । यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है । हमारे जनपद देवरिया में जितने सहायता प्राप्त अरबी, फारसी मदरसें हैं तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जितने प्राथमिक विद्यालय हैं आज तक वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मध्याह्न का भोजन नहीं दिया जा रहा है । भारत सरकार ने इस बात का इन्तजाम किया है कि अगर विद्यालयों में छात्रों की 80 प्रतिशत उपस्थिति रहती है तो वहां पर छात्रों को 3 कि०ग्राम गेहूं और चावल दिया जायेगा । इस योजना में खाद्यान्न केन्द्रीय सरकार प्रदान कर रही है । फिर भी दलित हिताय तथा बहुजन हिताय की बात करने वाली प्रदेश सरकार दलित तथा

अल्प संख्यक परिवारों के छात्रों को ही इस योजना का लाभ नहीं दे रही है । कहा तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए–कहा मयस्सर नहीं चराग शहर के लिए ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जितने भी सहायता प्राप्त अरबी और फारसी मदरसे हैं उनमें कक्षा एक से कक्षा पांच तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है और शासनादेश में जिसका जिक्र किया गया है के तहत एक अप्रैल, 1996 से इन सभी स्कूलों को शामिल कर लिया गया है उनमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शासनादेश के तहत लागू कर दी गई हैं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

जनपद देवरिया में जो सहायता प्राप्त अरबी फारसी विद्यालय हैं उनमें आज की तारीख तक मिड डे मील नहीं मिल रहा है, जो जनपद के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 47 अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय हैं मैं शपथ-पूर्वक कहना चाहता हूं कि वहां आज तक खाद्यान्न नहीं मिल रहा है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो जबाव दे रहे हैं वह जबाव इस सदन को गुमराह करने वाला है । जब मैं स्पष्ट तथा पुष्ट सूचना दे रहा हूं तो अधिष्ठाता महोदय, कृपया आप इस पर निर्देश दें कि वह इसका जबाव दें ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

अगर मेरी बात गुमराह करने वाली लग रही है तो नियमों में व्यवस्था है उसके तहत सूचना दे दें, उसके हिसाब से कार्यवाही चलेगी । मैं जो बोल रहा हूं रिकार्ड के आधार पर बोल रहा हूं ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो प्राथमिक स्कूल चलते हैं, उन विद्यालयों को मिल रहा है या नहीं, इसकी सूचना दिलवा दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी दे दी उसमें यह बताया कि जो शासनादेश है उसके तहत मध्याह्न भोजन 1 अप्रैल, 1996 से जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, अरबी फारसी मदरसे और जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विद्यालय हैं, इस तरह के सभी विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है । मेरी जानकारी के अनुसार वहां मध्याह्न भोजन मिल रहा है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं स्पैसिफिक सूचना दे रहा हूं कि वहां मिड डे मील नहीं मिल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप दूसरे नियम में सूचना दे दीजिये ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान के मध्य श्री अम्बिका चौधरी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपके उप नेता की बात आ गयी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जब एक निश्चित सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह रहे कि वहां मिल रहा है तो इसकी जांच करा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग स्थान ग्रहण करिये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका परीक्षण करा लेंगे अगर नहीं मिल रहा होगा तो उसके हिसाब से कार्यवाही होगी ।

माननीय सदस्य सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव को एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं निजी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं कि देवरिया जनपद में मध्यान्ह भोजन नहीं मिल रहा है, उस पर माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सत्य से परे है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप दूसरे संगत नियमों में दे दीजियेगा ।

अगली सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह एवं श्री विजेन्द्र आर्य की प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रवेश की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है । प्रदेश के लाखों नौजवानों, छात्रों से भविष्य से जुड़ा प्रश्न है । हमारा सौभाग्य है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, जिनके विभाग से यह विषय संबंधित है । आज उत्तर प्रदेश के अन्दर लाखों छात्र ऐसे हैं, जो विश्वविद्यालय के अन्दर, महाविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है । हमारी यूनिवर्सिटीज के अन्दर, डिग्री कालेजों में सीटों की संख्या अत्यधिक कम होने के कारण आज लाखों विद्यार्थी दर-दर भटक रहे हैं, वह अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं, लेकिन सीटों की संख्या कम होने के कारण प्रवेश से वंचित हैं । मान्यवर, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और इन्टर पास करने वाले छात्रों की संख्या बराबर बढ़ रही है । आवश्यकता इस बात की है कि सभी छात्रों को पढ़ने का अवसर मिले । यह सरकार सभी को रोजगार तो दे नहीं सकती, कम से कम उनको पढ़ने का मौका तो देना ही चाहिये ।

जो नौजवान उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनको पढ़ने का मौका मिले, यह सरकार का दायित्व बनता है । आवश्यकता इस बात की थी कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाये, महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सीटों की संख्या में वृद्धि की जाय, साथ ही ईवनिंग क्लासेज शुरू की जायें जिससे दो पालियों में पढ़ाने की व्यवस्था की जाय । लगभग प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के अन्दर सीटों की संख्या में कटौती हो रही है । पिछले 10 वर्षों में इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में देखें तो जो संख्या 87–88 में थी, वह अब घटकर आधी रह गई है और कहा यह जाता है कि इससे क्वालिटी कन्ट्रोल होगा । ज्यादा छात्र पढ़ेंगे तो अच्छी पढ़ाई नहीं होगी । मान्यवर, स्नातकोत्तर क्लासेज जैसे एम०एस-सी०, एम०ए०, इनकी सीटों की संख्या काफी घटा दी गई है । जो छात्र बी०ए०, बी० काम०, बी०एस-सी० पास करके जाते हैं, जो इस वर्ष बोर्ड आफ हाई स्कूल–इन्टरमीडिएट का रिजल्ट निकला है, उसके हिसाब से काफी बड़ी संख्या में छात्र अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण हुये हैं, लेकिन जितनी डिग्री कालेजेज में सीटें उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से 5 लाख छात्र ऐसे हैं, प्रवेश से वंचित रह जायेंगे ।

दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि आज प्रवेश परीक्षा के नाम पर छात्रों का शोषण हो रहा है । पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालयों के अन्दर प्रवेश परीक्षा लागू कर दी गयी है, इसलिये लागू कर दी गई कि इससे अच्छे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया जायेगा, जो अपेक्षाकृत कमजोर हैं, उनको वंचित किया जाय । इसकी वजह से विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । प्रवेश परीक्षा के नाम पर

अपने चहेतों को प्रवेश दिया जा रहा है। जो छात्र ग्रामीण अंचल से आते हैं, जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, सोर्स सिफारिश नहीं है, प्रोफेसर–वाइस चांसलर से रिश्तेदारी नहीं है, उनका अच्छे नं० होने के बावजूद भी प्रवेश नहीं हो रहा है। पहले मेरिट के आधार पर छात्रों का प्रवेश होता था, अगर किसी को कोई शक होता था तो वह अपनी बात कह सकता था।

लेकिन आज कितनी विडम्बना है कि कोई छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका भी नहीं देख सकता है। जो छात्र विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल हासिल किये, यदि वही विश्वविद्यालय में ऐसे विषय में प्रवेश लेना चाहता है तो वह भी प्रवेश परीक्षा में बैठे, उसका भी देखा जायेगा कि तुम प्रवेश के लायक हो या नहीं? जिसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किये, जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया यदि उसका प्रवेश नहीं होगा तो फिर कौन प्रवेश के योग्य होगा। आज आधे घन्टे की प्रवेश परीक्षा ली जाती है और आब्जेक्टिव टाइप के 50-100 प्रश्न पूछे जाते हैं, न इसमें कोई रिकार्ड है, न कोई जवाबदेही है, इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उस विषय से कोई संबंध नहीं होता।

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक प्रवेश परीक्षा में एम०एस० नम्बूदरीपाद का नाम क्या है यह पूछा गया है और एक और विश्वविद्यालय में पूछा गया कि शबाना आजमी की पहली पिक्चर का क्या नाम है तो यह हालत है? मान्यवर, ऐसे-ऐसे विद्यार्थी जिनके 70–75 प्रतिशत मार्क्स हैं और जो योग्य है जिन्होंने तीन वर्षों तक की परीक्षा पास की है योग्य अध्यापकों द्वारा उनकी पुस्तिकाओं का वैल्यूएशन किया गया। अगर 85 प्रतिशत मार्क्स पास कर वह उत्तीर्ण हो गया उसके बाद वह कहता है कि मैं इसी विषय में प्रवेश लेना चाहता हूं तो उससे कहा जाता है कि पहले प्रवेश परीक्षा में बैठो।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह बड़ा भ्रष्टाचार है इस भ्रष्टाचार के चलते कोई गांव का आदमी, गरीब आदमी जिसकी जानपहचान विश्वविद्यालय में नहीं है वह प्रवेश नहीं पा सकता है।

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है, तात्कालिक प्रश्न है क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों में यह समस्या चल रही है, प्रवेश चल रहे हैं इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसे ग्राह्य करें। माननीय मंत्री जी बैठे हैं कह देंगे कि इसको अग्राह्य करें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रवेश परीक्षाओं के ऊपर अंकुश लगाया जाय और महाविद्यालयों में 2 पालियों की पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की पढ़ाई हो सके।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें, आपका नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं है।

श्री राजपाल सिंह–

मान्यवर, जिस विषय को माननीय समरपाल सिंह जी ने उठाया यह विषय बड़ा तात्कालिक है। आज बड़ी पीड़ा होती है कि जब एक ऐसी सरकार इस प्रदेश में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलने की बात करती थी। मान्यवर, उनका एक ही मूल मंत्र था उसमें तीन भाग थे उसके पहले हिस्से पर उन्होंने बल दिया था उन्होंने कहा था शिक्षित बनो फिर संघर्ष करो और संगठित हो जाओ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें।

श्री राजपाल सिंह–

मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार शिक्षा के नाम पर असफल हो रही है। मान्यवर, कितने खेद का विषय है कि जितना इस प्रदेश में रहने वाले दलितों, पिछड़ों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उत्थान की बात यह सरकार करती है लेकिन उनका कोई भला नहीं कर रही है। सबसे पहले डा० अम्बेडकर ने कहा था कि सत्ता की आजादी के बाद एक और ऐसी लड़ाई हमको लड़नी होगी उसको लड़ने के लिए सबसे पहले हमको शिक्षा पर बल देना होगा और समाज को शिक्षित बनाना होगा।

मान्यवर, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन गुणवत्ता के आधार पर एक टेस्ट के आधार पर सीटों को कम कर दिया जा रहा है इसका और भी विकल्प हो सकता था लेकिन अगर सरकार की सोच सकारात्मक होती, सरकार संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठकर समाज के विकास के लिए सोचती तो सब कुछ सम्भव हो जाता। सरकार में बैठे हुए कुछ मिशनरी लोग भी जिनको मैं देख रहा हूं अगर उनकी सोच सकारात्मक हो जाय वह संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर सोचे तो कोई ऐसी वजह नहीं कि इस प्रदेश की शिक्षा के स्तर में सुधार न हो।

छात्र दर-दर भटक रहे हैं जिन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा है। वे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। अगर सरकार की सकारात्मक सोच है तो यह कर लेंगे। इस पर चर्चा करायी जाय।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, प्रवेश की जिस समस्या की ओर माननीय सदस्यों ने शासन का ध्यान आकर्षित किया है मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर वर्तमान भाजपा–बसपा गठबन्धन सरकार शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता के लिये कटिबद्ध है। प्रदेश में कहीं भी सीटें कम नहीं की गई है।

श्री समर पाल सिंह–

मेरे पास निश्चित जानकारी है, मैं कल दे दूंगा।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, गत वर्ष कुछ राजकीय महाविद्यालय खोले गये थे। इस वर्ष भी इस प्रदेश की समस्या के समाधान के लिए, जो भी हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय ईवनिंग क्लासेस खोलने चाहते हैं, हम शासन स्तर पर अनुमति प्रदान करेंगे, जिससे समस्या का समाधान हो सके। आप सुन तो लें, जहां तक ईवनिंग क्लास की व्यवस्था की बात है, उनमें रिटायर्ड टीचर्स के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था रहेगी। मान्यवर, चार महीने के अन्दर हमने 140 महाविद्यालयों को नये विषय खोलने के लिए क्लीयरेन्स दी है। इस वित्तीय वर्ष में 10 नये राजकीय महाविद्यालय खोलने का बजट में प्रावधान किया गया है। मान्यवर, जब तक यहां ओपेन यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तब तक कुछ समस्या है। इसका प्रस्ताव शासन बना रहा है। शीघ्र ही अन्तिम निर्णय उच्च स्तर पर लिया जायेगा।

अशासकीय महाविद्यालय खोलने के लिए पत्रावली आती है, जहां पर औपचारिकतायें पूरी हैं, शासन स्तर से निर्णय लेने में हम देरी नहीं करना चाहते हैं। शासन के पास संसाधन सीमित है। अभी भी समाज में अनेक ऐसे बन्धु हैं जो अशासकीय विद्यालय खोलना चाहते हैं, आप उनसे प्रस्ताव दिलवाये, हम शासन स्तर से अनुमति प्रदान करेंगे। रोजगार की बात उठाई गई, इसके लिए केन्द्र सरकार को पहल करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें कदम उठायेगी। हमने उच्च शिक्षा को रोजगार परख कर निर्णय लिया है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में रोजगार पाठ्यक्रम खोलने की अनुमति दी जा रही है जिसमें एम०बी०ए०, बी०बी०ए०, होटल मेनेजमेन्ट आदि है। जिसकी शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध बिन्दु उठाया गया है। जब तक हमारी परीक्षाएं ठीक नहीं होंगी, वहां की प्रवेश परीक्षाएं विश्वविद्यालय अपने आप निर्धारित करते हैं.

शासन का हस्तक्षेप नहीं है, सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता की पक्षधर है, मेरिट के आधार पर प्रवेश हो, यह विश्वविद्यालयों का निर्णय है। 1991-92 में मैं उच्च शिक्षा मंत्री था, परीक्षा ठीक हुई थी। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा नहीं हुई थी, केवल मेरिट के ऊपर ही प्रवेश हुआ था। जो छात्र एक बार परीक्षा में बैठकर अच्छे अंक प्राप्त करता है, प्रवेश परीक्षा में भी वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा। और उसके अनुसार उनको प्रवेश मिलेगा। हमारी सरकार कटिबद्ध है कि किसी भी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में प्रवेश ठीक प्रकार से हों में कोई अनियमितता हो या भ्रष्टाचार हो यदि आप शिकायत करेंगे तो उसकी जांच करायेंगे।

मा० सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है प्रवेश के संबंध में तो यह गम्भीर विषय है और शासन स्तर पर हमने कुछ कदम उठाये हैं। इसलिये यह नियम 56 में नहीं आता है और आप इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इवनिंग क्लासेस शुरु करेंगे, तो क्या मंत्री जी अपनी तरफ से छात्रों की समस्याओं को देखते हुए इस दिशा में कुछ निर्देश देंगे कि वे अपने यहां अनिवार्य रूप से इवनिंग में पढ़ायेंगे तथा स्टाफ और वित्तीय व्यवस्था करेंगे ?

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, प्रवेश परीक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कहते हैं कि हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट, यू०पी० बोर्ड में नकल होती है, इसलिये अलग से परीक्षा लेकर प्रवेश देंगे लेकिन अपने ही विश्वविद्यालय में पढ़े छात्रों ने परीक्षा दिया तो क्या उसको भी वह संज्ञान में नहीं लेंगे और प्रवेश परीक्षा लेंगे ? जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेन्ड ईयर, थर्ड ईयर पास छात्र की प्रवेश परीक्षा आधे घंटे में लेते हैं और जब उसमें पास होगा तब आगे उसका प्रवेश होगा। इसलिये क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें यदि कोई छात्र चाहता है तो उसे उपलब्ध करवा देंगे जिससे उसे मालूम हो सके कि उसका प्रवेश क्यों नहीं हुआ ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मा० सदस्य ने दो बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। पहली बात तो विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, इसलिए प्रवेश परीक्षा तथा पाठ्यक्रम क्या हों यह तय करना उनका अधिकार है। लेकिन कोई भी अनियमितता की शिकायत के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे तो हम कार्यवाही करेंगे।

मा० सदस्य ने इवनिंग क्लासेस के बारे में कहा तो विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय की तरफ से शासन के पास कोई प्रस्ताव भेजेगा तो हम उस पर सकारात्मक विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और मा० मंत्री जी को सुनने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए इसे हम अग्राह्य करते हैं।

पांचवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल जी की है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के पूर्व समरपाल जी ने प्रवेश संबंधी प्रस्ताव पर बोलते हुए उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के कर्मचारी

---

[1] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालयों में जहां भी मेरे समक्ष अनियमिततायें आयी हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें आयी हैं तो उनमें जांच के आदेश दिये हैं । मान्यवर,मैं स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा करती गयी अनियमितता के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया हूं । स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय की जो इक्जेक्यूटिव काउंसिल एथारिटी है वह यू०पी० यूनिवर्सिटीज ऐक्ट 1973 से गवर्न होती है और जो अधिकार इक्जेक्यूटिव काउंसिल को होते हैं उसके संबंध में मैं मेरठ यूनिवर्सिटी हैन्डबुक 1977-78 के वाल्यूम–1 की धारा 21(1) को पढ़ना चाहता हूं–

"दि एक्जेक्यूटिव काउंसिल सैल बी दि प्रिन्सिपल एक्जेक्यूटिव बाडी आफ दि यूनिवर्सिटी, एण्ड सबजेक्ट टू दि प्रोविजन्स आफ दिस ऐक्ट हैव दि फालेविंग पावर, नेमली"

मान्यवर, बहुत से पावर हैं । लेकिन महत्वपूर्ण बजट के संबंध में है–

"टू प्रिपेयर दि बजट आफ दि यूनिवर्सिटी" अर्थात् विश्वविद्यालय का बजट एक्जेक्यूटिव काउन्सिल के समक्ष बिना रखे हुए नहीं बनाया जा सकता है । 1995-96 व 96-97 के बजट को बिना एक्जेक्यूटिव काउन्सिल में रखे , उसे प्रस्तुत कर दिया । 24 महाविद्यालयों जिनके पास कक्ष नहीं थे, उचित भवन नहीं थे, उनको बिना एक्जेक्यूटिव काउन्सिल में रखे वाइस चान्सलर ने मान्यता प्रदान कर दी । इसी प्रकार मोदी मैनेजमेंट की शिकायत है । इसमें तो प्रारम्भ में ही एक्जेक्यूटिव काउन्सिल में अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं 23-6-97 को एक आडीटर नियुक्त किया गया परन्तु उसको भी सहयोग नहीं दिया गया । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । क्योंकि इन विद्यालयों से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । जिसका कुलपति ही इस तरह से भ्रष्टाचार व कदाचार में लिप्त हो तो वहां से तामील लेने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा ? तमाम भ्रष्टाचार के आरोप मेरठ यूनीवर्सिटी के वाइसचान्सलर के खिलाफ है इसलिये यह अविलम्बनीय के साथ-साथ तात्कालिक भी है । इसलिये इसे आप कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करें । क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अभी पूर्व में कहा कि जहां-जहां से भी अनियमितताओं की शिकायतें आयेंगी, हम उन पर जांच करायेंगे और दोषी लोगों को दण्डित भी करेंगे जब माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे तो वह यह बतायें कि इन अनियमितताओं के संज्ञान में आने के बाद वह इस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, हमारे विद्वान साथी ने मेरठ विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की तरफ नियम 56 के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया है । मैंने पूर्व में ही कहा कि हमारी सरकार के प्रदेश में आने के बाद जहां कहीं भी भ्रष्टाचार व अनियमितता की शिकायत हमारे संज्ञान में आयी है उसे हमने बर्दास्त नहीं किया है । विश्वविद्यालयों के बारे में अनेक स्थानों पर शिकायतें मिली है उसी दृष्टि से शासन ने अनेक स्थानों पर कठोर कार्यवाही भी की है और जांच के आदेश भी दिये हैं । लखनऊ विश्वविद्यालय का उदाहरण भी दिया गया है । वहां पर शासन ने जो कार्यवाही की उससे सभी माननीय सदस्य अवगत हैं । मेरठ विश्वविद्यालय के बारे में अनेक गम्भीर शिकायतें मिलीं । इसके लिए 15 जुलाई, 1997 को महामहिम कुलाधिपति जी ने यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1973 की धारा 12(12) के अन्तर्गत एक वरिष्ठ आई०ए०एस० अधिकारी श्री वी० के० चानना, जो अध्यक्ष, शुगर कारपोरेशन भी हैं, उनकी अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गई है मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि ज्यों ही शासन को उनकी रिपोर्ट मिलेगी, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी । यही नहीं मान्यवर, विभिन्न श्रोतों से जहां से भी हमें अनियमितताओं की शिकायत मिली है, उन्हें हम उनको संदर्भित करेंगे, जिससे की पारदर्शिता आये । यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये इसे अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री पाल जी व माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं ।

इसके बाद पांच सूचनायें हैं । सभी माननीय सदस्य इसे जानते हैं कि उन पर ग्राह्यता पर नहीं सुना जाता है, उन पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । पहली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की आरा मशीनों के बारे में सूचना है । यह विषय है तो बहुत महत्वपूर्ण यदि आप कहें तो मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर देता हूं । क्योंकि आज लगभग 7 विभागों के बजट हैं और एक विधेयक भी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री वी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह विचाराधीन नहीं है इसमें न्यायालय में फैसला हो चुका है । इसमें सर्वोच्च न्यायालय में यह फैसला हुआ है कि वनों की अवैध कटान को रोकने के लिये जो अवैधानिक रूप से मशीनें चल रही थीं उसको रोका जाय । जो वैध रूप से मशीनें चल रही थीं उनको रोकने के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दिये हैं । वन अधिकारियों ने आदेश दिये हैं कि जितनी भी मशीनें चल रही हैं फैक्टरियों में उन सबको रोक दिया जाय । मान्यवर, यही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है । मान्यवर, एक निवेदन करना चाहूंगा कि वनों की अवैध कटान को रोकने के लिये न्यायालय ने आदेश किया था कि 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाली अवैध मशीनों को रोका जाय । इसमें लाइसेंस जिन मशीनों को मिला है उन्हें न रोका जाय । और जो लाइसेंस शुल्क जमा करती रही है और किन्हीं कारणावश उनको लाइसेंस नहीं मिल पाया उनको भी न रोका जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आपकी बात आ गई है अब आप समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आज इस कारण से जो फैक्टरियों में काम करने वाले लोग हैं वह भुखमरी की कगार पर आ गये हैं उनको रोटी नहीं मिल रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

इसी कारण से आज आम खराब हो गया है क्योंकि लकड़ियों के बिना पेटियां नहीं बन पाई । तो आज यह उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसको लागू करवायें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय वर्मा जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री मित्रसेन यादव, श्री पारसनाथ यादव व श्री श्यामलाल रावत की है । श्री अम्बिका चौधरी जी कृपया संक्षेप में अपनी दो तीन मुख्य बात कहें मैं इसे ग्राह्यता पर नहीं सुन रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है । मैं आपकी आज्ञा से संक्षेप में ही रखूंगा । मान्यवर, बलिया जनपद में भीमपुरा थाने के सिपाही थाने के सामने बेरियर लगाकर रास्ते में आने जाने वाले ट्रकों को रोककर हिन्दू जागरण मंच की रसीद काटकर लोगों से पैसा ले रहे हैं मैं रसीद की फोटो कापी लाया हूं । मान्यवर, वह लोग 100/- रुपये की रसीद काटकर लोगों से पैसा ले रहे थे । मान्यवर, 19 जुलाई को ड्राइवर राम बचन यादव आया .....

श्री अध्यक्ष–

उल्लेख इसमें नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह तो पृष्ठभूमि है । तो उससे पैसा मांगे और रसीद काट दी । उसने यह कहा कि मैं सरकारी चुंगी देता हूं और यह हिन्दू जागरण मंच की रसीद का पैसा नहीं दूंगा । तो सिपाहियों ने उसे मारा पीटा और फिर थाने ले गये । वहां पर थानाध्यक्ष ने खूब मारा पीटा जिससे वह बेहोश हो गया । जब पुलिस अधीक्षक के यहां जाकर प्रार्थना-पत्र दिया गया तो उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई । फिर हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्व मंत्री श्री शारदानन्द अंचल पुलिस अधीक्षक से मिलने गये तो वह छुट्टी पर थे अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थना सुनी परन्तु एफ०आई०आर० नहीं लिखी और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर किया और यह भी कहा कि जब पुलिस अधीक्षक आयेंगे तब थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, हमने 23 जुलाई को वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग की और यह आग्रह किया गया कि 4 अगस्त तक कार्यवाही करा दें नहीं तो हम भीमपुरा थाने का घेराव करेंगे । मान्यवर, 23 जुलाई से 4 अगस्त तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । जैसे कि पूर्व सूचना थी तो एक धरना शांतिपूर्ण ढंग से भीमपुरा थाना के सामने चल रहा था और जो वहां के थानाध्यक्ष हैं, जवाहर सिंह हैं । थानाध्यक्ष ने पहले धमकाने का प्रयास किया मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार संवेदनशील तो नहीं है लेकिन मैं सूचना के द्वारा सदन के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां के थानाध्यक्ष का चार बार स्थानान्तरण हो चुका है, लेकिन हिन्दू जागरण मंच के कारण उनका स्थानान्तरण बार-बार रद्द कर दिया जाता है और उनको वहां पर रक्खा गया है । जब नेतागण उनकी धमकियों में नहीं आये और धरने के रूप में बैठे रहे तो उन्होंने अपने दलालों और गुरगों से पथराव कराया और उससे कई लोग घायल हो गये । मान्यवर, धरने का नेतृत्व कर रहे थे, शारदा नन्द अंचल, मो० रिजवी और आद्या शंकर । वह पूरी भीड़ का नियंत्रित करते रहे और किसी प्रकार की शान्ति भंग की अंदेशा नहीं थी, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात वह कहना चाहते थे । लेकिन बिना किसी चेतावनी के या उनको कोई अवसर दिये हुये अनुचित ढंग से दबाने के लिये उन पर लाठीचार्ज किया गया और लाठी चार्ज इसलिये नहीं किया गया कि वह लोग वापस हो जायें उनका पूरा इरादा समाजवादी पार्टी के नेताओं को मारने का था यह सब सरकार के इशारे पर किया गया है ।

इन नेताओं को चोटें पहुंचाई गई हैं और लाठी चार्ज किया गया है । मान्यवर, मो० रिजवी के सिर पर चार चोटें आयी हैं और वह बेहोश हो गये थे । उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शारदानन्द अंचल के भी चोटें आयी हैं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये यह पुलिस फेल हो गई है लेकिन वह वसूली का काम कर रही है और शान्तिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने वालों पर डंडे बरसा रही है । पचासों महिलाओं और बच्चों को चोटे आई हैं । आपका स्पष्ट निर्देश सदन में है कि जहां कहीं भी धरना या प्रदर्शन होगा, वह हमारे लोकतंत्र का अधिकार है और आपने इस सदन में सरकार को निर्देशित किया था कि वह कोई इस संबंध में नीति तय करेंगे तो आप इस मामले में भी निर्देश देने की कृपा करें क्योंकि वहां पर लोकतांत्रिक ढंग से और शान्तिपूर्ण तरीके से धरना या प्रदर्शन हो रहा था । डंडाला और गीडा के

संबंध में जो आचरण रहा है उसी के संबंध में आपने कहा था । शान्तिपूर्ण ढंग से जो धरना दिया जा रहा था उस पर इतनी बर्बरतापूर्वक ढंग से लाठीचार्ज किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, वहां पर तनाव व्याप्त है और लोग आशंकित हैं । बहुत गम्भीर स्थिति है और इसका प्रभाव अगल-बगल के जिलों पर भी पड़ सकता है । अगर यह संदेश वहां तक गया कि वहां पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है । यह सरकार उसको दबाना चाहती है । जब लाठीचार्ज से संतोष नहीं हुआ तो गोलियां चलवाईं गोलियां किसी को लगीं नहीं लेकिन जान लेने का इरादा रहा है । लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है उसके माध्यम से हमने अपनी बात कहने का प्रयास किया है तो हमारी सुरक्षा होने के बजाये हमारे ऊपर लाठियां बरसायी गईं । आप अपना संरक्षण दें ।

श्रीमन्, उन अधिकारियों को संरक्षण देना उचित नहीं है । तत्काल जिम्मेदार थानाध्यक्ष और जो पुलिस अधिकारी, जो वहां थे उनको तत्काल निलम्बित कर दिया जाये । इस जनपद से किसी दूरस्थ जनपद में उन्हें भेज दिया जाये । और आयुक्त स्तर के अधिकारी से इसकी जांच कराई जाये और जिन लोगों को चोटें आई हैं उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाय । और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसकी व्यवस्था की जाये । यह मामला अत्यन्त अविलम्बनीय और लोक महत्व का तात्कालिक और सुनिश्चित घटना से संबंधित है इसलिये इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये चर्चा कराई जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको इस पर कुछ कहना है । मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

श्री डी० आर० वर्मा–

मान्यवर, वहां पर जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा बता दूं । यह 3.30 बजे के करीब की घटना है । दो ढाई हजार लोग इकट्ठा होकर के उपद्रव करने लगे । शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करना, स्वतंत्रता का सबको अधिकार है । लेकिन जब स्वतंत्रता स्वच्छन्दता में बदल जाये और स्वच्छन्दता उग्रता में बदल जाये और दूसरों के लिये हानिकारक साबित होने लगे तो ऐसी स्थिति में अंकुश लगाने की आवश्यकता हो जाती है जब पथराव कर भटनी वाराणसी पैसेंजर को रोका गया और उसके हाउस पाइप काट दिये गये और यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे और वहां पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने की कोशिश विफल हो गई और उनकी बात नहीं मानी और मशाल लेकर आग लगाने वाली सामग्री लेकर जब थाने में घुसने लगे, तब पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया । और उससे भी नियंत्रित नहीं हुये पथराव कर दिया तब पुलिस को मजबूर होकर हल्का सा लाठीचार्ज करना पड़ा । जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं गोली चलाई तो जहां दो ढाई हजार लोग हो और गोली चले उसमें किसी को गोली न लगे यह कैसे हो सकता है ? वहां कोई गोली नहीं चली भीड़ को नियंत्रित करने के लिये हल्का सा बल प्रयोग आवश्यक हो गया था । वहां पर स्थिति नियंत्रण में है कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है इसमें जो चोटें आयी हैं उसमें 16 पुलिस कर्मियों को, 2 होमगार्ड के जवानों को, और एक अपर जिलाधिकारी के ड्राइवर को तथा 9 स्थानीय नागरिकों को चोटे आई हैं जिस रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है, यह नियम 56 में मामला नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री बाबूराम यादव के खड़े होने पर) आपका इसमें नाम नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव--

मान्यवर, सदन को रोज-रोज ऐसे गम्भीर विषयों पर गुमराह किया जाता है। यहां पर कहा जा रहा है कि आग लगाने जा रहे थे आग लगाने की कोई सामग्री वहां से बरामद नहीं हुई। कोई मिट्टी का तेल नहीं बरामद हुआ। पुलिस के खिलाफ कोई बात नहीं हुई और यहां पर सदन को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ढाई हजार आदमी वहां पर इकट्ठा था इन पर लाठी चार्ज किया गया, तमाम लोग घायल हुये हैं और इसे हल्के से लेकर कह रहे हैं कि पुलिस थाने को आग लगाने जा रहे थे। 300 आदमी घायल हुये हैं। [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और उनको अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वहां ढाई हजार की भीड़ थी जब इतनी भीड़ थी तो फिर ट्रेन को आग लगाने का क्या औचित्य था ? संसदीय कार्य मंत्री मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं इसमें जांच कराने की बात है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है। आप इसमें सरकार को जांच का निर्देश दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले आंसू गैस चली फिर हल्का लाठी चार्ज हुआ। मान्यवर, यह चमत्कारी प्रशासन का और इस चमत्कारी सरकार का तर्क हो सकता है। सभी जानते हैं कि पहले हल्का लाठी चार्ज होता है फिर कड़ा लाठी चार्ज होता है उसके बाद आंसू गैस चलाई जाती है और गोली चलाई जाती है। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आपने तो स्वयं कह दिया कि चमत्कारी सरकार है, आपने विशेषण का स्वयं ही प्रयोग कर दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह जो झूठ का क्रम चला आ रहा है इसकी न्यायिक जांच करा दीजिये दूध का दूध पानी का पानी हो जायगा।

(शोर)

श्री बी० आर० वर्मा–

जो आरोप लगा रहे हैं, बेशर्म सरकार वह है जिसने 2 जून जैसी घटना करवाई। बेशर्म सरकार वह है जिसने मुजफ्फरनगर जैसी घटना करवाई।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

2 जून को क्या हुआ था, 2 जून को संसदीय कार्य मंत्री जी के किस अंग पर चोटें आईं और किस हथियार से आयी यह बता दें (शोर)

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया है जिनके विरुद्ध कार्यवाही होनी है होगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

| × × × |

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

| × × × |

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं भुक्तभोगी हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

| × × × |

| समय 4 बजकर 05 मिनट |

(व्यवधान)

श्री सुधाकर सिंह–

| × × × |

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हम प्रश्न करते हैं और सरकार उसका उत्तर इस तरह से दे कि आपने दो जून को क्या किया था आप यह कहते हैं कि इतिहास पढ़ लीजिये । मान्यवर, हमने इतिहास पढ़ा है, हम इतिहास सम्पादित करना जानते हैं इनसे हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री जी जो इस तरह से उत्तर दे देते हैं यह शोभनीय नहीं है । सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुये उत्तर देना चाहिये । दो जून को इनके साथ कुछ नहीं हुआ था ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इतनी बात आपकी सुन ली है अब आप अनावश्यक आग्रह न करें । वैसे मैंने सूचना पर सीधे कह देता कि शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया जायेगा । मैंने चौधरी जी को बोलने की अनुमति दे दी थी । अब कुछ नहीं । अगली सूचना श्री राम सिंह सैनी, श्री अम्बरीश कुमार .....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कम से कम हमारी सूचना पर जांच तो करवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं ।

नोट :– | × × × | यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

(माननीय सदस्यों के वेल में आकर जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सुधाकर सिंह–

आप लोग इस तरह से सदन नहीं चला सकते । वहां पर लोग मारे गये हैं । उन पर लाठी चार्ज हुआ है । सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करे ।

(लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, लैला मजनू की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाये गये ।)

पहली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट की, दूसरी सूचना श्री संजय सिंह चौहान, तीसरी सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राजा राम पाण्डेय, श्री राम पाल राजवंशी, चौथी सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य, पांचवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, छठवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा, सातवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री मित्रसेन यादव, श्री पारसनाथ यादव, श्री श्याम लाल रावत की है, इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आठवीं सूचना श्री राम सिंह सैनी, श्री अम्बरीष कुमार, श्री संजय सिंह चौहान, श्री मुन्ना चौहान, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री राजपाल त्यागी की नवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अब्दुल कलाम, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री राम नरेश यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री राम प्यारे, डा० वकार अहमद शाह, श्री सीताराम निषाद तथा दसवीं सूचना श्री हरि शंकर तिवारी, श्री ओम प्रकाश, श्री प्रमोद कुमार, डा० अशोक बाजपेई, श्री मुन्ना चौहान तथा श्री अम्बरीश कुमार की है । इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये इन सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है और शेष सूचनाओं को निरस्त किया जाता है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने संशोधन का प्रस्ताव रखें ।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

अब मैं प्रश्न रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–10 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है,––

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा।

अध्याय–2

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901 की धारा 5 का संशोधन

2–यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में शब्द "अपीलों, अभिदेशों" के स्थान पर शब्द "अपीलों" रख दिया जायगा।

धारा 8 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द "अपील या अभिदेश", के स्थान पर शब्द "अपील" रख दिया जायगा।

अध्याय 10 के शीर्षक का प्रतिस्थापन

4–मूल अधिनियम में, अध्याय 10 के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रख दिया जायगा, अर्थात्–

"अपील और पुनरीक्षण"

धारा 218 का निकाला जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 218 निकाल दी जायेगी।

धारा 219 का प्रतिस्थापन

6–मूल अधिनियम की धारा 219 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

पुनरीक्षण

"219–(1) परिषद् या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश या की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से उनके द्वारा निर्णीत किसी ऐसे मामले या ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है जिसमें कोई अपील न होती हो या अपील होती हो, किन्तु न की गई हो और यदि ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय ने,––

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं हैं ; या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, जो इस प्रकार निहित है ; या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, तो यथास्थिति परिषद् या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे ।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई आवेदन या तो परिषद् या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया गया है, तो उसी व्यक्ति का कोई और आवेदन उनमें से किसी अन्य के द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

अध्याय—3

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 154 का संशोधन

7—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 154 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण और प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :—

"स्पष्टीकरण :—शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस उपधारा में पद "व्यक्ति" में "सहकारी समिति" भी सम्मिलित होगी और 15 जून, 1976 को सम्मिलित हुई समझी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां संक्रमिती कोई सहकारी समिति है, वहां उसके द्वारा धृत भूमि को, जो उसके सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन समुच्चय की गई हो, उसके द्वारा धृत 5.0586 हेक्टेयर (12.50 एकड़) भूमि की संगणना करने में नहीं लिया जायगा ।"

धारा 333 का प्रतिस्थापन

8—मूल अधिनियम की धारा 333 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

वाद मंगाने की शक्ति

"333—(1) परिषद् या आयुक्त या अपर आयुक्त किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के अभिलेख को, जिस पर उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया हो, जिसमें कोई अपील न होती हो या जहां अपील होती हो किन्तु न की गई हो, में पारित आदेश की वैधता या औचित्य से स्वयं को संतुष्ट करने के लिये मंगा सकता है और यदि ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने—

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है : या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है : या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है :

तो यथास्थिति परिषद् या आयुक्त या अपर आयुक्त बाद में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई आवेदन या तो परिषद् या आयुक्त या अपर आयुक्त को किया गया है, तो उसी व्यक्ति का कोई और आवेदन उनमें से किसी अन्य के द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

धारा 333-क का निकाला जाना

9-मूल अधिनियम की धारा 333-क निकाल दी जायेगी ।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

10-इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 218 के अधीन या उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333-क के अधीन परिषद् को निर्दिष्ट समस्त मामले जैसे कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थे और परिषद् के समक्ष ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विचाराधीन थे, परिषद् द्वारा सुने और निर्णीत किये जायेंगे मानो यह अधिनियम अधिनियमित न हुआ हो ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 10 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–32
चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,07,69,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखे ।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,07,69,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,80,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,80,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,05,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,05,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,30,61,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखे ।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,30,61,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 98,55,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 98,55,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,90,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखे ।

(व्यवधान)

(व्यवधान) कोई मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,90,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,40,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(व्यवधान) कोई मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,40,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,66,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(व्यवधान) कोई मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,66,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,42,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

(व्यवधान) कोई मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,42,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन था बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,22,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

(व्यवधान) कोई मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,22,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,63,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

(व्यवधान)

(व्यवधान) कोई मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,63,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 6-8-97 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनायें प्राप्त हुईं :–

श्री चन्द्रनाथ सिंह एवं श्री राजाराम पाण्डेय	की	जनपद प्रतापगढ़ सीमा प्रारम्भ होने के स्थल से इलाहाबाद–प्रतापगढ़ मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा उक्त मार्ग की मरम्मत के नाम पर कथित रूप से किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।
श्री मुन्ना चौहान	की	प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को किसी अन्य आरक्षित वर्ग से भरने के आदेशों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।
डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई	की	मेरठ जनपद के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु उद्योगपुरम् औद्योगिक स्थान पर दिल्ली, आगरा एवं मथुरा से स्थानान्तरित उद्योगों को एक पैकेज के तहत मेरठ में स्थापित कराये जाने के संबंध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।
श्री बाबू लाल	की	लोअर एवम् अपर आगरा कैनाल तथा माण्ट ब्रान्च की पटरियां टूटने तथा अन्य खामियों के कारण किसानों को पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।
श्री राजाराम पाण्डेय	की	इलाहाबाद क्लाइव रोड स्थित लिटिल फाक्स स्कूल को मध्य सत्र में बन्द कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।
डा० रामबाबू हरित	की	प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के निराकरण के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।
श्री नवाब सिंह नागर	की	जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के नाम पर की गयी धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।
डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"		प्रदेश में उत्तरांचल में भू-खलन तथा अतिवृष्टि से हुई भारी तबाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

श्री संजय गर्ग	वन विभाग के बजट में वनजातियों एवं वनवासियों के बारे में कोई प्राविधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री अम्बरीष कुमार	जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में पचेलो रपटा शीघ्र बनाये जाने के संबंध में ।

श्री लाखी राम जोशी तथा श्री राजेन्द्र सिंह ।	टिहरी बांध विस्थापितों का पुनर्वास कराये जाने के संबंध में ।
श्री अरिमर्दन सिंह	जनपद हमीरपुर के थाना सुमेरपुर अन्तर्गत ग्राम सिमलौली में एक महिला की हत्या किये जाने तथा रिपोर्ट न लिखे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री हरिनारायण	जनपद कानपुर देहात के थाना सजेती के गांव मवई भंछन में श्री अनिल तिवारी के यहां हुई लूटपाट की घटना के संबंध में ।
श्री दीपलाल भारती	नगर पंचायत खड्डा (पडरौना) के पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद पर सामान्य जाति के व्यक्ति के पदस्थ होने के संबंध में ।
श्री धर्मज्ञ मिश्र	हरदोई जिले के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत स्टेट ट्यूबवेल न लगाये जाने से किसानों की भीषण सिंचाई की समस्या के संबंध में ।
श्री चन्द्रमणिकान्त सिंह, श्री अब्दुल कलाम, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री रामप्यारे तथा श्री सरवर अली खां ।	प्रदेश के बहराइच, बस्ती एवं बाराबंकी तथा आजमगढ़ जनपदों में क्रमशः राप्ती तथा घाघरा नदियों में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री मुन्ना चौहान, श्री अम्बरीष कुमार, श्री समरपाल सिंह, श्री रामसिंह सैनी तथा श्री राम नक्षत्र ।	पुरातत्व विभाग द्वारा लखनऊ स्थित परिवर्तन चौक के 'पेन्टागन' को अवैध निर्माण घोषित किये जाने संबंधी आदेश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।
श्री राम खिलाड़ी, श्री राम नक्षत्र तथा श्री ओमकार सिंह	जनपद बदायूं की गुन्नौर तहसील अन्तर्गत ग्राम जुनावई मे ग्राम प्रधान द्वारा भूमि के अवैध पट्टे किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी तथा जन प्रतिनिधियों का समादर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय विधायक द्वारा दी गयी सूचना दिनांक 30 जुलाई, 1997 ...

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

। में जिलाधिकारी, गाजियाबाद श्री नवतेज सिंह के विरुद्ध इन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया था कि गाजियाबाद में नियुक्त जिलाधिकारी या तो गंभीर रूप से बीमार है या असामान्य रूप से निष्क्रिय है,

---

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिसके कारण पिछले 6 माह से अधिक समय से डी० आर० डी० ए० जिला योजना व शिक्षा सलाहकार समिति जैसे प्रमुख समितियों की न तो कोई बैठक हुई और न उनके कार्यों की समीक्षा हो पाई है । मा० मुख्य मंत्री जी के निर्देशों के बावजूद जिलाधिकारी जनता दरबार में भी उपस्थिति नहीं होते हैं, और न ही प्रतिनिधियों व आम जनता से मिलने के लिये उनके पास कोई समय है तथा मा० सांसद विधायकों को वे फोन पर ही मिलने से मना कर देते हैं । जिलाधिकारी एक दिन भी न्यायालय में बैठकर वादों का निस्तारण नहीं करते हैं, जिसके कारण जनता में असंतोष व्याप्त है और न ही विकास कार्यों के भौतिक परीक्षण या समीक्षा बैठकों में ही उपस्थित होते हैं । जनपद में लाइसेंस बनाने हेतु नियुक्त आर्म्स क्लर्क के बजाय जिलाधिकारी ने अपनी एक निजी और गोपनीय व्यवस्था बना ली है तथा वे महिला विरोधी हैं और महिला अधिकारियों को अपमानित करते हैं ।

मा० विधायक के उक्त पत्र के संबंध में आयुक्त, मेरठ मण्डल से आख्या प्राप्त की गई । आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा मामले में जिलाधिकारी, गाजियाबाद श्री नवतेज सिंह से टिप्पणी प्राप्त कर भेजते हुए यह कहा गया है कि श्री नवतेज सिंह गंभीर प्रकृति के नवयुवक अधिकारी हैं तथा अपनी ईमानदारी एवं कर्मठता के लिए प्रसिद्ध हैं । वे सुबह से सायं तक जनता एवं जन प्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए उपलब्ध रहते हैं । जिलाधिकारी द्वारा किसी के साथ अभद्र व्यवहार करने अथवा उनके आचरण एवं व्यवहार के संबंध में भी किसी भी श्रोता से कोई शिकायत नहीं की गई है । आयुक्त ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिलाधिकारी द्वारा व्यवस्था में परिवर्तन किये जाने वाले कार्यों की सराहना की है । अपर परियोजना निदेशक को कार्यमुक्त न किये जाने के संबंध में आयुक्त द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कार्य हित में उन्हें अवमुक्त नहीं किया गया तथा ग्राम्य विकास अभिकरण में परियोजना निदेशक का पद रिक्त चल रहा है । अतः अपर परियोजना निदेश के स्थानान्तरण को निरस्त करने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है ।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद श्री नवतेज सिंह द्वारा यह टिप्पणी दी गई है कि वे पूर्ण रूप से स्वस्थ है और जिलाधिकारी पद से जुड़े समस्त दायित्वों का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं । उनके द्वारा सभी आवश्यक बैठकें नियमित रूप से की जा रही है । तथा जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा भी नियमित रूप से की जा रही है । मा० मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार उनके द्वारा जनता से मुलाकात की जा रही है और शासन के आदेशों के अनुरूप जनता से मुलाकात के दौरान प्राप्त शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवम् नियमित रूप से किया जा रहा है । मा० सांसद, विधायकों को फोन पर तथा उनके आगमन पर पूरी शिष्टता, विनम्रता के साथ उनसे वार्ता की जाती है और उनका हर प्रकार से आदर किया जाता है । वे मा० विधायकों, सांसदों, ब्लाक प्रमुखों जिला परिषद् अध्यक्ष तथा अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों एवं जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं । इस संबंध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा मा० सांसद प्रो० रमेश चन्द्र तोमर द्वारा मा० अध्यक्ष, विधान सभा, उ० प्र० को भेजे गये पत्र दिनांक 01 अगस्त, 97 एवं मा० विधायकगण श्री राम नरेश रावत, श्री जय प्रकाश, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया आदि के पत्र दिनांक 01 अगस्त, 97 का भी उल्लेख किया गया है । इन पत्रों में जिलाधिकारी के कार्य एवं आचरण पर संतोष व्यक्त किया गया है ।

जनपद गाजियाबाद में शस्त्र लाइसेन्स बनाने हेतु नियुक्त आर्म्स लिपिक के बजाय एक निजी और गोपनीय व्यवस्था बनाये जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा यह बताया गया है कि जनपद गाजियाबाद में पिछले 2 वर्षों में फर्जी लाइसेन्स की शिकायतें मिली हैं, जिनमें प्राथमिकी भी दर्ज हुई है । इसी कारण इस व्यवस्था में संगत परिवर्तन किया गया है कि लाइसेन्स हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लाइसेन्स प्राधिकार पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर किये जाय और रजिस्टर पर भी लाइसेन्स प्राधिकृत स्वयं हस्ताक्षर करें । उन्होंने बताया कि पहले यह व्यवस्था थी कि लाइसेन्स अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त लाइसेन्स प्राधिकार पत्र पर कृते जिलाधिकारी करके किसी के भी हस्ताक्षर करा दिए जाते थे, जिससे देरी एवं

भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहा है । इसी कारण लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा ही स्वयं हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया बनायी गयी है । उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप आज सभी लाइसेन्स का रख-रखाव आर्म्स लिपिक द्वारा ही किया जा रहा है ।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद के स्पष्टीकरण, आयुक्त मेरठ मण्डल की आख्या तथा मा० सांसद एवं विधायकगण के पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए मामले में किसी कार्यवाही का अवसर नहीं बनता ।]

वाराणसी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से व्यापारियों तथा आम नागरिकों में उत्पन्न असुरक्षा की भावना के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

जनपद वाराणसी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से व्यापारियों आम नागरिकों में उत्पन्न असुरक्षा.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[की भावना के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है :–

(1) दिनांक 8-7-97 को चोलापुर थाना अन्तर्गत मुर्दहा बाजार में चोरों के गिरोह ने ट्रक मालिक गुलाब राय की धारदार हथियार से हत्या किये जाने विषयक :–

प्रश्नगत मामले में वादी श्री बैकुन्ठ राय पुत्र स्व० महावीर राय निवासी चन्दापुर थाना चोलापुर की सूचना पर मु० अ० सं०–112/97 धारा 4(4) भा० दि० वि० का अभियोग दिनांक 4-7-97 को थाना चोलापुर पर पंजीकृत हुआ था । विवेचना के दौरान राय मूरत राजभर पुत्र शम्भू राजभर निवासी अटेसुआ थाना चौलापुर, वाराणसी प्रकाश में आया है । इस अभियोग के रहस्योद्घाटन हेतु प्रयास जारी है ।

(2) दिनांक 15/16-7-97 की रात्रि में थाना कैन्ट अन्तर्गत भुनेश्वर कालोनी में 35 वर्षीय रमाकान्त पाठक सिपाही की हत्या किया जाना :–

इस संबंध में थाना कैन्ट पर मु० अ० सं०–276/97 धारा 302, 394 भा० द० वि० का अभियोग विरुद्ध अज्ञात दिनांक 16-7-97 को पंजीकृत किया गया । इस अभियोग की विवेचना श्री पी० एन० निगम, प्रभारी निरीक्षक कैन्ट द्वारा की जा रही है । अभी तक इस अभियोग का रहस्योद्घाटन नहीं हुआ है । इस संबंध में विवेचक को गायब राइफल एवं अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

(3) दिनांक 18-7-97 को विंध्यवासिनी कालोनी के अन्तर्गत थाना कैन्ट में रात्रि 10 बजे एक चिकित्सक के धर में लूट की नियत से आये बदमाशों द्वारा चिकित्सक के भतीजे अचीन्द्र गुप्ता को गोली मारने विषयक :–

इस संबंध में श्री अरुण कुमार गुप्ता निवासी विंध्यवासनी कालोनी कैन्ट की सूचना पर मु० अ० सं०–281/97 धारा 452/307 भा० द० वि० का मुकदमा दिनांक 18-7-97 को पंजीकृत हुआ था । प्रथम सूचना में लिखी रिपोर्ट के अनुसार वादी के घर में घुसकर बदमाश कट्टे से फायर किये जिससे वादी का भतीजा अचीन्द्र गुप्त घायल हुआ । फायर करने के बाद बदमाश दीवाल फांद कर भाग गये । इस अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक अनिल कुमार दुबे द्वारा की जा रही है । इस संबंध में अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के दबिस एवं पूछताछ के प्रयास जारी हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(4) थाना सारनाथ के अन्तर्गत मवईया में एक प्रमुख व्यवसायी के घर पर हुई भीषण डकैती ।

दिनांक 11/12 जुलाई, 1997 की रात ग्राम भर्वया में श्री ओंकार नाथ महेशवरी निवासी ग्राम मवईया थाना सारनाथ की सूचना पर दिनांक 12-7-97 को मु० अ० सं०–161/97 धारा 395, 397 भा०. द० वि० का अभियोग पंजीकृत हुआ इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक, नगर प्रभारी निरीक्षक कैन्ट, प्रभारी पुलिस चौकी पहड़िया थाना कैन्ट पहुंचें । उसके बाद क्षेत्राधिकारी कैन्ट, थानाध्यक्ष जैतपुरा तथा थानाध्यक्ष शिवपुर व नगर की अन्य थानाध्यक्षगण भी वहां पुहंच गये । वादी के किलेनुमा मकान के पिछले दरवाजे से प्रवेश करके वादी एवं उनके परिवारजनों को बन्द कमरे से मुक्त कराया गया । इस घटना के बाद भागे डकैतों की तलाशी डाग स्क्वायड को लेकर सचिंग एवं काम्बिंश कराई गई व रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा प्रमुख चौराहों पर वाहनों की चेकिंग व तलाशी का कार्य कराया गया, किन्तु कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली । वादी के मकान जिसमें फैक्टरी है और सदैव इसमें 20-25 कर्मचारीगण मौजूद रहते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विश्वास पात्र कर्मचारियों का भी योगदान इस घटना के कराने में रहा होगा । इस घटना को करने वाले बदमाशों की बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले के समान मालूम हुई ।

घटना के वर्क आउट करने हेतु क्षेत्राधिकारी कैन्ट श्री अजय शंकर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सारनाथ, जैतपुरा, लंका, शिगरा, प्रभारी चौकी आदमपुर, लल्लापुर, कचहरी, पहाड़िया की सुरागरशी एवं पतारसी के लिए विशेष अनुसंधान टीम गठित की गई है । इस अनुसंधान हेतु पुलिस पार्टियां जनपद मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, व मऊ आदि स्थानों को भेजी गई है संदिग्ध व्यक्तियों व अपराधिक तत्वों से गहीन पूछताछ की जा रही है और दबिशें दी जा रही हैं । वादी व उनके परिवार से प्राप्त विवरण के आधार पर अपराधी तत्वों की कम्पूटर प्रोफाइल (फोटो) भी बनवाई गई है । अभियोग के रहस्योद्घाटन हेतु सक्रिय प्रयास जारी है ।

(5) दिनांक 28-7-97 को सायंकाल भोजूवीर अन्तर्गत थाना कैन्ट में बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या किये जाने विषयक :–

दिनांक 28-7-97 समय 5.45 बजे सायं भोजूवीर तिराहा थाना कैन्ट वाराणसी में अजय कुमार सिंह पुत्र सन्तू सिंह निवासी नरायनपुर की मोटर साईकिल पर सवार अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल से गोली चला कर हत्या कर दी । जिसमें दो अन्य राहगीर भी घायल हुए तथा अस्पताल में कुछ समय बाद एक राहगीर की मृत्यु हो गई जिसका नाम त्रिभुवन सिंह पुत्र मुरलीधर सिंह, निवासी ग्राम रामपुर थाना चोलापुर वाराणसी बताया जाता है । दूसरे राहगीर का नाम नित्यानन्द चौबे, निवासी ग्राम रामपुर थाना चोलापुर बताया जाता है ।

घटना स्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करने के बाद थाना कैन्ट में मु० अ० सं०–286/97 धारा 302/307 भा० द० वि० का अभियोग दिनांक 28-7-97 को पंजीकृत हुआ । इस अभियोग के रहस्योघाटन हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है ।

(6) दिनांक 6-5-97 को थाना जैतपुरा के अन्तर्गत अब्दुल सलाम की बदमाशों द्वारा हत्या किये जाने विषयक :–

इस घटना के संबंध में वादी अहमद अली पुत्र स्व० हुसैन निवासी सरैया थाना जैतपुरा की लिखित सूचना पर मु० अ० सं०–106/97 धारा 307 भा० द० वि० का अभियोग अज्ञात थाना जैतपुरा पर पंजीकृत हुआ । मृतक अब्दुल सलाम को चाकू व लाठी से काफी चोट आने के कारण स्थानीय कबीर चौरा अस्पताल में भरती कराया गया । दिनांक 9-7-97 को अब्दुल सलाम की मृत्यु हो जाने पर उक्त अभियोग को धारा 302 भा० द० वि० में परिवर्तित कर विवेचना श्री शिव गोपाल गुप्ता, थानाध्यक्ष जैतपुरा द्वारा की जा रही है । इस अभियोग के प्रकाश में आये अभियुक्त रफीक पुत्र चुन्नू सामू पुत्र अलाउद्दीन निवासी लाट सरैया थाना

जैतपुरा जनपद वाराणसी आला कत्ल दो अदद चाकू के साथ दिनांक 13-7-97 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है इस अभियोग की विवेचना प्रचलित है विवेचना के शीघ्र निस्ताकरण हेतु समुचित निर्देश दिये जा चुके हैं।

(7) दिनांक 12/13 जुलाई, 1997 को थाना मिर्जामुराद के अन्तर्गत ग्राम कोसडा के निकट जी० टी० रोड पर तीन प्रमुख अस्थिरोग चिकित्सकों को घायल कर बदमाशों द्वारा किये गये लूट पाट के संबंध में।

दिनांक 12/13 जुलाई, 1997 को रात 1.00 बजे थाना मिर्जामुराद के निकट जी० टी० रोड पर तीन चार बदमाशों द्वारा कट्टा दिखा कर कार ड्राईवर गोविन्द को अपने कब्जे में लेकर ट्रक चालक के साथ उक्त रोड पर ईंट भट्ठे पर ले गये। तथा उनकी हाथ घड़ी व रुपये 3500/–छीन कर भाग गये। इस घटना के संबंध में थाना मिर्जामुराद पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 13-7-97 को मु० आ० सं०–140/97 धारा 392, 341, 427 भा० द० वि० पंजीकृत हुआ। इस घटना में विवेचना से अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू, अजय सिंह, तथा विश्वनाथ श्रीवास्तव प्रकाश में आये जिनमें से अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू को दिनांक 14-7-97 को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल बरामद के संबंध में प्रयास जारी है।

(8) दिनांक 23-7-97 को पहाड़िया मंडी के निकट एक ट्रक चालक को यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा पीटने व 10,000 रुपये छीन लेने विषयक :–

उक्त घटना दिनांक 23-7-97 के स्थान पर दिनांक 24-7-97 की है। जिसमें जांच से ट्रक ड्राईवर को पीटने की बात सत्य पाई गई किन्तु ड्राईवर से रुपये छीनने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा ट्रक ड्राईवर की पिटाई किये जाने हेतु उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

यह कहना तथ्यों के विपरीत है कि वाराणसी नगर में लूट डकैती व हत्याओं की घटनाओं में वृद्धि के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। दुर्दान्त अपराधी एवं माफिया अपराधियों के विरुद्ध छेड़े गये अभियान के अन्तर्गत वाराणसी पुलिस ने दिनांक 4-6-97 को ग्राम महामिटिया थाना कैन्ट में 12.15 बजे दिन में शुरू हुए पुलिस मुठभेड़ में अत्यन्त बहादुरी के साथ दुर्दान्त माफिया बब्बू सिंह उर्फ संजीव सिंह, राजेन्द्र पाण्डेय उर्फ अनिल पाण्डेय विद्या त्रिपाठी एवं पप्पू सिंह को मार गिराया जिसमें एक अदद् ए० के० 47 राईफल 2 थर्टी कारबाइन मैगजीन के साथ, एक रिवाल्वर ए० के० 47 की एक अतिरिक्त मैगजीन, एक मारुती कार तथा 3 मोटर साइकिलें बरामद हुई।]

मेरठ महानगर में हापुड़ रोड स्थित बूचड़खाने के आबादी में आ जाने से नागरिकों को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मेरठ महानगर में हापुड़ रोड स्थित बूचड़खाने में प्रतिदिन जो जानवर काटे जाते हैं...

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[वे निर्धारित संख्या से कई गुना अधिक काटे जा रहे हैं। बूचड़खाना नगर की आबादी के बीच आ जाने के कारण लगभग 3 कि० मी० चारों ओर के क्षेत्रफल की 3 लाख से अधिक आबादी बदबू सड़ांध से त्रस्त है। अवैध रूप से भट्ठियां वहां लगाकर हड्डियां पकाने का काम भी वहां हो रहा है।

इसी सप्ताह निकटवर्ती हापुड़ नगर में अवैध रूप से चल रही चर्बी पकाने की भट्ठियां बन्द कर दिए जाने के कारण ठेकेदारों ने यह भट्ठियां मेरठ स्थित बूचड़खाने में स्थापित कर दी हैं और चर्बी

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पकाना प्रारम्भ कर दिए जाने से तथा साथ-साथ जानवरों की आंतों आदि को भी पकाने से सारे क्षेत्र में बदबू, सड़ांध का साम्राज्य स्थापित हो गया है, शास्त्री नगर, जागृतिविहार मेडिकल कालेज, विश्वविद्यालय क्षेत्र, पांडव नगर, प्रभात नगर जेल चुंगी क्षेत्र, वैशाली सम्राट पैलेस फूलबाग, जैदी फार्म, जाकिर हुसैन कालोनी क्षेत्र के लाखों नागरिक बदबू, सड़ांध, मिचली व उलटियों से परेशान हो रहे हैं ।

नगर निगम व जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की है जनता के भारी दबाव के बावजूद बूचड़खाना व भट्ठियां आबादी से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है, ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है । वृद्ध, महिला और बच्चे मिचली व उल्टीयों से परेशान है। खाना खाते समय निवाला मुंह के अन्दर जाने के बजाय बाहर को आता है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण व वक्तव्य पर चर्चा कराया जाना आवश्यक है ।

मान्यवर, मेरठ शहर में हापुड़ रोड के पास ओडियन नाले के निकट नगर निगम का कमेला स्थित है। यह कमेला प्लाट सं०–3703, 3708, 3709 व 3716 जिनका रकबा 8-6-0 बीघा है, पर स्थित है । उपरोक्त प्लाट्स वर्ष 1955 में स्लाटर हाऊस बनाने के लिये पूर्व नगरपालिका सम्प्रति नगर निगम, मेरठ द्वारा अधिग्रहीत किये गये थे । तब से लगातार यहां पर कमेले का कार्य होता आ रहा है । जिस समय यह भूमि कमेले के लिये अधिग्रहीत की गई थी उस समय सम्भवतः इसके दूर-दूर तक आबादी नहीं रही होगी । आबादी और क्षेत्र विस्तार से शनै : शनै : यह कमेला अब पूर्ण विकसित आबादी के मध्य आ गया है । इस कमेले के आस-पास चारों ओर हापुड़ रोड पर करीम नगर, बुनकर नगर, इस्लामाबाद, जाकिर हुसैन कालोनी, आशियाना कालोनी, अंसार कालोनी तथा आवास विभाग द्वारा पूर्ण रूप से विकसित शास्त्रीनगर आदि कालोनियां स्थित हैं जिनमें लगभग 3 लाख से अधिक लोग निवास कर रहे हैं । इस समय कमेले के आस-पास अनेक हड्डियां, चमड़े व चर्बी के गोदाम अवैध रूप से स्थापित और कार्यरत हैं । पशुबधशाला व हड्डियों के मीट की दुर्गन्ध से आस-पास के सभी कालोनियों के निवासी विशेष रूप से शास्त्री नगर के निवासी प्रभावित हो रहे हैं । पशुबधशाला नगर के प्रमुख मार्ग हापुड़ रोड के बहुत समीप हैं जिससे प्रमुख मार्ग से बाहर से आने-जाने वाले व्यक्ति भी बधशाला और हड्डी आदि के गोदामों की दुर्गन्ध से प्रभावित होते हैं । वर्ष 1988 में इस बधशाला को आबादी से दूर अन्यत्र स्थापित करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण उपरान्त कमालपुर, परगना व तहसील मेरठ में बधशाला हेतु भूमि उपयुक्त पाई गई थी, किन्तु वहां के स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण व भूमि उपलब्ध न होने के कारण कमेला वर्तमान स्थल से स्थानान्तरित नहीं हो पाया ।

वर्तमान में यह कमेला 1995 से 10 वर्षों हेतु ठेके पर दिया गया है । इसके अनुबन्ध के अन्तर्गत बधशाला को आवासीय क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित करने अथवा पूर्ण रूप से आधुनिक बधशाला में परिवर्तित करने का प्राविधान किया गया है । अनुबन्ध उपरान्त बधशाला हेतु नगर से बाहर ग्राम अलीपुर में बधशाला स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, किन्तु अलीपुर के स्थानीय निवासियों और आस-पास के ग्रामीणों के विरोध के कारण और वहां पर भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण बधशाला वहां पर स्थानान्तरित नहीं हो पाई । गत वर्ष कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित कर देहली रोड पर हापुड़ रेलवे क्रासिंग के दाईं ओर भूमि का चयन किया गया था किन्तु यहां पर भी नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के भारी विरोध के कारण कार्यकारिणी का यह प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो पाया और कमेला, हड्डी व चर्बी के गोदाम आज भी इस घनी आबादी के मध्य कार्यरत व स्थित हैं तथा आबादी निरन्तर बढ़ रही है कमेले और हड्डी आदि के गोदाम की दुर्गन्ध से आस-पास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है । कमेले में पशुबध के उपरान्त अवशेष आंतों, पेठा व चर्बी इत्यादि नाले में डाले जाते हैं जो बहकर पूर्ण विकसित हिन्दू आबादी शास्त्री नगर से गुजरते हुए काली नदी में गिरता है । आंतों व अवशेषों की दुर्गन्ध के साथ-साथ कीड़े व अन्य जन स्वास्थ्य को हानिकारक स्थित उत्पन्न

करते हैं और हिन्दू आबादी के मध्य से यह नाला लगभग 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक गुजरता है जिससे यह बधशाला से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण इस संवेदनशील नगर में धार्मिक भावनाओं के उग्र होने के साथ-साथ बीमारी फैलने का अन्देशा बना रहता है । समय-समय पर इस बधशाला व गोदामों के विरोध में प्रदर्शन होते रहते हैं । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में कमेले और हड्डी आदि से उत्पन्न समस्या के कारण अंसारी व कुरैशी बिरादरी में विवाद पैदा हो गया था जिसमें अंसारी बिरादरी का एक बच्चा मारा गया, हड्डी व चर्बी के गोदामों में आग लगा दी गई और इस क्षेत्र की शान्ति एवं व्यवस्था इस हद तक बिगड़ गई थी कि एक सप्ताह तक इस क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना पड़ा और नगर की भी शान्ति एवं व्यवस्था बिगड़ गई थी।

नगर निगम द्वारा इस बात के प्रयास किये जाते हैं कि इस कमेले के माध्यम से जो भी हड्डी पेठे इत्यादि नालों में डाले जाते हैं उनका शीघ्रता से निस्तारण हो जाये । आस-पास के नगरीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव किया जाता है जिससे किसी रोग के फैलने से रोका जा सके ।

नगर निगम को निर्देश दिये गये हैं कि आधुनिक पशुबधशाला के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन कर इसकी परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित करें ।]

प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों को शिक्षण शुल्क की छूट द्वारा गरीब असहाय छात्रों/छात्राओं का आर्थिक शोषण रोकने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा सूचना दी गई है कि हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं"...

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[लेकिन देश को समृद्धिशाली, परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने हेतु जरुरत है यहां का प्रत्येक नागरिक देशभक्ति, संस्कारित तथा देश के लिये समर्पण की भावना से ओत प्रोत होना चाहिये और सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है । प्रदेश के गरीब, असहाय पिछड़े व दलित छात्र/छात्राओं को हाईस्कूल/इण्टरमीडियेट तक शिक्षण शुल्क माफ कर दिया गया था, जिसमें वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय समाहित थे, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1997 द्वारा वित्त विहीन मान्यता प्राप्त 2500 विद्यालयों को छात्र/छात्राओं से फीस लेने की छूट प्रदान की गई है, जिससे गरीब असहाय ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं को पढ़ने का अवसर नहीं मिल पायेगा । आगरा महानगर में राधा बल्लभ इन्टर कालेज शाहगंज जो विगत कुछ ही वर्षों में करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित करने के उपरान्त आज खुलकर छात्र/छात्राओं का आर्थिक शोषण कर रहा है ।

अतः सरकार द्वारा जनहित में छात्र/छात्राओं के आर्थिक शोषण को रोकने हेतु दिनांक 15 जुलाई, 1997 का शासनादेश वापिस कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

वक्तव्य–

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 6288 माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें 1438 राजकीय तथा 6850 अशासकीय विद्यालय हैं । अशासकीय विद्यालयों में से लगभग 5000 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके वेतनादि के भुगतान हेतु समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । शेष 1850 असहायिक माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं । उपरोक्त विद्यालयों में प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक लगभग 44 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों की संख्या लगभग 24 लाख हैं ।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिये जाने के संवैधानिक दायित्व के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में पूर्व से ही निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू है । निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य छात्र/छात्राओं से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाना है । इसके साथ ही साथ प्रदेश में कक्षा 12 तक बालक और बालिकाओं के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था समय-समय पर लागू की गई । वर्तमान में प्रदेश के राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 12 तक बालक/बालिकाओं के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था लागू है ।

3–पूर्व में कक्षा 6 में रु० 3.00 कक्षा 7 से 10 तक रु० 4.50 तथा कक्षा 11 व 12 में रु० 8.75 की धनराशि शिक्षण शुल्क के रूप में प्रति माह छात्र/छात्राओं से वसूल की जाती थी । निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप शिक्षण का 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत जो कि पूर्व में विद्यालयों के अनुरक्षण खाते में जमा होता था, शासन द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाने लगा । असहायता प्राप्त विद्यालयों को शिक्षण शुल्क की क्षतिपूर्ति 100 प्रतिशत प्रदान की जाती है । राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को कोई क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं दिया जाता है । वर्तमान में प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतनादि का भुगतान प्लान और नानप्लान पक्ष में लगभग रु० 900 करोड़ व्यय किया जा रहा है । इसमें एक मोटे अनुमान के आधार पर रु० 700 करोड़ बालक विद्यालयों के लिये और 200 करोड़ बालिका विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान पर व्यय किया जाता है । इसके अतिरिक्त लगभग रु० 200 करोड़ राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतनादि तथा अन्य मदों पर व्यय किया जा रहा है ।

4–इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 14-10-86 से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को हाईस्कूल/इन्टरमीडियेट स्तर पर वित्त विहीन मान्यतायें दी जा रही हैं और ऐसे विद्यालयों को शासन द्वारा अनुदान सूची पर लिये जाने अथवा उन्हें किसी प्रकार का शासकीय अनुदान दिये जाने की कोई नीति नहीं है । ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु व्यय का वहन प्रबन्धतंत्र को अपने निजी स्रोतों से करना होता है और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू होने के कारण विद्यालयों में वित्तीय स्रोतों का अभाव रहता है । माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन अध्याय–तीन के अन्तर्गत बने विनियम–46 में यह प्राविधान है कि कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्रदान किये जायेंगे । जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू होने तथा इन विद्यालयों में निर्धारित दर के ही अनुसार ब्यायज फण्ड के विभिन्न मदों में शुल्क लिये जाने के कारण इन विद्यालयों में सदैव ही पर्याप्त श्रोतों का अभाव रहा है ।इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 7 "ग" के अधीन किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दान, फीस व चन्दा लिये जाने पर रोक लगाये जाने और इसका उल्लंघन किये जाने पर धारा–7 "घ" के अधीन शास्ति का प्राविधान होने के कारण ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण द्वारा किसी माध्यम से अपने श्रोतों में वृद्धि नहीं कर सकता है । ऐसी स्थिति में प्रायः यह पाया गया है कि वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को पर्याप्त धनराशि का भुगतान वेतनादि के रूप में नहीं किया जाता है और कहीं-कहीं इनमें न्यूनतम वेतन दर से भी कम वेतन का भुगतान किया जाता है ।

5–उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे विद्यालयों में वित्तीय स्रोतों का अभाव रहने के कारण विभिन्न शैक्षिक और पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों के संचालन किये जाने में पर्याप्त कठिनाई का अनुभव किया जाता रहा है । प्रयोगशाला में प्रायोगिक संबंधी कार्य, खेलकूद, शारीरिक व्यायाम व एन० सी० सी० पर्यावरण, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा इनके

रखरखाव में संस्थाधिकारियों को पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था । इसके कारण समय समय पर ऐसे विद्यालयों द्वारा अनावर्तक अनुदान की मांग भी शासन से की जाती रही है । किन्तु इस प्रकार के अनावर्तक अनुदान हेतु कोई नियमित योजना न होने अथवा बजट में इस हेतु धनराशि का प्राविधान न होने के कारण ऐसे अनावर्तक अनुदान की मांग की शासन द्वारा प्रायः अस्वीकार किया जाता रहा है इस प्रकार वित्तीय सीमितता अथवा वित्तीय श्रोतों का अभाव ऐसे विद्यालयों के लिये विचित्र स्थिति रही है जहां एक ओर न तो उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुरूप शुल्क लिये जाने की छूट रही और न ही उन्हें किसी प्रकार का अनावर्तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है । इसके फलस्वरूप वित्त विहीन विद्यालयों की दशा दिन प्रतिदिन जर्जर होती रही और इन विद्यालयों में भौतिक संसाधनों में कमी के साथ ही साथ शैक्षिक स्तरोन्नयन व गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर होता रहा । उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–2590/15-7-1(21)/97 दिनांक 15 जुलाई, 1997 द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता तथा शैक्षिक उन्नयन हेतु अशासकीय असहायिक मान्यता प्राप्त हाई स्कूल/इन्टरमीडियेट कालेजों को विद्यालय के समुचित संचालन तथा विभिन्न शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विद्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण शुल्क लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है ।

6–उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1997 में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में लिये जा रहे शिक्षण शुल्क का उपयोग निम्नलिखित मदों पर किया जायेगा ।

(1) शिक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त आय से विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा ।

(2) शुल्क के रूप में प्राप्त आय विद्यालय में साज सज्जा काष्ठोपकरण, पीने का पानी, शौचालय/मूत्रालय के निर्माण, क्रीड़ा सामग्री के क्रय पर आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी ।

(3) शिक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि का रख रखाव विधिवत रखा जायेगा ।

मा० सदस्य द्वारा सूचना में यह उल्लेख किया जाना कि शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1997 द्वारा वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को खुली आर्थिक लूट करने की छूट दी गई है स्थिति का सही आंकलन नहीं है । यदि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1997 के परिप्रेक्ष्य में किसी विद्यालय द्वारा इस प्रकार का शोषण किया जाता है अथवा छात्र/छात्राओं से आवश्यकता के अनुरूप शुल्क न लेकर अनधिकृत तरीके शुल्क वसूल किया जा रहा है, तो ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी । उपरोक्त आदेशों की पृष्ठभूमि में कदाचित शासन की यह मंशा नहीं रही है कि इससे संस्थाधिकारियों को सम्पत्ति अर्जित करने की छूट दी जायेगी । जहां तक आगरा महानगर में राधा बल्लभ इण्टर कालेज शाहगंज आगरा द्वारा विगत कुछ ही वर्षों में करोड़ों की सम्पत्ति अर्जित करने तथा खुलकर छात्र/छात्राओं का आर्थिक शोषण करने का संबंध है, मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचनानुसार मामले की जांच कराकर यदि आरोप सही पाया जाता है तो विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

8–उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रदेश में राजकीय/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इन्टरमीडियेट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू है, जिसके अन्तर्गत छात्र/छात्राओं से "शिक्षण शुल्क" के रूप में कोई धनराशि वसूल नहीं की जा रही है । प्रदेश में सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जो विद्यालय असहायता प्राप्त हैं अथवा जिन अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यतायें प्रदान की गयी हैं/की जा रही है, ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु एवं शैक्षिक गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से इन विद्यालयों को आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण शुल्क चार्ज किये जाने की जो अनुमति प्रदान की गयी है, वह न्यायाचित एवं समीचीन है । ।

गढ़ रोड, मेरठ स्थित सब्जी मंडी को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मेरठ दिल्ली रोड पर नवीन मण्डी स्थल का निर्माण कराया गया है जिसमें.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[व्यापारियों द्वारा व्यापार किया जा रहा है । पूर्व में गढ़ रोड पर पुरानी मण्डी स्थित थी जिसमें फल एवं सब्जी का व्यापार होता था । मेरठ दिल्ली रोड नवीन मण्डी के निर्माण के बाद खाद्यान्न के साथ-साथ फल एवं सब्जी का व्यापार भी इसमें स्थानान्तरित कर दिया गया तथा गढ़ रोड स्थित पुरानी मण्डी के व्यापारियों को नवीन मण्डी में दुकानें भी आवंटित की गयी लेकिन उक्त व्यापारी अपना व्यापार पुरानी मण्डी तथा नवीन मण्डी दोनों स्थानों पर करते रहे । चूंकि प्रधान मण्डी स्थल की सीमा में अन्यत्र व्यापार नियमानुसार वर्जित है इसलिये फल एवं सब्जी का व्यापार गढ़ रोड स्थित पुरानी मंडी में बन्द कर दिया गया है ।

2–गढ़ रोड पर उपमण्डी के निर्माण का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । उल्लेखनीय है कि इस रोड पर मण्डी की आवश्यकता को देखते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण से 6 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था लेकिन प्राधिकरण द्वारा की गयी दरें अधिक होने के कारण अन्यत्र भूमि तलाश करने का निर्णय लिया गया । उचित दर पर जमीन प्राप्त होने पर यथासमय उपमण्डी का निर्माण कराया जा सकेगा एवं तदुपरान्त ही दुकानों का आवंटन व्यापारियों को किया जा सकेगा जहां तक लाइसेंसियों को भूमि आवंटित किये जाने का प्रश्न है मण्डी समिति के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इसका औचित्य नहीं है ।]

इसके बाद सदन 4 बजकर 28 मिनट पर दिनांक 11 अगस्त, 1997 दिन सोमवार के अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ

दिनांक 6 अगस्त, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा

उत्तर प्रदेश ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

संलग्नक 1

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

वित्तीय वर्ष 96-97 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत एम० एस० पाइप की आपूर्ति हेतु आदेशित फर्मों की सूची

क्र० सं०	फर्म का नाम
1	मै० गुडलक स्टील ट्यूब लि०, [illegible]याबाद
2	मै० कैलाशपति स्टील इण्डस्ट्रीज लि०, दिल्ली
3	मै० आलोक पाइप लि०, गाजियाबाद
4	मै० राजेन्द्र पाइप लि०, कानपुर
5	मै० एडवान्स पाइप लि०, दिल्ली
6	मै० रामा स्टील ट्यूब लि०, नई दिल्ली
7	मै० जिन्दल पाइप लि०, नई दिल्ली
8	मै० बिहार ट्यूब लि०, दिल्ली
9	मै० इण्डस ट्यूब लि०, नई दिल्ली
10	मै० सुप्रभात स्टील लि०, पटना
11	मै० अग्रवाल आयरन स्टील इण्डस्ट्री, नई दिल्ली
12	मै० स्टील एण्ड मैटल ट्यूब लि०, नई दिल्ली
13	मै० श्री श्याम ट्यूब लि०, नई दिल्ली
14	मै० अजन्ता ट्यूब लि०, नई दिल्ली
15	मै० राजेन्द्रा स्टील लि०, कानपुर
16	मै० एण्डवान्स स्टील लि०, नई दिल्ली
17	मै० जोतिन्द्रा स्टील लि०, फरीदाबाद
18	मै० हाइटैक पाइप लि०, दिल्ली
19	मै० क्यू० एस० टी० लि०, कानपुर
20	मै० बालाजी स्टील ट्यूब एण्ड पाइप लि०, कानपुर ।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

संलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में पी०वी०सी० पाइप की आपूर्ति हेतु आदेशित फर्मों की सूची

क्रम सं०	फर्म का नाम
1	मै० त्रिसला विनायल ट्यूब लि०, देहरादून
2	मै० स्वास्तिक ट्यूब प्रा० लि०, कानपुर
3	मै आमोली कैरी प्लास्ट लि०, लखनऊ
4	मै० क्लासिक पोलीट्यूब प्रा० लि०, कानपुर
5	मै० ग्रीन फील्ड पाइप प्रा० लि०, मेरठ
6	मै० गुप्ता प्लास्टो लि०, अलीगढ़
7	मै० यूपिका पोलिवियान प्रा० लि०, दिल्ली
8	मै० मार्डन लैमिटेरेस प्रा० लि०, गोरखपुर
9	मै० देव प्लास्ट प्रा० लि०, इलाहाबाद
10	मै० ओबरा सीमेन्ट प्रा० लि०, सोनभद्र
11	मै० विनायल ट्यूब लि०, नई दिल्ली
12	मै० तिरुपति स्ट्रक्चराल लि०, गाजियाबाद
13	मै० रेखन एक्सक्यूजन प्रा० लि०, उन्नाव
14	मै० रेखन इण्डस्ट्रीज लि०, कानपुर
15	मै० स्टंडी प्रा० लि०, सलोन
16	मै० जायको पाइप्स प्रा० लि०, दिल्ली
17	मै० वी०पी०डी० प्लास्टिक प्रा० लि० यूनिट-I, लखनऊ
18	मै० मधुर पी०वी०सी० पाइप प्रा० लि०, रायबरेली
19	मै० कुछल उद्योग प्रा० लि०, गाजियाबाद
20	मै० एम० के० विनायल, प्रा० लि०, उन्नाव
21	मै० मनमोहन प्लास्टिक प्रा० लि०, मुजफ्फरनगर
22	मै० डायनिमक इण्टरप्राइजेज, गाजियाबाद
23	मै० मोनिका प्लास्टिक प्रा० लि०, मुजफ्फरनगर
24	मै० वी०पी०डी० प्लास्टिक प्रा० लि० यूनिट–II, लखनऊ
25	मै० सुपर पाइप प्रा० लि०, कानपुर
26	मै० सुपर पोलीप्लास्ट प्रा० लि०, कानपुर
27	मै० यतेन्द्रा एक्सक्यूजन प्रा० लि०, उन्नाव
28	मै० गोयल कन्टेनर प्रा० लि०, नई दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे बुधवार हेतु निर्धारित डा० गंगा बख्श सिंह द्वारा पूछे गये अता प्र० सं०–3 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पदों का विवरण					रिक्त पदों का विवरण				
			कुल	सामान्य	अनु० जाति	जन जाति	पि० वर्ग	कुल	सामान्य	अनु० जाति	जन जाति	पि० वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्राचार्य	10	6	5	1	–	–	4	2	1	–	1
2	प्रोफेसर	10	–	–	–	–	–	10	5	2	–	3
3	रीडर	10	2	2	–	–	–	8	4	2	–	2
4	प्रवक्ता	126	88	77	–	–	10	38	10	21	2	5
5	चिकित्साधिकारी	1125	1075	538	249	–	288	50	25	11	1	13
6	डिमांस्ट्रेटर	31	7	7	–	–	–	24	12	6	–	6
7	समूह "ग'	1236	1139	618	216	–	305	97	29	42	2	14
8	समूह "घ'	1105	1022	527	213	6	276	83	41	18	2	22

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०-15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 120 पर)

वर्ष 1993 से मई, 1997 तक जनपद गोण्डा में नलकूप खण्ड, गोण्डा के नलकूपों की मरम्मत, अण्डरग्राउण्ड नालियों के निर्माण गूल तथा आन्तरिक दोषों को ठीक कराने पर व्यय की गयी धनराशि का नलकूपवार विवरण

क्रमांक	नलकूप संख्या	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3
1	37 जी जी	28,366.00
2	55 ,,	35,190.00
3	56 ,,	17,585.00
4	66 ,,	25,201.00
5	72 ,,	53,454.00
6	73 ,,	8,691.00
7	101 ,,	16,603.00
8	112 ,,	16,693.00
9	123 ,,	37,436.00
10	136 ,,	55,656.00
11	151 ,,	2,87,405.00
12	154 ,,	6,800.00
13	175 ,,	6,750.00
14	194 ,,	1,60,099.00
15	218 ,,	14,500.00
16	120 ,,	28,240.00
17	134 ,,	67,353.00
18	219 ,,	3,11,000.00
19	226 ,,	3,12,200.00
20	102 ,,	2,46,312.00
21	122 ,,	41,310.00
22	220 ,,	14,500.00
23	227 ,,	3,11,000.00
24	10 ,,	6,848.00
25	228 ,,	3,54,395.00
26	60 ,,	2,485.00
27	61 ,,	32,158.00
28	63 ,,	65,943.00
29	65 ,,	2,757.00
30	78 ,,	25,449.00
31	103 ,,	2,972.00
32	104 ,,	650.00
33	108 ,,	5,050.00
34	110 ,,	1,81,304.00
35	142 ,,	4,640.00
36	162 ,,	1,34,812.00
37	200 ,,	24,250.00
38	203 ,,	19,492.00
39	221 ,,	2,88,000.00
40	1 ,,	51,944.00
41	2 ,,	34,691.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
42	4 ,,	6,775.00
43	5 ,,	39,496.00
44	6 ,,	30,495.00
45	8 ,,	21,708.00
46	11 ,,	78,012.00
47	14 ,,	12,267.00
48	20 ,,	19,790.00
49	22 ,,	73,823.00
50	26 ,,	14,445.00
51	34 ,,	41,032.00
52	41 ,,	3,813.00
53	83 ,,	19,913.00
54	64 ,,	10,895.00
55	74 ,,	15,298.00
56	107 ,,	3,33,022.00
57	125 ,,	3,00,729.00
58	130 ,,	20,170.00
59	135 ,,	2,39,245.00
60	146 ,,	3,60,965.00
61	206 ,,	11,319.00
62	207 ,,	1,29,979.00
63	215 ,,	41,251.00
64	222 ,,	2,78,000.00
65	223 ,,	18,208.00
66	39 ,,	21,348.00
67	70 ,,	37,420.00
68	88 ,,	14,272.00
69	94 ,,	30,712.00
70	95 ,,	45,161.00
71	111 ,,	12,352.00
72	117 ,,	650.00
73	131 ,,	2,13,000.00
74	138 ,,	53,143.00
75	152 ,,	22,358.00
76	224 ,,	2,47,000.00
77	51 ,,	19,197.00
78	53 ,,	25,197.00
79	68 ,,	16,465.00
80	100 ,,	1,05,241.00
81	114 ,,	3,140.00
82	128 ,,	5,026.00
83	129 ,,	25,299.00
84	127 ,,	60,766.00
85	169 ,,	1,45,757.00
86	178 ,,	1,40,146.00
87	182 ,,	1,25,070.00
88	183 ,,	1,26,797.00
89	184 ,,	1,34,283.00
90	187 ,,	1,23,924.00

उत्तर विधान परिषद

1	2	3
91	35 टी जी	16,895.00
92	44 ,,	20,037.00
93	81 ,,	2,73,807.00
94	22 ,,	21,668.00
95	23 ,,	29,925.00
96	37 ,,	34,201.00
97	38 ,,	3,12,887.00
98	39 ,,	20,570.00
99	78 ,,	36,040.00
100	80 ,,	47,005.00
101	16 ,,	29,852.00
102	17 ,,	31,871.00
103	18 ,,	54,286.00
104	19 ,,	1,12,887.00
105	20 ,,	44,074.00
106	21 ,,	19,442.00
107	24 ,,	35,228.00
108	26 ,,	40,646.00
109	27 ,,	37,412.00
110	28 ,,	37,144.00
111	29 ,,	51,289.00
112	30 ,,	38,127.00
113	31 ,,	33,841.00
114	47 ,,	86,303.00
115	52 ,,	17,713.00
116	56 ,,	2,97,625.00
117	57 ,,	2,86,380.00
118	63 ,,	40,231.00
119	83 ,,	3,21,000.00
120	34 ,,	41,712.00
121	08 ,,	18,886.00
122	54 ,,	3,26,400.00
123	110 ,,	2,70,000.00
124	03 ,,	10,541.00
125	05 ,,	38,372.00
126	06 ,,	52,967.00
127	55 ,,	24,181.00
128	61 ,,	17,581.00
129	109 ,,	2,89,525.00
130	111 ,,	2,98,000.00
131	10 ,,	38,552.00
132	14 ,,	13,549.00
133	40 ,,	31,020.00
134	42 ,,	2,90,000.00
135	48 ,,	3,11,00.00
136	67 ,,	12,461.00
137	42 यूजी	32,289.00
138	45 ,,	34,191.00
139	66 ,,	18,927.00

1	2	3
140	61 ..	1,04,228.00
141	70 ..	29,207.00
142	101 ..	21,841.00
143	109 ..	2,96,379.00
144	112 ..	2,95,652.00
145	118 ..	3,01,410.00
146	136 ..	3,01,690.00
147	138 ..	3,23,753.00
148	172 ..	2,10,000.00
149	174 ..	3,06,000.00
150	68 ..	11,167.00
151	75 ..	2,865.00
152	87 ..	44,380.00
153	95 ..	2,82,117.00
154	102 ..	39,158.00
155	103 ..	2,69,208.00
156	105 ..	2,18,000.00
157	117 ..	5,797.00
158	135 ..	14,000.00
159	165 ..	25,000.00
160	15 ..	15,217.00
161	17 ..	25,474.00
162	19 ..	29,898.00
163	22 ..	4,962.00
164	24 ..	24,916.00
165	36 ..	20,712.00
166	37 ..	32,175.00
167	139 ..	2,950.00
168	145 ..	98,713.00

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे बुधवार हेतु निर्धारित श्री तेजभान सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या–118 के उत्तर का संलग्नक

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड, सुल्तानपुर के अन्तर्गत वर्तमान समय में कार्यरत जूनियर इंजीनियर की सूची तथा 31-5-97 तक की कार्य अवधि

क्र०सं०	जूनियर इंजीनियर का नाम	जनपद सुल्तानपुर में नियुक्ति की अवधि	अन्य विवरण
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	सूर्यबली प्रसाद (विद्युत)	7 वर्ष 7 माह	—
2	राकेश कुमार	11 वर्ष 9 माह	—
3	राम सनेही पाण्डेय	9 वर्ष 10 माह	—
4	मो० नुसरत	4 वर्ष 9 माह	—
5	कामता यादव	3 वर्ष 10 माह	—
6	बुद्धेश्वर पाण्डेय	3 वर्ष 10 माह	—
7	विजय प्रकाश सिंह	6 वर्ष 11 माह	—
8	नागेन्द्र कुमार त्रिपाठी	4 वर्ष 10 माह	—
9	अमरदेव	9 वर्ष 10 माह	—
10	कृपा शंकर गुप्त	8 वर्ष 7 माह	—
11	फरीद अहमद	10 वर्ष 5 माह	—
12	शिवराम	7 वर्ष 11 माह	—
13	दीना नाथ प्रसाद	6 वर्ष 11 माह	—
14	विन्द प्रसाद	5 वर्ष 8 माह	—
15	वशिष्ठ मुनि त्रिपाठी	4 वर्ष 10 माह	—
16	प्रमोद कुमार द्विवेदी	3 वर्ष 10 माह	—
17	ओम प्रकाश निगम	3 वर्ष 10 माह	—
18	खुर्शीद आलम	3 वर्ष 10 माह	—
19	जय प्रकाश सिंह	3 वर्ष 10 माह	—
20	अजय कुमार श्रीवास्तव	3 वर्ष 9 माह	—
21	मुस्तफा खां	3 वर्ष 8 माह	—
22	राज नारायण सिंह	3 वर्ष 4 माह	—

1	2	3	4
23	अनिल कुमार श्रीवास्तव	3 वर्ष 4 माह	—
24	सिराज अहमद	3 वर्ष 4 माह	—
25	नागेन्द्र कुमार त्रिपाठी	3 वर्ष	—
26	मो० नईम खां	2 वर्ष 8 माह	—
27	दिनेश कुमार सिंह	2 वर्ष 1 माह	—
28	लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया	2 वर्ष	—
29	अशोक कुमार सिंह	1 वर्ष 11 माह	—
30	भैरव प्रसाद मिश्र	1 वर्ष 11 माह	—
31	राज नारायण सिंह (द्वितीय)	1 वर्ष 10 माह	—
32	विनोद कुमार	1 वर्ष 10 माह	—
33	राकेश सिंह	1 वर्ष 10 माह	—
34	कन्हैया प्रसाद लाल	1 वर्ष 10 माह	—
35	पारस नाथ	1 वर्ष 10 माह	—
36	नरसिंह कुमार सिंह	1 वर्ष 10 माह	—
37	ब्रह्मदेव	1 वर्ष 10 माह	—
38	विमल कुमार	1 वर्ष 10 माह	—
39	गया प्रसाद श्रीवास्तव	1 वर्ष 9 माह	—
40	बलवन्त सिंह	1 वर्ष 8 माह	—
41	इकबाल अहमद सिद्दीकी (यांत्रिक)	10 माह	—
42	बृजेश तिवारी	9 माह	—
43	शिव पूजन	9 माह	—
44	बीरेन्द्र बहादुर सिंह	6 माह	—
45	शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	2 माह	—
46	शफीक अहमद		योगदान तिथि 27-6
47	सुशील कुमार		योगदान तिथि 14-7
48	रंगीले प्रसाद		योगदान तिथि 17-7

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं०-128 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०-128 के उत्तर का संलग्नक

जिला दृष्टिहीनता निवारण समिति द्वारा लगाये गये नेत्र शिविरों का विवरण :–

वित्तीय वर्ष 1993-94

कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया ।

वित्तीय वर्ष 1994-95

क्र०सं०	सामु०/प्रा० स्वा० केन्द्र का नाम जहां नेत्र शिविर लगाये गये	शिविर की तिथि	शिविर का स्थान	व्यक्तियों की सं० जिन्हें चश्मे बांटे गये
1	2	3	4	5
1	खुदागंज	9-11-94	कटरा	58
2	खुदागंज	10-11-94	खुदागंज	76
3	जलालाबाद	23-11-94	जलालाबाद	62
4	कांठ	24-11-94	कांठ	59
5	पुवायां	6-12-94	पुवायां	19
6	सिधौली	7-12-94	सिधौली	57
7	जलालाबाद	22-12-94	जलालाबाद	58
8	बण्डा	4-1-95	बण्डा	122
9	पुवायां	5-1-95	पुवायां	87
10	खुदागंज	21-1-95	कटरा	85
11	खुदागंज	19-1-95	खुदागंज	57
12	कलान	2-2-95	कलान	97
13	जलालाबाद	28-2-95	जलालाबाद	47
14	तिलहर	28-3-95	तिलहर	35
15	कांठ	14-1-95	कांठ	70
16	सिधौली	4-2-95	सिधौली	72
17	बण्डा	28-2-95	बण्डा	70
18	मिर्जापुर	25-2-95	मिर्जापुर	70
			योग :–	1208

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्तीय वर्ष 1995-96

1	2	3	4	5
1	निगोही	12-1-96	निगोही	67
2	पुवायां	8-1-96	पुवायां	65
3	मिर्जापुर	14-1-96	मिर्जापुर	76
4	जलालाबाद	29-1-96	जलालाबाद	48
5	कांठ	8-2-95	कांठ	87
6	बण्डा	24-2-95	नानकपुरी गुरू०	98
			योग :–	441

वित्तीय वर्ष 1996-97

1	पुवायां	15-11-96	पुवायां	36
2	,,	11-2-97	,,	51
3	,,	28-2-97	,,	49
4	,,	22-11-96	,,	35
5	तिलहर	14-2-97	तिलहर	56
6	,,	14-2-97	,,	45
7	,,	8-3-97	,,	40
8	,,	18-3-97	,,	62
9	जलालाबाद	27-12-96	जलालाबाद	52
10	,,	28-2-97	,,	44
11	,,	14-3-97	,,	42
12	,,	31-3-97	,,	24
13	कलान	6-12-96	कलान	35
14	,,	6-3-97	,,	35
15	मिर्जापुर	13-12-96	मिर्जापुर	35
16	,,	8-2-97	,,	81
17	,,	26-2-97	,,	32
18	कांठ	29-11-96	कांठ	20
19	,,	25-1-97	,,	84
20	,,	24-2-97	,,	02
21	,,	11-3-97	,,	52

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
22	खुदागंज	5-2-97	खुदागंज	79
23	,,	12-3-97	,,	44
24	जैतीपुर	1-2-97	जैतीपुर	74
25	,,	13-2-97	,,	15
26	निगोही	16-1-97	निगोही	49
27	सिधौली	20-2-97	सिधौली	48
28	भावलखेड़ा	2-1-97	भावलखेड़ा	20
29	बण्डा	24-1-97	बण्डा	37
30	,,	21-2-97	,,	30
31	,,	10-3-97	,,	32
32	खुटार	22-2-97	खुटार	88
33	,,	2-3-97	,,	04
34	तिलहर	11-1-97	खैरपुर	50
			योग :–	1482
			महायोग :–	3131

वित्तीय वर्ष 1996-97 (30 जून, 1997 तक)
कोई शिविर आयोजित नहीं किये गये ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

अनावेदित विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

नलकूप निर्माण खण्ड लखनऊ

दिनांक 30-6-97 को पी० एल० ए० में जमा अवशेष धनराशि का विवरण

क्रमांक	शासनादेश सं० व दिनांक	मद	वर्ष	दिनांक 30-6-97 को अवशेष जमा धनराशि	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	1585-टी–91-27-सिं०–5, दिनांक 31-3-91	वाहनों के क्रय हेतु	1990-91	84,00,00,00	
2	1134-27-5-92, दि० 31-3-92	वाहनों के प्रतिस्थापन	1991-92	2,58,50,000.00	
3	558–सख–95–सिं०–3, दि० 31-3-95	इटावा जनपद की नहर पटरियों को पक्का करने विषयक	1994-95	20,00,000.00	
4	1004–एवी–96-27–सिं०–9, दि० 30-3-96	जल एवं भूमि संस्थान को देय अनुदान	1995-96	1,00,00,000.00	
5	ए० 1141(1)सख/97-27-सिं०–3, दिनांक 31-3-97	भूमि प्रतिकर भुगतान हेतु	1996-97	3,48,93,000.00	
	बी० 1142(11)सख/97-27-सिं०–3, दिनांक 31-3-97	बाढ़ प्रबन्ध कार्यों के लम्बित भूमि प्रतिकर भुगतान हेतु	1996-97	3,95,68,000.00	
6	1055–एवी–97–27–सिं०–9, दिनांक 31-3-97	नहरों के अनुरक्षण कार्य हेतु	1996-97	5,00,00,000.00	
		योग		17,07,11,000.00	

संलग्नक—2

मुख्य अभियन्ता स्तर–2 एवं निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम
दि० 30-6-97 तक पी० एल० ए० खाता में जमा धनराशि

पी० एल० ए० खाता संख्या	जे० बी० –25
जमा धनराशि	रु० 55,17,550.00
	(पचपन लाख सत्रह हजार पांच सौ पचास मात्र)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

फैजाबाद एवं बस्ती मण्डल में स्थित चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 1996-97 में गन्ना मूल्य भुगतान की दर, भुगतान प्रतिशत एवं अवशेष गन्ना मूल्य का विवरण निम्नवत् है :—

क्र० सं०	नाम चीनी मिल	जनपद	गन्ना मूल्य दर सामान्य प्रजाति हेतु मिल गेट पर रु०/कु०	गन्ना मूल्य भुगतान लाख रुपये			भुगतान प्रतिशत	अवशेष प्रतिशत
				देय	भुगतान	अवशेष		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाराबंकी	बाराबंकी	72	479.17	348.82	13035	72.80	27.20
2	बुढ़वल	बाराबंकी	72	496.48	402.66	93.82	81.10	18.90
3	रोजागांव	बाराबंकी	70	3127.63	2659.94	467.69	85.05	14.95
4	मोतीनगर	फैजाबाद	70	2769.01	1321.32	447.69	83.83	16.17
5	जरवल रोड	बहराइच	72	1900.00	1360.30	539.86	71.59	28.41
6	नानपारा	बहराइच	72	1534.92	923.98	610.94	60.20	39.80
7	चिलवरिया	बहराइच	70	468.72	424.90	43.80	90.66	9.34
8	नवाबगंज	गोण्डा	72	910.52	639.00	271.52	70.18	29.82
9	मैजापुर	गोण्डा	70	935.44	716.86	218.58	76.63	23.37
10	तुलसीपुर	बलरामपुर	70	2446.34	2446.34	0.00	100.00	0.00
11	बलरामपुर	बलरामपुर	70	9354.89	9354.89	0.00	100.00	0.00
12	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	72	1263.80	729.24	534.56	57.70	42.30
13	बभनान	बस्ती	70	5731.08	5731.08	0.00	100.00	0.00
14	मुन्डेरवा	बस्ती	72	626.33	491.27	135.06	78.44	21.56
15	खलीलाबाद	बस्ती	70	733.80	96.00	637.80	13.08	86.92
16	बस्ती	बस्ती	70	3017.41	2277.37	740.04	75.47	24.53
17	वाल्टरगंज	बस्ती	70	416.23	319.94	96.29	76.87	23.13

अवध प्रदेश सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० 158 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

संलग्नक

मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्ग से जोड़े जा चुके ग्रामों की सूची

1	नशरतपुर देहात	विकास खण्ड	कुरावली
2	सहादतपुर	,,	,,
3	विक्रमपुर	,,	,,
4	संसारपुर	विकास खण्ड	मैनपुरी
5	जरामई	,,	,,
6	नानामऊ	,,	,,
7	अस्योली	,,	,,
8	सराय तलीफ	विकास खण्ड	कुरावली

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०–एल० 372 विधान सभा ( )–1997–813 (डी० टी० पी०) ।